# राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

# पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—

"कोई भी देश एक विदेशी भाषा के आधार पर बड़ा नहीं बन सकता। आखिर क्यों ? इसलिए कि एक विदेशी भाषा जनता की भाषा नहीं बन सकती। इसने (अंग्रेजी ने) हम अंग्रेजी जानने वालों और अंग्रेजी नहीं जानने वालों के बीच एक खाई बनायी है। यह देश की प्रगति के लिए घातक है। हम आज निश्चय ही इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते .....। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक तरफ तो अंग्रेजी पढ़ा-लिखा उच्च वर्ग रहे और दूसरी तरफ अंग्रेजी नहीं जानने वाला विशाल जन-समूह हो। इसलिए हमारी भाषा होनी ही चाहिए।"

●

—"मैं यह बात सोच भी नहीं सकता कि भविष्य के भारत में शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी हो सकती है, वह माध्यम तो हिन्दी ही हो सकती है और या कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। केवल उसी अवस्था में हम अपने लोगों के सम्पर्क में रह सकते हैं और सर्वतोन्मुखी प्रगति में सहायक हो सकते हैं। जहां तक विज्ञान और शिल्प-शिक्षा का प्रश्न है मैं समझता हूं कि उनकी शिक्षा भी हमारे विद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से होनी चाहिए।"

●

—"मैं जहां अंग्रेजी का इसलिए विरोधी हूं कि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगता है और उनकी एक अलग क्लास सी बनती चली जाती है वहां मैं अपने बारे में भी यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं खुद अंग्रेजी इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे इसकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन यह भी मैं महसूस करता हूं कि सही बात यह होगी जो मैं उसी भाषा में बोलूं जिसे ज्यादा लोग समझते हों। मैं समझता हूं मुझे वैसा करना चाहिए।"

● ●

# राजभाषा भारती

## राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

अप्रैल—जून, 1986 वर्ष 9, अंक 33

संपादक :

डॉ० महेशचन्द्र गुप्ता

उप संपादक :

जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110 003

फ़ोन : 617657

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

(नि:शुल्क वितरण के लिए)

### विषय सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| अपनी बात | | 1 |
| 1. सहायक निदेशक राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अपने क्षेत्र में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भी सहायता करें। | कु० कुसुम लता मित्तल | 2 |
| 2. तकनीकी हिन्दी के संदर्भ में शोध विषय | डा० ओम विकास | 3 |
| *3. तकनीकी ज्ञान का माध्यम हिन्दी | प्रो० जे० एस० बंसल | 7 |
| *4. हिन्दी और तकनीकी शिक्षा—संभावनाएं और सीमाएं | डा० धर्मेन्द्र कुमार | 9 |
| *5. उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी भाषा का सरलीकरण एवं एकरूपता। | शमीम अख्तर | 12 |
| 6. प्रसार माध्यम और हिन्दी | डा० महावीर सिंह | 14 |
| 7. हिन्दी में विज्ञान साहित्य : उपलब्धियां एवं संभावनाओं का आकलन | शुकदेव प्रसाद | 17 |
| 8. अनुवाद में पर्यायवाची की समस्या | डा० कैलाश चन्द्र भाटिया | 24 |
| 9. हिन्दी चली समंदर पार | रागिनी सिन्हा | 24 |
| 10. मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की गतिविधियां | | 25 |
| 1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | | 25 |
| 2. योजना मंत्रालय | | 27 |
| 3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय | | 29 |
| 4. संसदीय कार्य विभाग | | 31 |
| 5. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय | | 33 |
| 11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की गतिविधियां | | 35 |
| 1. वोकारो | | 35 |
| 2. बेलगांव | | 35 |
| 3. अहमदाबाद | | 37 |
| 4. पुणे | | 37 |
| 5. इन्दौर | | 40 |
| 6. रोहतक | | 40 |
| 12. राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण— | | 41 |
| 1. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स में हिन्दी | | 41 |
| 2. ई० टी० एण्ड टी० में हिन्दी | | 43 |
| 3. केनरा बैंक मंडल कार्यालय, आगरा में हिन्दी | | 44 |
| 4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, भोपाल समाहर्तालय में हिन्दी | | 49 |


*लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित 'स्मरणिका' से साभार

पृष्ठ

13. हिन्दी सप्ताह/दिवस . . . . . 52
1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली . . . . . 52
2. दक्षिण मध्य रेलवे, हैदराबाद मी ला मंडल . . . . . 53
3. तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) नई दिल्ली . . . . . 54
4. खादी ग्रामोद्योग आयोग, हैदराबाद . . . . . 54
14. हिन्दी कार्यशालाएं . . . . . 55
1. गुजरात रिफाइनरी, बडोदरा . . . . . 55
2. बोकारो इस्पात कारखाना . . . . . 55
3. बैंक आफ बड़ौदा, भोपाल . . . . . 55
4. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, नई दिल्ली . . . . . 56
5. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली . . . . . 57
6. केनरा बैंक, जयपुर . . . . . 57
7. निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान), नई दिल्ली . . . . . 58
8. एच० एम० टी०, अजमेर . . . . . 58
15. विविधा— . . . . . 60
1. अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन . . . . . 60
2. अंतरिक्ष विभाग द्वारा निबंध, टिप्पण और प्रारूपण हिन्दी में लिखने के लिए प्रतियोगिता की योजना . . . 62
3. पटना स्थित माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन में निबन्ध प्रतियोगिता . . . . . 62
4. वानिकी पुरस्कारों के लिए प्रविष्ठियां आमंत्रित . . . . . 63
5. पंजाब नेशनल बैंक, पटना में कवि-गोष्ठी . . . . . 63
6. जमुना-ग्रामीण बैंक द्वारा निर्देश पुस्तिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन . . . . . 63
7. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में पुरस्कार वितरण . . . . . 64
8. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में हिन्दी विचार-गोष्ठी . . . . . 64
9. अंतरिक्ष विभाग द्वारा विक्रम साराभाई पुरस्कार 1984 . . . . . 65
10. मध्य प्रदेश रिट याचिकाएं हिन्दी में संभव . . . . . 65
11. विधायी विभाग द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन . . . . . 66
16. आदेश-अनुदेश— . . . . . 71
1. इस्पात और खान मंत्री की अपील . . . . . 71
2. उप सचिव (मुख्य मंत्री) हिमाचल प्रदेश का पत्र . . . . . 71
3. प्रशासन में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग . . . . . 71
4. निदेशक (भाषा एवं संस्कृति) हिमाचल प्रदेश द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों के नाम पट्टों पर हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए आवेदन 72
5. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शील्ड देने की व्यवस्था 1985–86 . 73

# अपनी बात

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी शिक्षण योजना पिछले अनेक वर्षों से लागू है। हिन्दी शिक्षण योजना के पर्यवेक्षक/सहायक पर्यवेक्षक प्रारंभिक स्थिति में अंशकालिक केन्द्रों से पूर्णकालिक केन्द्रों में बदलने के काम के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों से संपर्क रखने और कक्षाएं लेने आदि जैसे कार्य किया करते थे किन्तु अब उनका पदनाम बदलकर सहायक निदेशक कर दिये जाने से उन्हें कुछ वित्तीय शक्तियां भी दी गई हैं। उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वे अब कक्षाओं में प्रशिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, सरप्राइज इन्सपेक्शन करने और राजभाषा नीति संबंधी मार्गदर्शन के लिये कार्यान्वयन की कठिनाइयों को जानने आदि कार्यों में भी सहायक होंगे। राजभाषा विभाग के सचिव जी ने अपने प्रभावी भाषण में इन सब दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्राय: लोगों में यह भ्रांति है कि हिन्दी में तकनीकी विषयों पर शोधपूर्ण लेख नहीं लिखे जा सकते। राजभाषा भारती के इस अंक में प्रकाशित तकनीकी विषयों से संबंधित लेखों से इस धारणा का निराकरण हो जाएगा।

प्रसिद्ध कम्प्यूटर वैज्ञानिक डा० ओमविकास ने हिन्दी के तकनीकी पक्ष को सबल बनाने के लिए तकनीकी संगोष्ठियां, मानक पुस्तकों और शोध ग्रंथों के प्रकाशन, हिन्दी में कम्प्यूटर विज्ञान के डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों और हिन्दी में शोध के नये विषयों को बनाने पर बल दिया है। प्रो० जे० एल० बंसल ने और डा० धर्मेन्द्र कुमार ने अपने-अपने लेखों में तकनीकी शिक्षा में हिन्दी माध्यम की आवश्यकता और उपयोगिता पर बल देने के साथ-साथ समस्या का गंभीरता से विवेचन किया है।

डा० महावीर सिंह ने प्रचार माध्यम और हिन्दी विषयक अपने लेख में इस बात पर बल दिया है कि हिन्दी भाषा को जनमानस तक निरंतर पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी विश्लेषण किया है कि विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा हिन्दी को लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है।

श्री शुकदेव प्रसाद ने हिन्दी में विज्ञान साहित्य की उपलब्धता एवं संभावनाओं का आकलन विषय का विस्तार से विवेचन किया है और यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि हिन्दी में अब काफी वैज्ञानिक साहित्य है और अनेक पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं। डा० कैलाश चन्द्र भाटिया ने अनुवाद में पर्यायवाची की समस्या विषय का विशद विवेचन किया है, जो कि बहुत सामयिक है और जिसकी आज के संदर्भ में काफी आवश्यकता है।

सूरीनाम में हिन्दी दिवस की एक रोचक रिपोर्ट पाठकों को विदेशों में हिन्दी प्रचार के लिए प्रेरित करने में सहायक होगी, ऐसा विश्वास है। पहले की भांति ही इस अंक में भी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समितियों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की विस्तृत रिपोर्ट शामिल की गई हैं। कुछ विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के निर्णयों और प्रगति का लेखा-जोखा भी इस अंक में विस्तार से किया गया है। विश्वास है कि इन सब से प्रेरणा प्राप्त करके सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली बाधाओं का निराकरण किया जा सकेगा और सभी को हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। □

# "सहायक निदेशक राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अपने क्षेत्र में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भी सहायता करें"

—कु० कुसुमलता मित्तल

[दिनांक 2-6-86 को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित सहायक निदेशकों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सचिव, राजभाषा द्वारा दिया गया भाषण]

सहायक निदेशक, पर्यवेक्षक/सहायक पर्यवेक्षक का संशोधित पदनाम है। हिन्दी शिक्षण योजना के प्रथम चरण में पर्यवेक्षक/सहायक पर्यवेक्षक को क्षेत्रीय अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता था और सांख्यिकीय विवरणों की जांच, उनका संकलन करना, अंशकालिक/पूर्णकालिक केन्द्रों के निष्पादन का जायजा लेकर पूर्णकालिक कन्द्रों को आवश्यकतानुसार अंशकालिक केन्द्र में तथा अंशकालिक केन्द्रों को पूर्णकालिक केन्द्र में परिवर्तित करना इत्यादि कार्य उनको करने पड़ते थे। प्राध्यापकों की लम्बी अनुपस्थिति के दौरान पर्यवेक्षक तथा सहायक पर्यवेक्षक को कक्षाएं भी लेनी पड़ती थीं। उनका सामान्य कार्य संगठन संबंधी था जिसमें सम्पर्क अधिकारियों से नियमित सम्पर्क बनाए रखना तथा केन्द्रों की उन्नति के लिए शाखा अधिकारी। अनुभाग अधिकारी से सम्पर्क करना अन्यतम था। हाल में सहायक निदेशकों को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां भी दी गई हैं। प्रशासनिक शक्तियों में आकस्मिक छुट्टी स्वीकार करना, अपने स्टाफ की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखना भी है। वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत आकस्मिक व्यय/आवृत्त (30 रुपये तक) करने और अनावृत्त (100 रुपये तक) करने की शक्तियां दी गई हैं। भविष्य में वित्तीय शक्तियां और भी बढ़ाने की संभावनाएं है।

2. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहायक पर्यवेक्षक से पदोन्नत होकर सहायक निदेशक अब हिन्दी शिक्षण योजना के न केवल संगठनात्मक पहलू के बल्कि प्रशासनिक पहलू के भी अंग बन गए हैं। चूंकि ये प्रशासनिक इकाई में आ गए हैं अतः उनमें हम कुछ और बातों की भी अपेक्षा रखते हैं। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वे हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्रों के निष्पादन का पूरा–पूरा जायजा लें और अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। मुख्यालय के बाहर के सहायक निदेशकों के लिए क्षेत्राधिकार बांटने की योजना बनाई गयी है और निकट भविष्य में उनको अपने क्षेत्र का प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी माना जाएगा। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र से संबंधित केन्द्रों के रजिस्टर आदि के रख–रखाव का पूरा प्रयत्न करें, उपस्थिति घटने न दें और इसके लिए संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखें। सरकारी कार्यालयों में प्रशिक्षण योग्य प्रशिक्षार्थियों की संख्या क्रमशः कम होती जा रही है और उनका प्रशिक्षण कई केन्द्रों में आधे से ज्यादा पूरा हो गया है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार के उपक्रम/निगम/निकाय आदि के साथ और अधिक कार्यसाधक संबंध बनाए जाएं। इसलिए आवश्यक है कि सहायक निदेशक उपक्रम / निगम/निकाय आदि के राजभाषा अधिकारियों से भी नियमित सम्पर्क बनाए रखें। अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत केन्द्रों के सही निष्पादन से मदद देने के लिए यह आवश्यक है कि सहायक निदेशक समय–समय पर "सरप्राइज इंस्पैशन" भी किया करें। जैसा कि उपनिदेशकों की बैठक के दौरान बताया गया, केन्द्रों से आंकड़े सही और ठीक तरह से नहीं भेजे जाते। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही पूर्णांकित संख्या बताई जाती है, जिन के समेकन में पर्याप्त गलतियां रह जाती हैं और प्रशिक्षण ले रहे और प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की सही संख्या जानी नहीं जा सकती। अतः सहायक निदेशकों को चाहिए कि स्वयं कार्यालयों में जाकर रोस्टर के अनुसार प्रशिक्षण ले रहे तथा प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या का आकलन करें। यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सहायक निदेशकों को राजभाषा नीति संबंधी मार्गदर्शन के लिए कार्यान्वयन की कठिनाइयों को जानने तथा कर्तव्यों के बारे में अनुदेश देने के लिए ही आयोजित किया जा रहा है।

3. राजभाषा विभाग यह भी अपेक्षा करता है कि हमारे सहायक निदेशक राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अपने क्षेत्र में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भी सहायता करें? इन सब कारणों से यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हमारे सहायक निदेशक जहां अपने प्राध्यापक के पद के अनुभव का प्रयोग हिन्दी शिक्षण योजना की प्रगति के लिए करें वहीं पर प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के पहलुओं को भी ठीक तरह से समझें और उन पर अमल करें। राजभाषा विभाग ने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान खोला है, विभाग हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारियों को एक नया दृष्टिकोण देने के उद्देश्य से भी इसका सदुपयोग करने का विचार रखता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यहां पर यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सहायक निदेशकों के लिए आयोजित किया गया है। इसमें मुझे बताया गया है कि यहां 24 के करीब सहायक निदेशक आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जहां वे इसका लाभ उठाएंगे वहीं पर यहां जिन–जिन विषयों पर चर्चा होगी और नई सूचनाएं दी जाएंगी उनका महत्व वे समझेंगे और अपने क्षेत्र में जाकर उन पर अमल कराएंगे। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहयोग तो देंगे ही, हिन्दी शिक्षण योजना को प्रयोजनमूलक भी बनाएंगे। कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी सीखने की प्रेरणा तो देंगे ही, सीखकर सरकारी कामकाज भी हिन्दी में करने की व्यवस्था में अपना कार्यसाधक सहयोग प्रदान करेंगे। □

# तकनीकी हिन्दी के संदर्भ में शोध विषय

—डॉ० ओम विकास
प्रोफेसर (कम्प्यूटर विज्ञान)

औद्योगिक विकास में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विशेष योगदान है। भारतीय समाज को आविष्कारोन्मुखी बनाने में लोक भाषा हिन्दी के माध्यम से विज्ञान शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध आदि की अत्यन्त आवश्यकता है। हिन्दी के दो पक्ष अब स्पष्ट हैं—साहित्यिक एवं तकनीकी पक्ष। तकनीकी हिन्दी के समन्वित विकास के लिए वैज्ञानिकों को एक मंच पर आकर, अनेक परियोजनाओं पर कार्य करना है, जैसे—तकनीकी संगोष्ठी, लेखन प्रोत्साहन, लेखन में कार्यशाला, मानक पुस्तकें, शोध प्रकाशन, तकनीकी विकास, आदि। तकनीकी हिन्दी के विकास को शोधात्मक दृष्टि से देखने पर कई नए शोध विषय सामने आते हैं, जैसे हिन्दी के संदर्भ में कंप्यूटर आदि तकनीकी हिन्दी के लिए डिग्री स्तर का पाठ्यक्रम आदि। प्रस्तुत आलेख में इन्हीं विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है।

## 1. प्रस्तावना

भाषा विचारों की वाहिनी है। एक ही विचार के लिए विविध भाषा-भेद हो सकते हैं। समाज के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक मूल्यों में भाषा का प्रमुख स्थान है।

हिन्दी के विकास के संदर्भ में दो पक्ष स्पष्ट हैं—(1) साहित्यिक, और (2) तकनीकी। साहित्यिक पक्ष उत्तरोत्तर सबल होता रहा है जिससे हिन्दी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति में सक्षम बन गई है। तकनीकी पक्ष जिसके माध्यम से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के तथ्यों को आसानी से स्पष्टतः अभिव्यक्त किया जा सकता है, अभी सबल नहीं बन सका है। अब तक यह माना जाता है कि अंग्रेजी के माध्यम से ही विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी को समझा और समझाया जा सकता है। इसके कारण जनता को विज्ञान की उपलब्धियों की सही जानकारी से वंचित रहना पड़ता है। यही कारण है कि भारतीय समाज का दृष्टिकोन यथावश्यक आविष्कारोन्मुखी नहीं बन पा रहा है जो कि प्रगतिमूलक आत्मनिर्भरता के लिए नितांत आवश्यक है। जन सामान्य की भाषा में विज्ञान संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके और शोध वैज्ञानिक जन सामान्य से तालमेल रख कर लोकोपयुक्त टेक्नोलौजी का विकास कर सके, इसके लिए लोक भाषा हिन्दी के माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध आदि की व्यवस्था करनी होगी।

अनेक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों की वैज्ञानिक उपलब्धियां इसलिए प्रकाश में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता है। शोधरत वैज्ञानिकों के समक्ष भाषा का प्रश्न नहीं होता प्रत्युत वैज्ञानिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए वे उसे अनुवाद करा कर भी समझने की कोशिश करते हैं।

विश्लेषण करने पर विदित होता है कि भारत में हिन्दी का प्रयोग विशेषतः विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद पर आश्रित रहा, मौलिक लेखन को प्रोत्साहन नहीं मिला, वैज्ञानिक विभागों में अनुवाद-प्रक्रिया की दीवार अभेद्य बनती गई।

## 2. तकनीकी विकास

ऐतिहासिक कारणों से भारतवर्ष में मौलिक तकनीकी विकास की गति धीमी रही। स्वतंत्रता के बाद इसको तीव्र गवगति देने की चाह रही। इसी बीच आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की स्पर्धा में टेक्नोलॉजी के आयात को प्राथमिकता दी गई जिसके फलस्वरूप मौलिक तकनीकी विकास को क्षति पहुंची है।

टेक्नोलॉजी में निरन्तर बदलाव होते रहते हैं और जब तक समाज आविष्कारोन्मुखी नहीं बन पाएगा, तब तक नए टेक्नोलॉजी के आयात का प्रलोभन प्रबल रहेगा।

हिन्दी के लिए अब तक जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वह अंग्रेजी के लिए प्रयुक्त की जा रही टेक्नोलॉजी को येन-केन प्रकारेण अपनाने तक ही सीमित रहा है। हिन्दी के लिए टेक्नोलॉजी का विकास शीघ्र के रूप में नहीं लिया गया है। उदाहरण के लिए, हिन्दी के लिए टाइपराइटर जैसी आसान टेक्नोलॉजी भी अभी तक आवश्यकता के अनुकूल विकसित नहीं की जा सकी है। यही बात टेलीप्रिंटर के संदर्भ में है। जापान ने जटिल जापानी भाषा के अनुकूल टाइपराइटर विकसित किए और प्रयोग किए। अपनी भाषाई आवश्यकता के अनुकूल टेक्नोलॉजी के मौलिक विकास का अभाव है। हर्ष का विषय है कि

कुछ कम्प्यूटर वैज्ञानिकों ने तकनीकी विकास के विविध पक्षों को मौलिक रूप में समझने की कोशिश की है जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं। ज्ञातव्य है कि वैज्ञानिकों ने परिवर्धित देवनागरी के आधार पर ध्वनिलिपी कुंजीपटल एवं कंप्यूटर के लिए सूचना आदान-प्रदान के मानकीकरण प्रस्तुत किए हैं जिनका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर बनाए जाने वाले कम्प्यूटर में किया जा रहा है ।

भारत में स्कूल और कालेजों में छोटे कम्प्यूटरों की मदद से विविध विषयों के शिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। सामाजिक क्रांति में शिक्षा संस्थाओं का योगदान होता है। अनुमान लगा सकते हैं कि कम्प्यूटर से दी जाने वाली शिक्षा में केवल अंग्रेजी की ही व्यवस्था रहेगी तो विद्यार्थी और भावी नागरिकों में हिन्दी और भारतीय समाज के प्रति तिरस्कार का भाव जड़ जमाने लगेगा। सामान्य और शिक्षित वर्ग के बीच दूरी बढ़ने लगेगी। इसलिए सामयिक आवश्यकता है कि हिन्दी के माध्यम से कम्प्यूटर से शिक्षण सुविधाएं सुलभ हों, इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेअर का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

तकनीकी विकास हिन्दी भाषा के समग्र अध्ययन के आधार पर है। टेक्नोलॉजी को हिन्दी के लिए येन-केन प्रकारेण अपनाने की नीति को प्राथमिकता न दी जाए। हिन्दी के लिए मैकनिकल टाइपराइटर के तकनीकी विकास पर भी शोध कार्य को गति दी जाए और वैज्ञानिक डिजाइन के आधार पर निर्माण की व्यवस्था की जाए। हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में विविध क्षेत्रों में देवनागरी कम्प्यूटर प्रयोग के लिए आवश्यक सॉफ्टवेअर तैयार किया जावे, जिससे कम्प्यूटरों को हिन्दी के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सके। कम्प्यूटर से अनुवाद प्रारूप तैयार करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस पर समयबद्ध परियोजना उपलब्ध की जाए ।

### 3. शोध के विविध आयाम

तकनीकी हिन्दी के विकास के संदर्भ में वैज्ञानिकों और हिन्दी शोधार्थियों के लिए विविध शोध विषय प्रस्तावित हैं।

### 3.1 वैज्ञानिकों के लिए शोध विषय

हिन्दी के समग्र विकास के लिए टेक्नोलॉजी का संबल अपरिहार्य है। कम्प्यूटर आदि के द्वारा हिन्दी भाषा का व्याकरण, शैली आदि विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है और इससे भाषा और भाषा के विकास क्रम को समझने में आसानी होगी। भारतीय भाषाएं ध्वन्यात्मक हैं। इन्हें देवनागरी लिपि में ध्वन्यात्मक विशेषताओं को क्षति पहुंचाए बिना अभिव्यक्त किया जा सकता है। ध्वनि पहचान मशीनों का विकास किए जाने पर भारतीय भाषाओं में जो बोला जाएगा उसे मशीन के द्वारा लिपिबद्ध करना सम्भव हो सकेगा। यह एक युगान्तरकारी तकनीकी विकास होगा, जो भारतीय समाज के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार कम्प्यूटर के अनुवाद बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में कम्प्यूटर से अनुवाद अपेक्षाकृत आसान है। इस प्रकार इस दिशा में किए गए तकनीकी विकास अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय एकता में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे। वैसे इस दिशा में शोध एवं विकास की बहुत सम्भावनाएं हैं और निम्नलिखित क्षेत्रों में शोध एवं विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है।

#### (क) ध्वनि पहचान मशीन

ध्वन्यात्मक भारतीय भाषाओं के लिए इस प्रकार की मशीन सम्भव है।

#### (ख) बोलती मशीन

हिन्दी ध्वन्यात्मक भाषा है। इसमें अक्षर एवं इसकी ध्वनि किसी भी अक्षर समूह में अपरिवर्तनीय है। इसलिए लिपिबद्ध सामग्री को ध्वनि समूह में बदला जा सकता है। इस दिशा में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (अहमदाबाद में) आंशिक सफलता मिली है।

#### (ग) अक्षर पहचान मशीन

पाठ्य सामग्री को कम्प्यूटर में संगृहीत करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है, यदि देवनागरी एवं अन्य भारतीय लिपियों के अक्षरों को पहचानने की मशीन का विकास हो जाए, तो समय की बहुत बचत होगी और यह आर्थिक दृष्टि से सस्ता भी होगा। प्रकाशीय साधनों से अक्षर पहचानने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। फोटोकापिइंग मशीन में पाठ्य/दृश्य सामग्री को प्रतिबिंबित करके इलक्ट्रोस्टैटिक प्लेट पर लेते हैं और उस पर सूक्ष्म स्याही के दानों (ग्रैन्यूल) को फैला कर फोटोकापी तैयार करते हैं। इस विधि में तैयार की गई इलक्ट्रोस्टैटिक प्लेट पर बनी कापी को माध्यम बना कर अक्षरों की पहचान आसान प्रतीत होती है। यह शोध का विषय है।

#### (घ) कम्प्यूटर से अनुवाद

एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में वर्ण क्रम एवं व्याकरण की समानता होने के कारण अनुवाद अपेक्षाकृत सरल है। इस दिशा में शोध आरम्भ करने के साथ हिन्दी की "बेसिक शब्दावली" सुनिश्चित की जाए, यह कुछ सीमित क्षेत्रों में कम्प्यूटर से अनुवाद के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। बालकों के लिए पुस्तकें और तकनीकी सामग्री का कम्प्यूटर से अनुवाद संतोषजनक होने की आशा है।

आशा है कि कम्प्यूटर से अनुवाद को तीन स्तरों में किया जाएगा। ये हैं—(1) वियोजन—दिए गए वाक्य को सरल वाक्य में वियोजित करें। (2) अनुवाद—सरल वाक्यों का कम्प्यूटर से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करें। (3) संश्लेषण—लक्ष्य भाषा में अनुदित सरल वाक्यों को जोड़कर संश्लिष्ट वाक्य तैयार करें।

#### (ङ) देवनागरी कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर

देवनागरी कम्प्यूटर के विकसित हो जाने से देवनागरी लिपि में किसी सामग्री को कम्प्यूटर में संग्रह किया जा सकता है और प्रोसेसिंग के बाद प्रिंट कराया जा सकता है। देवनागरी कम्प्यूटर को लोकप्रिय और उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि इस पर अधिक से अधिक प्रयोगों के लिए सॉफ्टवेअर तैयार

किया गया हो। शब्द समायोजन (वर्ड प्रोसेसिंग) की सुविधा ऑफिस के वातावरण में अत्यन्त आवश्यक है।

शब्द प्रोसेसिंग में पंक्ति की निश्चित लम्बाई के आदि और अंत में अक्षरों को लाने के लिए शब्द समायोजन, पैराग्राफिंग, शब्द को ढूंढने और बदलने, नए शब्द जोड़ने, कई स्थानों पर प्रयुक्त किसी शब्द की बर्तनी सभी स्थानों पर बदलने, सम्पादन करने, एक पत्र को कई पतों पर मूल रूप में भेज सकने आदि की सुविधा होती है।

बाल-शिक्षण और प्रौढ़-शिक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं हों जिससे किसी विशेष प्रोग्राम भाषा को समझे बिना देवनागरी कम्प्यूटर पर काम करना सम्भव हो। इसके लिए चित्रों के आधार पर उच्चस्तरीय प्रोग्राम भाषा की सुविधा उपलब्ध हो। "लोगों" जैसी प्रोग्राम भाषाओं में हिन्दी में आदेश देने की व्यवस्था हो।

### (च) विविध सूचनाओं की संहिता निर्माण

विविध क्षेत्रों में कम्प्यूटर से सूचना संहिताएं तैयार करके उनका उपयोग सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए किया जा सकता है। इनकी मदद से कम समय में सही योजनाएं तैयार करने में बहुत मदद मिलती है। कई क्षेत्रों में हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सूचना संहिताएं बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। उदाहरणार्थ' पुलिस में अपराधी, मतदाता, रोगी, शिक्षा, श्रमशक्ति की सूचना संहिताएं आदि बहुत ही उपयोगी हैं। देवनागरी में सूचना संग्रह करना आसान होगा और उपयोगी भी।

तकनीकी शब्दावली को कम्प्यूटर में संग्रह करके विषयवार शब्दावली बनाना आसान होगा। शब्दों के निर्माण एवं संदर्भ में जांच के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

### (छ) कम्प्यूटर से प्रिंटिंग

प्रिंटिंग के क्षेत्र में कम्प्यूटर एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इसमें प्रिंटिंग के लिए अक्षरों के विविध आकार आसानी से बनाए जा सकते हैं। प्रिंटिंग में अक्षर आकार का वैविध्य एवं सौंदर्य आकर्षक होते हैं। इस दिशा में शोध स्तर पर कुछ सफलता मिली है जिसे मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्न करने होंगे।

### (ज) इलैक्ट्रॉनिक पेन

नक्शे, ड्राइंग आदि में हिन्दी में लिखने के लिए स्टेंसिल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। मुख्य लेखन से हिन्दी में लिखी सामग्री प्रभावी नहीं बन पाती है। प्रस्तावित है इलैक्ट्रॉनिक पेन का विकास जिसमें बिंदु जाल (डॉट मेट्रिक्स) की सहायता से अक्षर बनाकर स्प्रिंग की मदद से पेन को दबाकर इसे प्रिंट करा सकते हैं। ड्राफ्ट्समेन के लिए तो यह वरदान सिद्ध होगा। इसे पत्र लिखने के लिए भी काम में ला सकते हैं।

## 3.2 तकनीकी हिन्दी में शोध

हिन्दी भाषा के संदर्भ में हिन्दी के तकनीकी पक्ष को सबल बनाने की दिशा में शोध की प्रक्रिया आरम्भ करनी पड़ेगी। जहां एक ओर वैज्ञानिकों को हिन्दी में लिखने के लिए प्रवृत्त करना है वहीं दूसरी ओर हिन्दी भाषा में विज्ञान संबंधी विषयों पर शोधकार्य करने का पहल करना आवश्यक है। विज्ञान संबंधी शोध की महत्ता से ही हिन्दी जगत् को वैज्ञानिक स्वरूप मिल सकेगा। (डाक्टरेट) शोध के लिए कुछ विषय प्रस्तावित हैं जिन्हें हिन्दी विद्वानों और वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के पारस्परिक मार्गदर्शन में पूरा किया जा सकता है।

### (क) हिन्दी में तकनीकी लेखन

हिन्दी में साहित्य लेखन की परम्परा बहुत पुरानी है जबकि विज्ञान लेखन अपेक्षाकृत नया है। हिन्दी में विज्ञान साहित्य का अभाव है और प्रायः यह पाठ्य पुस्तकों के रूप में ही मिलता है। कुछ लोग बोलचाल की भाषा में लेख प्रकाशित करते हैं। लेकिन ये लेख व्यावसायिक विज्ञान लेखों तक ही सीमित रहते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों को अनुवाद के द्वारा प्रकाशित करने के प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। अनुवाद से विषय का सही प्रस्तुतीकरण संभव नहीं हो पाता है क्योंकि प्रायः अनुवादकों को विषय का ज्ञान नहीं होता है और उन्हें इतना धैर्य भी नहीं कि वे वैज्ञानिकों से परामर्श कर उनके सत्यापन के साथ प्रस्तुत कर सकें। हिन्दी में विज्ञान लेखन किस दिशा में जा रहा है? उसकी क्या शैली है? इसमें कहां तक सफलता मिल पा रही है? विज्ञान लेख कितने सजीव हैं? आदि विषयों पर विचार किया जा सकता है। शोधकर्ता इनका समीक्षात्मक विवेचन कर सकते हैं। शोध के लिए विषय हो सकते हैं—(1) हिन्दी में तकनीकी लेख की परम्परा, (2) हिन्दी में वैज्ञानिक शोध साहित्य, (3) हिन्दी का विज्ञान साहित्य, (4) हिन्दी में विज्ञान कथाएं, (5) वैज्ञानिकों का तकनीकी हिन्दी के विकास में योगदान आदि।

### (ख) हिन्दी लेखकों पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव

अंग्रेजी भाषा के लेखकों पर अध्ययन विज्ञान का प्रभाव स्पष्टतः नजर आता है। अंग्रेजी साहित्य में विज्ञान संबंधी काल्पनिक कथाएं भी प्रभूत मात्रा में मिलती हैं। हिन्दी में ये बहुत कम दिखाई देती हैं। इस संदर्भ में भी शोधार्थी तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। किन कारणों से हिन्दी लेखकों पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव सीमित है और किस दिशा में है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं का भी अपना महत्व है। विज्ञान का प्रभाव भाषा, शब्द चयन और शैली पर भी दिखाई देगा।

इस संदर्भ में कुछ शोध विषय पर इस प्रकार हो सकते हैं :—(1) हिन्दी लेखकों पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव, (2) हिन्दी साहित्य का गणितीय स्वरूप और तुलनात्मक अध्ययन, (3) विज्ञान एवं तकनीकी के हिन्दी भाषा का स्वरूप, (4) तकनीकी हिन्दी का स्वरूप, (5) हिन्दी में विज्ञान पत्रकारिता आदि।

### (ग) तकनीकी शब्दावली

तकनीकी शब्दावली के संदर्भ में ज्ञातव्य है कि शब्द अपेक्षाकृत जल्दी-जल्दी बदलते हैं, इनकी परिभाषा बदल जाती हैं और नए शब्द गढ़े जाते हैं। तकनीकी शब्दावली को टेक्नोलॉजी के मुख्य भागों में बांट कर विषयवार शब्दावली का प्रकाशन आवश्यक है।

प्रत्येक 3 वर्ष बाद तकनीकी शब्दावली का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक प्रतीत होता है अन्यथा तकनीकी शब्दावली और तकनीकी विकास के बीच तालमेल नहीं होगा ।

बै०त०श० आयोग ने शब्दों को गढ़ा तो है लेकिन इनके प्रयोग-संवर्धन की दिशा में भी काम करना होगा। शब्दों को उनके निरन्तर प्रयोग के आधार पर ही प्रचलित करना सम्भव है ।

### (घ) हिन्दी के लिए तकनीकी विकास

हिन्दी के प्रसार में टेक्नोलॉजी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जब हिन्दी के लिए उपयोगी टेक्नोलॉजी कम कीमत पर उपलब्ध होगी तो हिन्दी का प्रसार तेजी से और आसानी से हो सकेगा ।

हिन्दी के लिए टेक्नोलॉजी का विकास अनेक स्थानों पर हुआ है, उनके बारे में सारी जानकारी एकत्रित करके विश्लेषण करना आवश्यक है । जिस तरह से हिन्दी के साहित्य का इतिहास लिखना आवश्यक है, उसी प्रकार हिन्दी के लिए टेक्नोलॉजी के विकास का इतिहास लिखना भी वांछनीय है । शोधार्थियों को इस विषय पर भारत सरकार के तकनीकी विभागों से जानकारी एकत्र करनी होगी । सूचना संग्रह एवं विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करना होगा ।

कुछ शोध विषय इस प्रकार प्रस्तावित हैं—1. हिन्दी के लिए टेक्नोलॉजी के विकास का इतिहास, 2. कम्प्यूटर से हिन्दी भाषा का शिक्षण, 3. कम्प्यूटर से भाषा विश्लेषण, 4. हिन्दी में कम्प्यूटर से शिक्षण की संभावनाएं, 5. हिन्दी के लिए टाइपराइटर का विकास, 6. हिन्दी के लिए टेलिप्रिंटर का विकास, 7. हिन्दी के लिए देवनागरी कम्प्यूटर का विकास, 8. भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास एवं राष्ट्रीय एकता, 9. हिन्दी में पेटेंट कराने की व्यवस्था 10. अनुवाद का मूल्यांकन, 11. विज्ञान प्रसार—समस्याएं और सम्भावनाएं, 12. ग्रामीण विकास के संदर्भ में भौतिकी के मूलभूत सिद्धान्त, 13. बेसिक अभिव्यक्ति शब्दावली, 14. बेसिक विज्ञान शब्दावली, 15. कम्प्यूटरेन शिक्षण सॉफ्टवेअर का समीक्षात्मक अध्ययन, 16. कम्प्यूटर के रचनात्मक सॉफ्टवेअर का विश्लेषणात्मक अध्ययन, इत्यादि ।

### 4. ध्वन्यात्मक आशुलिपि

भारतीय भाषाओं का आधार संस्कृत की वैज्ञानिक वर्ण माला देवनागरी है । यह ध्वन्यात्मक है जैसा बोले वैसा लिख सकें । आशुलिपि के क्षेत्र में भी अंग्रेजी में प्रयुक्त आशुलिपि पद्धति को येन-केन प्रकारेण अपनाने की कोशिश की गई है । हिन्दी का सामान्य आशुलिपिक अंग्रेजी के सामान्य आशुलिपिक की तुलना में बहुत कम संतोषजनक है । आशुलिपि पद्धति हिन्दी जैसी ध्वन्यात्मक भाषा के लिए अत्यन्त प्रभावी सिद्ध होगी । शोध करके ध्वन्यात्मक आशुलिपि प्रस्तुत की जाए ।

### 5.1 तकनीकी हिन्दी में एम०फिल० डिग्री

तकनीकी हिन्दी को कई विषयों के समागन विषय के रूप में समझा जा सकता है । इसमें हिन्दी साहित्य का परिचय, भाषा विज्ञान, तर्क सिद्धांत, कम्प्यूटर विज्ञान, अनुवाद विज्ञान को उनकी पारस्परिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है । सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "तकनीकी हिन्दी में एम० फिल०" की व्यवस्था करें और राजभाषा विभाग, हिन्दी अधिकारियों एवं विज्ञान अनुवादकों की नियुक्ति में इस डिग्री को प्राथमिकता दें । एम० फिल० पाठ्यक्रम में विषय इस प्रकार हैं :—

1. हिन्दी साहित्य परिचय, 2. सैट एवं सिस्ट्म्स थ्यौरी, 3. तर्क सिद्धांत, 4. भाषा विज्ञान, 5. कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, 6. अनुवाद के सिद्धांत, 7. कार्यशालाएं, 8. प्रोजेक्ट, 9. शोध-वैज्ञानिकों से भेंट (कम से कम दो) ।

प्रोजैक्ट के लिए दो गाइड हों—एक हिन्दी भाषा से और दूसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी से ।

**प्रवेश योग्यताएं :** एम० एस०-सी० बी० ई०/बी० टेक०/एम० बी० बी० एस०

अवधि —एक वर्ष ।

### 5.2 तकनीकी लेखन प्रशिक्षण

तकनीकी विभागों में कार्यरत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को समाज हितार्थ लोक भाषा हिन्दी में तकनीकी विषयों पर लिखने और चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाए । इसके लिए दो सप्ताह की तकनीकी लेखन कार्यशालाएं तकनीकी विभागों में आयोजित की जाएं ।

### 5.3 विशेष प्रयोजनमूलक हिन्दी

विशेष प्रयोजनमूलक (वि० प्र०) तकनीकी हिन्दी का विकास आवश्यक है । तकनीकी के विविध विषयों के लिए वि० प्र० हिन्दी पर मानक पुस्तकें तैयार की जाएं ।

### 5.4 तकनीकी संगोष्ठियां

हिन्दी में वैज्ञानिक विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए ।

### 6. तकनीकी विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के सभी तकनीकी विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां है । ये प्राय: हिन्दी में पत्राचार, मुहरों और अनुवाद पृष्ठों की संख्या तक ही सीमित रहती हैं । प्रस्ताव है कि तकनीकी विभागों में हिन्दी कार्यान्वयन का समीक्षा के मापदण्ड हों :—

(1) कितने प्रतिशत रिपोर्टें मूलरूप में लिखी गई ?

(2) कितने प्रतिशत शोध स्तरीय विज्ञान चर्चाएं हिन्दी में आयोजित की गई ?

(3) लोक भाषा में विज्ञान प्रसार की दृष्टि से कितने प्रकाशन किए जा रहे हैं ?

(शेष पृष्ठ 8 पर)

# तकनीकी ज्ञान का माध्यम हिन्दी

—प्रोफेसर जे० एल० बंसल

**1. प्रस्तावना**

तकनीकी क्षेत्र अथवा उद्योग में आने वाले व्यक्तियों को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम तो वे जिन्होंने किसी प्रकार का औपचारिक ज्ञान न प्राप्त करके व्यावहारिक परिपक्वता इतनी प्राप्त करली कि वे इस क्षेत्र की आधारशिला बन गये। इसमें हमारा प्रबुद्ध व्यापारी उद्योगपति तथा कुशल कारीगर वर्ग आता है। द्वितीय वर्ग वह है जिसने औपचारिक ज्ञान प्राप्त किया है। जिसमें हमारे तकनीकी, वैज्ञानिक तथा इस क्षेत्र की नीति निर्माण करने वाले प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। मैं इस दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इस वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में तथा किसी न किसी अवस्था पर किसी विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी महाविद्यालय से जुड़ा था अथवा जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी जैसे प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमको देखना होगा कि इस वर्ग के व्यक्तियों की शिक्षा दिक्षा किस माध्यम से और कैसे वातावरण में हुई है।

**2. विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा**

यद्यपि हिन्दी का प्रयोग विश्वविद्यालयों में कला, सामाजिक ज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु विज्ञान तथा तकनीकी जैसे विषयों में स्थिति आज भी बहुत कुछ वैसी ही है जैसी स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले थी। जब मैं यह कह रहा हूं तो मेरा अभिप्राय इस बात से है कि विज्ञान तथा तकनीकी में आज भी 80 से 85 प्रतिशत साहित्य हमको अंग्रेजी भाषा में ही मिलता है और इसकी शिक्षा भी इसी माध्यम द्वारा होती है। शिक्षा की दृष्टि से हम अपने तकनीकी ज्ञान देने वाले महाविद्यालयों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम तो भारतीय तकनीकी संस्थान तथा आई०आई० एस०सी० बंगलौर आते हैं जिनको विश्वविद्यालयों जैसी मान्यता प्राप्त है। दूसरे क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय आते हैं जो कि प्रत्येक राज्य में एक-एक हैं। तीसरे विश्वविद्यालय के अंग इंजीनियरिंग संकाय के रूप में विद्यमान हैं। यद्यपि इन तीनों प्रकार के महाविद्यालयों का लक्ष्य एक ही प्रकार की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है। परन्तु फिर भी यहाँ से निकले हुए विद्यार्थियों का सामाजिक स्तर भिन्न-भिन्न होता है। इसके लिए थोड़ा इन महाविद्यालयों की पढ़ाई के माध्यम पर गौर करें। जहाँ तक आई० आई० टी० और आई० आई० साइंस का प्रश्न है, यहाँ अंग्रेजी का बोलबाला है। यहाँ से निकला हुआ प्रत्येक छात्र विदेशी में नौकरी ढूंढता है और जैसा आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा इनमें से 80 प्रतिशत छात्रों को वहाँ कार्य मिल भी जाता है। दूसरे शब्दों में हम इन महाविद्यालयों में अमेरिका जैसे साधन सम्पन्न देश के लिए अपने तकनीकी विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं। दूसरे स्तर पर हमारे क्षेत्रीय और विश्वविद्यालयों के तकनीकी महाविद्यालय आते हैं जहाँ शिक्षा का माध्यम मिला जुला है। यहाँ का निकला हुआ तकनीकी विशेषज्ञ अधिकतर देश के अन्दर ही नौकरी पाता है, पर उसका रुझान अंग्रेजी की ही ओर रहता है। इसका कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था है। क्योंकि आज भी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को अंग्रेजी में ही शिक्षण दिया जाता है। हमारी कुछ ऐसी मान्यता बन गई है कि अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग शासक है और अगर शासन करना है तो अंग्रेजी बोलो। यहाँ तक कि तकनीकी क्षेत्र में भी यही प्रशासनिक अधिकारी मुख्य भूमिका निभाने लगे, यद्यपि उनका तकनीकी ज्ञान अल्प अथवा नगण्य ही था। जब तकनीकी विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया तो आज अवस्था बदलने लगी है और बहुत कुछ स्थानोंपर तकनीकी निदेशक, तकनीकी विशेषज्ञ ही कार्यरत है। परन्तु लोग भी प्रशासन की उसी परिपाटी को पकड़े हुए हैं और जनता से कटे हुए हैं।

**3. तकनीकी साहित्य**

साहित्य की रचना विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का प्रबुद्ध वर्ग करता है और इस वर्ग के अधिकांश व्यक्ति अंग्रेजी से कुछ इस प्रकार से जुड़े गये हैं कि उनकी मान्यता हो गई है कि विज्ञान तथा तकनीकी जैसे विषयों को हिन्दी माध्यम से पढ़ना या पढ़ाना एक दुष्कर कार्य है। निस्सन्देह विज्ञान और तकनीकी में बहुत तीव्र गति से प्रगति हो रही है। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विदेशों में होने वाले अनुसंधानों के बारे में सामान्य ज्ञान रखें। जब हम "तकनीकी ज्ञान का माध्यम हिन्दी" के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब रूस, जर्मनी, जापान, जैसे देश, जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, अगर वे केवल प्रगति ही नहीं बल्कि दुनियां के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में चोटी के देश माने जाते हैं तो हम क्यों नहीं हिन्दी माध्यम से प्रगति कर सकते? इसके लिए हमें अपने विज्ञान और तकनीकी साहित्य का हिन्दी में सृजन करना होगा तथा साथ ही विदेशी साहित्य का अनुवाद करना होगा। यहां यह मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि हम हिन्दी भाषियों को थोड़ा उदार बनना होगा। यह परिवर्तन का समय है,



3—110 अेम० ऑफ एच० ए० (एन० डी०)/86

हमको आवश्यकतानुसार अंग्रेजी शब्दों को ले लेना होगा और क्लिष्ट अथवा साहित्यिक हिन्दी पर बल ना देकर सरल भाषा में तकनीकी साहित्य लिखना होगा । अगर आप देखें तो तकनीकी शब्द भी अंग्रेजी टेकनिकल शब्द से ही लिया गया है । इसी प्रकार मुझे तो कोई दोष नहीं दिखाई देता अगर हम इंजीनियरिंग, इंजीनियर जैसे शब्दों का उपयोग अभियांत्रिकी या अभियन्ता की जगह करें । ये दिन प्रतिदिन कार्य में आने वाले शब्द हैं और हिन्दी या देश की अन्य भाषा बोलने वालों के लिए भी सरल शब्द हैं । मेरी दृष्टि में तो हिन्दी को सागर के समान बनाना होगा जिसमें आकर अनेक नदियां मिलती है । इससे यह लाभ होगा कि हमारे अहिन्दी भाषी क्षेत्र के वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की बोलचाल की भाषा के ज्ञान से साहित्य को समझने में आसानी होगी और इस प्रकार हिन्दी का प्रयोग बढ़ सकेगा ।

4. लक्ष्य की प्राप्ति

प्रश्न यह उठता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से कैसे अग्रसर हों । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ओर तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा सरकारी स्तर पर यह कार्य सौंपा जाना चाहिये कि अधिक से अधिक विज्ञान तथा तकनीकी साहित्य का सरल हिन्दी में अनुवाद हो तथा दूसरी ओर हमें अपने वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों को हिन्दी में साहित्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । अगर हम ऐसा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे ।

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
गणित विभाग, राजस्थान
विश्वविद्यालय, जयपुर

---

(पृष्ठ 6 का शेषांश)

(4) विभागीय राजभाषा यूनिट ने कितने वैज्ञानिक को मौलिक प्रस्तुतीकरण के लिए प्रेरित किया ?

(5) विशेष प्रयोजनमूलक तकनीकी हिन्दी के विकास में क्या योगदान रहा है ?

**7. कम्प्यूटर से भाषा शिक्षण से शोध प्रवृत्ती का विकास**

एक सर्वेक्षण से पता लगा है कि जिन बच्चों में भाषायी अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी होती है, वे गणित और विज्ञान में भी अच्छे होते हैं । इसलिए आवश्यक है कि भाषा शिक्षण के लिए कंम्प्यूटर सॉफ्टवेअर इस प्रकार तैयार किया जाए कि इससे बच्चों में आविष्कारात्मक खोज प्रवृत्ति का विकास हो । वे पर्यावरण से प्रकृति के सिद्धांतों को समझने लगें और आविष्कारोन्मुखी बनें । यह चुनौतीपूर्ण कार्य है । इसके लिए देश के कम्प्यूटर वैज्ञानिक, शिक्षाविद्, मनोवैज्ञानिक के समन्वित प्रयास अपेक्षित हैं ।

**8. हिन्दी तकनीकी विकास केन्द्र**

हिन्दी के लिए तकनीकी विकास पर बल देना सामयिक आवश्यकता है । तकनीकी हिन्दी को विकसित करने के लिए भी समन्वित प्रयास अपेक्षित हैं । इस कार्य को समन्वित ढंग से संचालित करने के लिए "हिन्दी तकनीकी विकास केन्द्र" की स्थापना की जा सकती है ।

**संदर्भिका**

ओम विकास— 1983 : विज्ञान में हिंदी अनुवाद : **बहुभाषिकता एवं अनुवाद संगोष्ठी**, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली (1–3 फरवरी, 1983)

1983 : तकनीकी हिंदी का प्रादुर्भाव, **इलेक्ट्रानिकी भारती** (1983)

1983 : हिंदी में टंकण, मुद्रण तथा कम्प्यूटर के प्रयोग की व्यवस्था **विश्व के मानचित्र पर हिंदी** (वि० द० प्र० निदेशालय, 1983), पृ० 21–38

1983 : देवनागरी कम्प्यूटर की उपयोगिता, **आविष्कार** जनवरी 1983, पृ० 11—13

(संयोजन) 1983 : भारतीय भाषाओं के लिए सूचना कोड एवं कुंजी पटल का मानकीकरण, **इलेक्ट्रॉनिकी विभाग**, जुलाई 1983

1984 : तकनीकी हिंदी का विकास : एक रूपरेखा **गवेषण** (केन्द्रीय हिंदी संस्थान, जनवरी 1984), पृ० 43—63

1985 : तकनीकी हिंदी का विकास : शोध की नई दिशाएं, **गवेषणा** (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान)

1986 : प्रस्तुति "तकनीकी हिन्दी का विकास" कार्यशाला, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (जनवरी 1986)

1986 : स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तुति— तकनीकी हिन्दी का प्रयोग एवं विकास तकनीकी हिन्दी कार्यशाला, 15, 16, 17 मार्च 1986.

"तकनीकी हिन्दी का प्रयोग एवं विकास" कार्यशाला आई० आई० टी० कानपुर, 15–17 मार्च, 1986 में प्रस्तुत □

# हिन्दी और तकनीकी शिक्षा—संभावनाएं और सीमायें

—डॉ० धर्मेन्द्र कुमार

यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 39 वर्ष बीत जाने पर भी हमारे तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन का माध्यम हिन्दी में सक्रिय, सार्थक और सफल रूप से नहीं हो पाया है । स्नातक स्तर की शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी का उपयोग लगभग नगण्य है तथा डिप्लोमा स्तर की शिक्षण संस्थाओं में भी यह प्रयास अपंग है । यह स्थिति उत्साह वर्धक तथा आशावादी नहीं मानी जा सकती । ऐसी विचित्र स्थिति बन गई है कि इसके विषय में यदि कोई गहराई से चर्चा करना भी चाहता है तो उसके प्रयास को लगभग उपहास मात्र माना जाता है । यह बात सच है कि हर वर्ष "हिन्दी दिवस" मनाया जाता है, मंच से संकल्प दोहराए जाते हैं, नारों द्वारा हिन्दी की उपादेयता को उद्घोषित किया जाता है और इसके पश्चात् सभा विसर्जन के साथ ही सारा प्रयास और उत्साह एक लम्बे अरसे के लिये फिर ठंडे बस्ते में बांध दिया जाता है ।

### हिन्दी की उपादेयता

2. मौखिक रूप से तकनीकी शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी की उपादेवता को अधिकांश व्यक्ति स्वीकार करते हैं । जर्मनी, जापान, रूस, चीन और अन्य देशों का उदाहरण देकर बार-बार यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि जब उन देशों में अपनी-अपनी भाषा के माध्यम से सर्वोच्च शिक्षा, गवेषणा, तकनीकी शिक्षा इत्यादि पूर्ण रूप से सफल है तो कोई कारण नहीं कि भारत में ऐसा नहीं किया जाये । हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या हिन्दी भाषी है, इसे नगण्य हिन्दी विरोधी कट्टर पंथिओं के अलावा सभी स्वीकार करते हैं। यह भी माना जाता है कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता के समय और स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान भारत में बहुत कम लोगों को है, सम्भवतः पांच से सात प्रतिशत से अधिक नहीं है । इस परिस्थिति का दुष्परिणाम हम प्रत्यक्ष रूप से आज देख रहे हैं । हमारे अनेक मेधावी छात्र अंग्रेजी भाषा के अपूर्ण और असंतोषजनक ज्ञान के कारण कुण्ठाग्रस्त हो रहे हैं, यथोचित प्रगति नहीं कर रहे हैं, शिक्षा सार्थक नहीं हो रही है, जनजीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है और वर्गभेद कम होने के स्थान में अधिक भीषण हुआ है । लगभग चालीस वर्षों के प्रयत्नों के फलस्वरूप जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी है और जहां-तहां रचनात्मक दृष्टिकोण कार्यप्रणाली और उपलब्धियो का स्पष्ट अभाव दिखता है । हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए ये नारे समय-समय पर लगाये जाते हैं और प्रकाशित किये जाते हैं ।

3. ऐसा मालूम होता है कि हिन्दी की बातचीत एक मुखौटा मात्र है, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि इसके प्रचार-प्रसार के लिए निर्णयात्मक प्रयास न किये जायें । उपरोक्त कथन में यह विचारधारा नहीं है कि अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी को जबरन लादा जाय । हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश यदि सही रूप में हिन्दी को अपनाने का संकल्प कर लें और अन्य प्रदेशों को अपनी-अपनी भाषाओं में अध्ययन अध्यापन का मार्ग प्रशस्त करने दें, तो देश की प्रगति की गति बहुत बढ़ सकती है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प नहीं है । तकनीकी और अन्य व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को कायम रखने का प्रयास एक दुराग्रह मात्र है । इसमें परिवर्तन करने में जितना विलम्ब किया जायेगा उसकी कीमत उतनी ही अधिक राष्ट्रीय हानि के रूप में चुकानी पड़गी । यह लगभग असम्भव है कि हम देश के करोड़ों लोगों को अंग्रेजी के माध्यम से आधुनिक ज्ञान दे सकें । इस विषमता की स्थिति का ढांचा कब चरमरा उठेगा यह कहना कठिन है परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक उत्तरोत्तर असंतोष कारक स्थिति का निर्माण हो रहा है ।

4. हिन्दी को तकनीकी शिक्षा के माध्यम के रूप में सार्थक रूप से न अपनाये जाने के कई तर्क दिये जाते हैं जो बहुत लचर हैं और अज्ञान की पराकाष्ठा हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आचार्य रघुवीर और कतिपय अन्य विद्वानों ने शब्दावली निर्माण का जो प्रारंम्भिक किन्तु अत्यन्त प्रशंसनीय भगीरथ प्रयत्न किया था उसको आधार बनाकर हिन्दी भाषा के उपयोग का उपहास किया जाता है । इस बात को सर्वथा भुला दिया जाता है कि वे प्रयत्न भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी के रूप में हैं और उस स्थिति से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अनेक व्यावहारिक और सत्यपरक निर्णय ले चुके हैं । भाषा के प्रचार के लिये अन्य भाषाओं के शब्दों का, विदेशी शब्दों का स्वीकार होना, उनका प्रयोग किया जाना अब किसी विवाद की बात नहीं रह गई है । तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस मार्ग को प्रशस्त करने में प्रशंसनीय

कार्य किया है । इसी तर्क का दूसरा पहलू भी बड़े आश्चर्यजनक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है । यह दलील दी जाती है कि तकनीकी शिक्षा के लिये या अन्य व्यावसायिक शिक्षा के लिये सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये जिसे आम आदमी समझ सके । भाषा को सरल और स्पष्ट रखने के बारे में दो मत नहीं हो सकते, परन्तु विचारणीय है कि क्या किसी भी तकनीकी विषय या व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित जो शब्दावली अंग्रेजी में या विश्व की किसी भी भाषा में उपयोग में लायी जाती है उसे उस भाषा की जानकारी रखने वाला सामान्य व्यक्ति समझ सकता है ? भाषा को सजीव रखने के लिए उसके निरन्तर परिवर्तन और परिवर्धन की प्रवृत्तियों को रोका नहीं जा सकता । सरल शब्दों की महत्ता सभी स्वीकार करते हैं परन्तु तकनीकी विषयों के कठिन प्रसंगों को केवल सरल भाषा में अभिव्यक्त करना सम्भव नहीं है और इसके आधार पर हिन्दी के प्रयोग को रोकने का प्रयास हमारा अज्ञान है ।

5. और भी अनेक तर्क देकर तकनीकी शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का विरोध किया जाता है । इसमें से कुछ इस प्रकार है :—

(i) हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे विद्यार्थी, ज्ञानोपार्जन के लिये विदेश जाने के उपयुक्त नहीं रहेंगे । इसके कई पहलू हैं । हमारे कितने छात्र विदेश जाते हैं, क्या हमारे छात्र ऐसे देशों में उच्च शिक्षा के लिये नहीं जाते जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं है, क्या छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये भेजना हमारी राष्ट्रीय नीति है, क्या गिनती के कुछ छात्रों के लिये 99वे प्रतिशत या उससे भी अधिक छात्रों पर अंग्रेजी का बोझ लादना उचित है, क्या जो छात्र विदेश शिक्षा के लिये जाना चाहते हैं अंग्रेजी, जर्मन, रूसी या जापानी भाषा का विशेष अध्ययन नहीं कर सकते ? इन सब प्रश्नों पर विचार करने में यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त दलील राष्ट्रीय हित में नहीं है ।

(ii) उपयुक्त पुस्तकों और गवेषणा पत्रिकाओं की हिन्दी भाषा में कमी और उनकी अनुपलब्धि हिन्दी के शिक्षण माध्यम होने के विरोधी समालोचकों का एक जबर्दस्त हथियार रहा है । अगर इस तर्क में सच्चाई भी मान ली जावे तो भी इसके आधार पर हिन्दी को न अपनाना सही नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय में आवश्यक पुस्तकें और प्रकाशन उपलब्ध हो जायेंगे । अनेक ऐसे नये विषय हैं जिनके बारे में कुछ वर्षो पहले तक अंग्रेजी में पर्याप्त प्रकाशित सामग्री उपलब्ध नहीं थी और पांच सात वर्ष की अवधि में ही उन विषयों से संबंधित प्रकाशित साहित्य का अम्बार लग गया है । "मुर्गी पहले या अण्डा" कहावत को चरितार्थ करने वाला यह तर्क हमारी अदूरदर्शिता का परिचायक है ।

(iii) भाषायी संकीर्णता, क्षेत्रीयवाद और साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन न देने के लिये अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखने की दुहाई दी जाती है । यह भी कहा जाता है कि विद्वानों और विद्यार्थियों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आदान-प्रदान के लिये अंग्रेजी को कायम रखना अनिवार्य है । इन विचारों में विकट विरोधाभास है । क्या यह मान्यता सही है कि हमारे सारे छात्रों पर अंग्रेजी का भार लाद दिया जावे क्यों कि हम एक दूसरे प्रदेश की भाषा को अधिक कठिन मानते हैं ? क्या यह अधिक युक्तिसंगत नहीं होगा कि जिस प्रदेश में छात्र या विद्वान अध्ययन/अध्यापन के लिये जाते हैं इस प्रदेश की भाषा सीखने के लिये उन्हें उपर्युक्त और उचित प्रोत्साहन और अवसर दिये जावे, क्या सारे देश में सामान्य तकनीकी शब्दावली अपनाने के बाद यह कठिनाई बहुत कम नहीं हो जावेगी, क्या हमारे समान विस्तृत बहुभाषा वाले देश के लिये यह उपादेय नहीं है कि हमारे विद्यार्थी और विद्वान एक से अधिक भारतीय भाषाओं की जानकारी रखें, क्या देश में राष्ट्रीय समरूपता लाने के लिये अंग्रेजी को कायम रखना सम्भव है ? उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करने से यही बात उभरती है कि हमारे राष्ट्र के विकास के लिये जनसाधारण का विकास आवश्यक है, उनका सहयोग आवश्यक है और यह अंग्रेजी के माध्यम से सम्भव नहीं है ।

### हिन्दी का उपयोग—अवरोध और सीमायें

6. व्यापक राष्ट्रहित के संदर्भ में तकनीकी शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का इतना महत्व होते हुए भी इस दिशा में हमारी उपलब्धियां काफी निराशाजनक रही हैं इसके अनेक कारण हैं :—

(i) इसे नकारा नहीं जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी के उपयोग के प्रयास सक्षम और उत्साहवर्धक नहीं रहे । इसका परिणाम यह निकला कि कतिपय विद्वान जो इस दिशा में काफी सक्रिय और उत्साही थे, वे भी अब हतोत्साहित होकर उदासीन होने लगे हैं । अल्पसंख्या में जिन विद्वानों ने सतत क्रियाशीलता और धैर्य के साथ हिन्दी लेखन का कार्य किया हैं वे जानते हैं कि इस कार्य में आय और व्यावसायिक ख्याति इतनी क्षीण है कि उसका इसमें लगे समय, श्रम और शक्ति से कोई तालमेल नहीं है । अन्य तुलनात्मक

तकनीकी गतिविधियां इससे कई गुना लाभकारी और यशदायक हैं । प्रथम तो हिन्दी में लेखन कार्य वर्तमान संदर्भ में काफी कठिन है और इतनी चेष्टा के बाद लिखी गई पुस्तकों का प्रचलन और वितरण अत्यन्त सीमित होता है । इतना कहना पर्याप्त होगा कि अगर केन्द्र और राज्य सरकारें चाहती तो हिन्दी की पुस्तक लिखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती और अभी तक उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण और प्रकाशन हो जाता । मूल पुस्तकों के लेखन और अन्य विकसित भाषाओं में छपी पुस्तकों की अनुवाद की पारिश्रमिक दरें इतनी कम रही है कि वे रचनात्मक और प्रामाणिक साहित्य सर्जन के लिये गम्भीर लेखकों को प्रोत्साहित नहीं करती । इस दिशा में यदि सुधार नहीं किया गया तो उत्साहवर्धक परिणाम निकलना लगभग असम्भव है । यह शाश्वत सत्य है कि आदमी केवल रोटी मात्र से ही जीवित नहीं रहता, उसे अन्य निःस्वार्थ और देश भक्ति से परिपूर्ण विचारों से भी प्रभावित किया जाना चाहिये । परन्तु अपर्याप्त एवं गलत ढंग से दार्शनिक के समान तर्क करना भारतीयों का विशिष्ट लक्षण है, जिसके कारण श्रेष्ठ कार्य भी सक्षम रूप से नहीं हो पाता है।

यदि उचित पारिश्रमिक और अच्छे प्रसार तथा अच्छी बिक्री के सही तरीके अपनाये गये होते तो हमारा प्रयोजन कई गुना आगे बढ़ गया होता ।

(ii) भारत वर्ष में हम कोई भी कार्य आरम्भ होने के पहले से ही गलतियां दूर करने का एक जबर्दस्त आतंक लिये फिरते हैं । इसी कारण हमारी लगभग सभी योजनायें विलम्ब से निष्पादित होती हैं और उनके पूरे होने तक व्यय कई गुना बढ़ जाता है । यही हालत हिन्दी के प्रचार-प्रसार की रही है । सावधानी वांछनीय है किन्तु आवश्यकता से अधिक सावधानी हमें बनावटी और अविश्वासी क्रियाकलापों की ओर ढ़केलती है । घटिया किस्म की पुस्तकें प्रकाशित न हो जावे इस विचार से हम इतने बाध्य रहे हैं कि अपेक्षाकृत कम पुस्तकों का प्रकाशन कर सके हैं, कम लेखकों को आकर्षित कर सके हैं, और यह सब होते हुए भी प्रकाशित पुस्तकों की श्रेष्ठता के बारे में अनेक विवाद हैं । इतने महान कार्य सम्पादित करने के प्रयास में कुछ घटिया किस्म की पुस्तकों और प्रकाशनों का उत्पादन अपरिहार्य है । यदि हम इस प्रक्रिया को लगातार जीवन्त और सक्षम रखें तो घटिया प्रकाशन शीघ्र अधिकाधिक उत्तम प्रकाशनों द्वारा यथासम्भव विस्थापित होते रहेंगे । दुख इस बात का है कि अपने दृष्टिकोण के कारण हम न तो इस प्रयास को व्यापक बना सके और न सक्षम कर सके ।

(iii) तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा है । इतने महत्वपूर्ण कार्य में हमने इतना विलम्ब किया यह हमारी दूर दृष्टि और विवेक के बारे में बड़ा प्रश्न चिन्ह है । हमनें प्रत्येक महत्वपूर्ण गवेषणा के क्षेत्र में अलग-अलग स्वतंत्र प्रतिष्ठानों की स्थापना की है ताकि सैकड़ों वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ एकजूट होकर काम कर सकें । यदि इसी तरह का प्रतिष्ठान तकनीकी साहित्य के संदर्भ में बना दिया जाये तो विभिन्न विषयों में तकनीकी साहित्य का निर्माण और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो सकता है । पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखनें से इसमें बहुत कम पैसा खर्च होगा और उसके परिणाम सामने आने में अधिक विलम्ब नहीं होगा । इन विद्वानों के अतिरिक्त लेखन कार्य कालेजों और विश्वविद्यालयों में भी होता रहेगा । महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इस कार्य को कितनी गम्भीरता से करना चाहेंगे । आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल नारेबाजी से हटकर इस दिशा में ठोस और व्यावहारिक कदम उठायें । विद्वानों और विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि कम पारिश्रमिक, अधूरे समर्थक प्रयास, कम व्यावसायिक ख्याति और सरकार की उदासीनता को दूर किया जाये । इतने विशाल कार्य क्षेत्र के लिये हमारा राष्ट्रीय निवेश बहुत सीमित रहा है इसी कारण प्रगति असंतोषजनक और सीमित रही है ।

7. हम इस विचारधारा का प्रतिपादन नहीं करते कि अंग्रेजी को हटा दिया जाये । ब्रिटिश शासन द्वारा छोड़ी गई अंग्रेजी की विरासत एक कृत्रिम परन्तु मूल्यवान वरदान स्वरूप है । लेकिन इस भाषा को सीखने के लिये उन सभी छात्रों को, जो तकनीकी शिक्षा के अभिलाषी हैं बाध्य नहीं किया जाना चाहिये । देश के विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ मेधावी छात्रों को अंग्रेजी और अन्य उन्नत भाषाओं की शिक्षा देना अनिवार्यतः वांछनीय है क्योंकि महत्वपूर्ण और उपयोगी साहित्य सृजन के लिये भाषायें सशक्त माध्यम है जिनकी हम अनदेखी नहीं कर सकते । परन्तु यह वांछनीयता सभी तकनीकी शिक्षार्थियों पर अंग्रेजी का बोझ लादने की समानार्थी नहीं है, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है ।

—प्रोफेसर
मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग
कालेज, जयपुर

□


4—110 एम० आफ एच० ए०/एन०डी०/86

# उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी भाषा का सरलीकरण एवं एकरूपता

—शमीम अख्तर

हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ एक और अभियान चला कि उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग प्रारंभ किया जाये । यह उचित भी था कि जो भाषा हमारी राष्ट्रीय एवं राजभाषा हो उसी में हमें उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र के शब्दों का पर्याय मिले । यह निर्णय और आकांक्षा अपने आप में परिपूर्ण और महत्वपूर्ण हो सकते हैं किन्तु इसका पथ बड़ा विकट और लम्बा है । अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । हम कुछ सीमा तक तो उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग करते हैं, किन्तु पूर्ण रूप से औद्योगिक और तकनीकी शब्दों का हिन्दीकरण नहीं किया जा सकता ।

यह कहना पुनरावृत्ति हो सकती है कि हमारे देश में विभिन्न भाषा-भाषी लोग रचते-बसते हैं । हर दस कोस पर बोली बदल जाती है । जब दस कोस की भाषा-बोल-चाल पृथक है तो आप कल्पना करिये कि कितनी भाषाएं और बोलियां लोग बोलते हैं । भाषा के नाम पर पृथक राज्यों की मांग करने से भी लोग कतराते नहीं है । पंजाब में चण्डीगढ़ के विलय का आधार गांवों में बोली जाने वाली भाषा को ही माना गया है । जब हम भाषा की विविधता को स्वीकार करते हैं तो भाषा की एकरूपता कुछ कठिन लगती है । भाषा का सरलीकरण अवश्य किया जाना चाहिए ।

हम यह देखते हैं कि जो भी उद्योग-धन्धे और कारबार हमारे समाज में चलते रहे हैं, उनमें काम आने वाले औजारों, उपकरणों का नाम भी स्थानीय भाषा में अलग-अलग है । सभी लोग जब दिन-प्रतिदिन काम में आने वाले उपकरणों को अलग-अलग बोली में अलग-अलग रूप से व्यक्त करते हैं यहां तक कि मानवीय सम्बन्धों को भी एक सर्वमान्य शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता जैसे मां को कोई मदर कहता है तो कोई अम्मा, कोई मम्मी बोलता है तो कोई आई, कोई बाई कहता है तो कोई माता या मातृ अनेक सम्बोधनों से एक रिश्ते को पुकारा जा सकता है । इसी तरह औद्योगिक व तकनीकी क्षेत्र में काम में आने वाले उपकरणों के भी बहुत से जुदा-जुदा नाम हैं । जैसे आरी, छैनी, फावड़ा, कुदाली को अलग-अलग बोलियों में अलग-अलग शब्दों से पुकारा जाता है परन्तु हथौड़ा, हथौड़ा ही रहता है तो पेचकस, नट-बोल्ट, कील, घिरनी, गिरारी ये शब्द प्रायः आम बोलचाल के शब्द हैं जो हर कोई समझता है ।

यह देखने में आता है कि जो हमारे यहां कुटीर उद्योग वर्षों से चले आ रहे हैं तथा जो कारोबार स्थानीय होते हैं उनमें काम में आने वाले उपकरणों, साधनों एवं प्रक्रिया को व्यक्त करने वाली भाषा भिन्न हो सकती है । किन्तु मशीनीकरण एवं बड़े उद्योगों में काम में आने वाले उपकरणों, प्रक्रिया आदि में हिन्दीकरण काफी हद तक किया जा सकता है । स्थानीय बोली में प्रयुक्त शब्दों का हिन्दी-करण उतना आसान नहीं है । आम बोलचाल के शब्दों का परित्याग करना बड़ा दुष्कर है । उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र में कुछ सीमा तक हिन्दी भाषा में एकरूपता लाई जा सकती है तथा सरलीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है ।

हम यूं कर सकते हैं कि उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दीकरण को एकरूप एवं सरल उस सीमा तक किया जाये जहां तक वह सुबोध्य हो, आसानी से समझ में आने वाली हो । हम स्थानीय शब्दों को, जो प्रचलन में हैं उन्हें भी पर्याय रूप में दे सकते हैं । हिन्दी भाषा का एक सरल शब्द देकर शेष प्रचलित शब्दों को दे दिया जाये तो हिन्दी भाषा सम्पन्न ही होगी । हमें अन्य भाषाओं का तिरस्कार या अपमान नहीं करना है । यदि अन्य भाषा-भाषियों द्वारा बोले जाने वाले शब्द भी हिन्दी भाषा में मिलेंगे तो उनमें आत्मीयता की भावना उत्पन्न होगी । उद्योग और तकनीकी जो भारतवर्ष में नहीं जन्में हैं, जिनका उद्भव विदेशी भूमि पर हुआ है उनके पर्याय शब्द हमें हिन्दी भाषा में नहीं तलाशने और तराशने चाहिए । इससे हिन्दी भाषा में क्लिष्टता बढ़ेगी । जैसे मशीन शब्द है । यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है । आप हमको सभी को समझ में आता है । यदि इसका हम हिन्दी पर्याय खोजते

हैं तो उचित नहीं है । कुछ शब्दों का हिन्दीकरण किया भी गया है पर उससे वही आशय एकाएक परिलक्षित नहीं हो पाता । अत: हमें हिन्दी को समृद्ध करने के लिए विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने में हिचक नहीं करनी चाहिए ।

रहा प्रश्न सरलीकरण का, वह तो होना ही चाहिए । भाषा जितनी सरल होगी उतनी सुग्राह्य । लोग उसे सीखने समझने में उत्सुकता दर्शायेंगे । भाषा जितनी क्लिष्ट होगी उतना ही लोग उसके प्रयोग से कतरायेंगे । उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी भाषा का सरलीकरण होना भी नितान्त आवश्यक है । सरलीकरण और एकरूपता एक दूसरे से सम्बद्ध हैं । एकरूपता पर कठोर दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो भाषा का सरलीकरण स्वत: ही हो जायेगा । यह देखा गया है कि जो भाषा सरल है वह जनसाधारण द्वारा आसानी से अपनायी जाती है । हिन्दी भाषा के शब्द यदि सरल होंगे तो उद्योग और तकनीकी के क्षेत्र में लोग अधिक से अधिक हिन्दी भाषा को अपनाने लगेंगे । हिन्दी भाषा की क्लिष्टता के कारण ही हम अब तक अंग्रेजी भाषा को छोड़ नहीं पाये हैं । उद्योग धन्धों, तथा तकनीकी क्षेत्र में सारी "टर्मिनोलाजी" अंग्रेजी में होने के कारण ही, कामकाज कार्यवाही अंग्रेजी में होती है । बहीखाते हिन्दी में नहीं रखे जाते । पत्र-व्यवहार में अंग्रेजी के प्रयोग को अधिक प्रभावी माना जाता है । निजी उद्योगों में अंग्रेजीदां लोगों को जानबूझकर रखा जाता है । उच्च तकनीकी कार्य को संभालने वाले अधिकारी भी प्राय: हिन्दी माध्यम से नहीं पढे होते हैं । जिस भाषा में उन्होंने सीखा है उस भाषा में अपने को व्यक्त करने में उन्हें आसानी रहती है ।

इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम क्यों न ऐसा करें कि जिस स्तर से व्यावसायिक अध्यापन प्रारंभ किया जाता है, वहीं से हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया जाये । धीरे-धीरे उच्चतर शिक्षा में हिन्दी का समावेश किया जाये । हमें इस हेतु पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री हिन्दी भाषा में उपलब्ध करानी होगी । जैसे हमनें विज्ञान के क्षेत्र में किया है कि भौतिक, रसायन एवं जीवविज्ञान की स्कूल व कालेज स्तर की पढ़ाई में हिन्दी माध्यम को काफी पहले से शुरू किया हुआ है । इसी तरह औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा में यह आरंभ किया जा सकता है ।

हिन्दी भाषा का प्रगति पथ हम आसान और कठिन दोनों ही बना सकते हैं । यदि हमारा संकल्प है कि हमें हिन्दी भाषा के प्रयोग-प्रसार-प्रचार को आगे बढ़ाना है तो हम इसे सरल बनाये तथा अन्य पर्यायों को सम्मिलित करें । क्लिष्ट शब्दों को भी पर्याय स्वरूप रखा जा सकता है ताकि उन लोगों के चिन्तन और विचारधारा को भी ठेस न लगे जो यह सोचते हैं कि भाषा को सरल बनाने एवं अन्य भाषाओं के शब्दों के समावेश से, हिन्दी भाषा का स्वरूप बदल जायेगा । अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाने से तो सहृदयता प्रकट होती है । उसका दायरा बढ़ता है । अत: हम यह कह सकते हैं कि उद्योग एवं तकनीकी के क्षेत्र में हम हिन्दी भाषा के प्रयोग को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं यदि हमारा दृष्टिकोण विनम्र होगा ।

—राजस्थान प्रशासनिक सेवा

**"प्रचार शब्द हिन्दी से अब निकाल देना चाहिए । हिन्दी अपने आप बढ़ेगी, किसी आन्दोलन से वह छोड़ी नहीं जाएगी ।"**

**— पी० वी० नरसिंहराव**

# प्रसार माध्यम और हिन्दी

—डा० महावीर सिंह

भाषा, संस्कृति की जननी है क्योंकि पीढियों के संचित अनुभव एवं ज्ञान को वह, आगामी पीढ़ियों के लिए प्रक्षेपित करती है । संप्रेषण, भाषा का प्रमुख दायित्व है । भारत जैसे विशाल देश में संप्रेषण की समस्या अत्यंत कठिन है । प्रायः भाषा के संबंध में विचार करते समय हम भाषा एवं साहित्य के भेद को भूल जाते हैं और भाषा के संदर्भ में हम साहित्य की चर्चा करते हैं और साहित्य के संदर्भ में भाषा को चर्चा करते हैं । हमारे समक्ष मूल समस्या साहित्य के संप्रेषण को हो नहीं है वरन् भाषा के संप्रेषण की समस्या भी है । प्रसार माध्यमों का मुख्य ध्यान भाषा के संप्रेषण पर केन्द्रित रहा है । हमारी साहित्य संबंधी अवधारणा चूंकि लिखित साहित्य तक सीमित रही है अतः हमने साहित्य के मौखिक वाचन, पठन, कथन और श्रवण पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं दिया है । हमारे देश की जनसंख्या का बहु-संख्यक भाग साक्षर न होने के कारण आज भी मुद्रित की अपेक्षा मौखिक साहित्य का श्रोता, भावक या आस्वादक है । इस प्रकार वह मुद्रित भाषा को अपेक्षा उच्चारत भाषा या चर्चा-वार्ता के रस का आस्वादक है। वह इस प्रकार के साहित्य का ग्राहक है जो साहित्य को बौद्धिक कसरत के स्तर पर स्वीकार नहीं करता वरन् उसके रस को सीधे सम्पर्क द्वारा प्राप्त करना चाहता है । वैष्णव-पंथ में इस प्रकार की वार्ताओं का अप्रतिम महत्व था । चौरासी वैष्णवों की वार्ता पुस्तक रूप में चाह जैसी हो लेकिन अपने मूल रूप में अवश्य ही क्रांतिकारी रही होगी । प्रवचन, कीर्तन, वार्ता, प्रबोधन आदि की प्राचीन परम्परा आज भी आल्हादकारी लगती है । वैदिक साहित्य का संरक्षण ही श्रुति द्वारा संभव हो सका था । आज मुद्रित साहित्य के युग में श्रोताओं का स्थान पाठकों ने ले लिया है अतः संख्या सिकुड़कर शून्योन्मुख है । भाषा और साहित्य की मौखिक परम्परा को हम त्याग नहीं सकते । आज के युग में मुखाग्र परम्परा रेडियो, टेलीविजन के कारण और अधिक प्रासंगिक हो चली है । पाठकों की अपेक्षा श्रोताओं की संख्या में विस्तार हो रहा है तथा साक्षरता की परिभाषा तक बदल गई है । अब बहुश्रुत व्यक्ति साक्षर के समान या उससे भी अधिक पढ़ा हुआ हो सकता है । लिपि की अपेक्षा मौखिक भाषा का महत्व कम नहीं आंकना चाहिए। पुस्तकों के द्वारा लिखित साहित्य का संरक्षण और परिवर्द्धन अवश्य होता है लेकिन साहित्य के मौखिक पक्षों को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मौखिक पक्ष ही भाषा के प्रसार में सहायक होता है । संगीत, गीत, वार्ता आदि के ध्वन्यंकन और फिल्मकंन आज की संस्कृति के मुख्य अंग हैं । भाषा का स्वरूप ही मौखिक है उसका प्राण उच्चारण है, उसका उद्देश्य संप्रेषण है और उसका ध्येय सम्पर्क है अतः भाषा के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करना समीचीन ही है । साहित्य के संदर्भ में यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हमने साहित्य के मुद्रित अंश पर ही ध्यान दिया है उसके भाषिक और विशेष रूप से मौखिक स्वरूप पर अधिक ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण हमारी भाषा बोलचाल की भाषा न होकर पुस्तकीय हो गई है । जब दो व्यक्ति मिलते हैं तब लगता है कि दो व्यक्ति न होकर दो पुस्तकें बातचीत कर रही हों । संभाषण में इतनी अधिक औपचारिकता आ गई है कि हम खुलकर, सहज होकर, अपनी सम्पूर्ण संस्कृति और व्यक्तित्व के साथ आपस में बातचीत नहीं कर पाते । बहुत कुछ अनकहा, असंप्रेषित और दबा हुआ हमारे भीतर रह जाता है । यह हमारी अभिव्यक्ति का अधूरापन हमें बेचैन करता है, हमें असहज बना देता है । हमारे दुहरे चरित्र का एक कारण यह भी है कि हम वह नहीं कहते जो हम सोचते हैं या अनुभव करते हैं ।

प्रसार माध्यम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तथा वे व्यक्ति को उसके संस्कार, परिवेश, संस्कृति आदि के साथ मूल रूप से प्रस्तुत करते हैं । अपने मूल रूप में व्यक्ति कभी-कभी हंसी ठट्टा भी करता है, अपशब्द भी कहता है, देशज शब्दों या मुहावरों का भी प्रयोग करता है । प्रसार माध्यम भाषा के इसी मूलरूप को पकड़ना चाहते हे तथा व्यक्ति के भीतरी स्वरूप को सम्पूर्णता के साथ उजागर करने की कोशिश करते हैं । यही कारण है कि कुछ साहित्यकार प्रसार माध्यमों द्वारा प्रसारित साहित्य को साहित्य का दर्जा प्रदान नहीं करते । भाषा के प्रचार-प्रसार में सर्वाधिक योगदात प्रसार माध्यमों का ही रहा है । विशेषरूप से आकाशवाणी के योगदात को रेखांकित करना यहां आवश्यक है । भाषा लिखने का नहीं वरन् बोलने का माध्यम है इसे हम बोलने के लिए ही लिखते हैं अतः, लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम बोलने के लिए

लिख रहे हैं । कभी-कभी हम यह भूल जाते हैं और भाषा को नितांत औपचारिक, पुस्तकीय, शास्त्रीय, पांडित्यपूर्ण तथा अभिजातीय बनाने की चेष्टा करते हैं जिसके कारण उसकी सम्पर्क शक्ति या प्रसारण शक्ति संकुचित हो जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया में भाषा बोलने वाले व्यक्ति भाषा लिखने लगते हैं और लिखने वाले व्यक्ति चुपचाप पढ़ने वाले व्यक्ति बन जाते हैं । इस प्रकार भाषा अपनी बोलचाल की शक्ति खोकर केवल पुस्तकों का आभूषण बन जाती है। आज का साहित्य इसी प्रकार की विडम्बना को जी रहा है । हम साहित्य लिखने में भले ही सिद्धहस्त हों लेकिन हमारी मौखिक अभिव्यक्ति में न उर्जा है और न प्राण-शक्ति । भाषा को प्राणवान बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसे बोली जाने वाली भाषा से दूर न रखा जाय। हिन्दी के पास क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां, उपभाषाएं इतनी अधिक हैं कि वह भाषा के मौखिक स्वरूप को भी आकर्षक और जीवंत बनाए रख सकती है । आकाशवाणी ऐसी ही भाषा का विकास करने में संलग्न है जिसे जनमानस के समीप रखा जा सके तथा किसी आम आदमी की स्वीकृति प्राप्त हो सके । सवाल भाषा की श्रेष्ठता का नहीं है उसे स्वीकार करने का प्रश्न है । यदि हम हिन्दी भाषा को बोलचाल की भाषा से काट देंगे तो यह अधिक लोगों तक पहुंच नहीं सकती । जब हम हिन्दी को पूरे राष्ट्र की सम्पर्क भाषा बनाने का संकल्प करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में वह जनसमुदाय रहता है जिसे वास्तव में इस भाषा का उपयोग करना है । हमारा उद्देश्य भाषा का प्रचार करना है, साहित्य का प्रसार तो बाद में अपने आप हो जाएगा। अतः हमारी चिंता भाषा की है न कि साहित्य की। भाषा के माध्यम से भाषा का प्रसार, यह प्रसार माध्यमों के लिए चुनौती का विषय है ।

आकाशवाणी के माध्यम से हिन्दी भाषा में समाचारों के प्रसारण की संख्या सर्वाधिक है । प्रारम्भ में समाचारों के लिए अंग्रेजी से हिन्दी का अनुवाद करने की परम्परा थी क्योंकि हिन्दी में समाचारों के लिए हिन्दी भाषा को क्षमता प्राप्त नहीं थी । डॉ० नगेन्द्र ने समाचारों के लिए हिन्दी भाषा की शब्दावली को व्यापक रूप प्रदान किया । तब कुछ लोगों ने परिहास के लिए कहा था कि "अब आप हिन्दी में समाचार सुनिए" के स्थान पर "अब आप समाचारों में हिन्दी सुनिए"। उस समय हिन्दी समाचारों में हिन्दी के प्रांजल रूप से लोगों को कुछ अटपटा लगता था लेकिन समाचारों की भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, देशज शब्द, अंग्रेजी आदि शब्दों के समावेश ने भाषा को प्रामाणिकता के साथ-साथ नई शक्ति भी दी। आज हमारे हिन्दी समाचार प्रसारण काफी स्तरीय एवं लोकप्रिय भी है । फिर भी इनमें अभी सुधार की संभावना है । हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में हिन्दी समाचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है । समाचार, साहित्य का भाग नहीं है लेकिन भाषा के प्रचार-प्रसार का माध्यम अवश्य है । कभी हम समाचारों का प्रसारण भाषा के द्वारा करते हैं और कभी हम भाषा का प्रसारण समाचारों के माध्यम से करते हैं । प्रसारण के समय भाषा के रूप में समाचार, और समाचारों के रूप में भाषा-प्रसारण की यह शक्ति भी है और सीमा भी ।

आकाशवाणी द्वारा रेडियो नाटक, संगीत रूपक, कविता, परिचर्चा, वार्ता, रिपोर्ताज, प्रत्यक्ष वर्णन, भेंटवार्ता, उद्घोषणा आदि का प्रसारण होता है । इस प्रक्रिया में कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का सृजन होता है। यह कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि रेडियो रचनाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है लेकिन रचनाकार को प्रोत्साहित अवश्य करता है । नाटक लेखन के क्षेत्र में आकाशवाणी की स्वतंत्र भूमिका रही है, साहित्य जगत् में रेडियो रूपक या एकांकी लेखन को अधिक उत्साह के साथ स्वीकृति अवश्य नहीं मिली लेकिन श्रोताओं के पास नाटक पहुंचाने में आकाशवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है ।

हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए लिखित माध्यमों के साथ-साथ मौखिक माध्यमों का उपयोग कारगर ढंग से करना चाहिए । भाषा पढ़ने की अपेक्षा बोलने से अधिक व्यापक एवं जीवंत बनती है । ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक बोलियां उपभाषाएं केवल बोले जाने के कारण जीवित हैं । जिस भाषा में साहित्य की रचना होती है वह अवश्य ही अधिक शक्तिशाली होती है लेकिन बोले जाने वाले पक्ष को अनदेखा नहीं करना चाहिए । संस्कृत भाषा के साथ यही दुर्घटना हुई । इस भाषा का लिखित साहित्य अत्यंत सशक्त था लेकिन बोलचाल के स्तर पर इस भाषा का प्रचार-प्रसार नहीं हो सका अतः यह भाषा अपनी लोक स्वीकृति से वंचित हो गई । हिन्दी भाषा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए । इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि हमें भाषा को पुस्तकों के भीतर से निकालकर जनमानस तक निरंतर पहुंचाना होगा । इस कार्य में प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । आकाशवाणी ही इस दिशा में एक पूर्ण माध्यम है क्योंकि साहित्य की सभी विधाओं का प्रसारण इसके द्वारा होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस माध्यम का उपयोग इस ढंग से करें कि रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रमों द्वारा हिन्दी भाषा का प्रसार अधिकाधिक हो । रचनात्मक लेखन के स्तर पर कठिनाई यह है कि हमारा रचनाकार पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए गम्भीर साहित्य की रचना करना अपना प्राथमिक दायित्व समझता है लेकिन प्रसार माध्यम के लिए मौलिक रूप से वह लेखन नहीं करता । अतः कविता, कहानी, नाटक, रूपक आदि के लिए या तो अनुवाद की आवश्यकता होती है या हिन्दी भाषा की रचनाओं का ही एडाप्टेशन करना होता है । भाषा के बोलचाल के स्वरूप को भी सार्थक, गम्भीर साहित्य एवं मनोरंजक बनाया जा सकता


5—110 एम ऑफ एच०ए०/एन०डी०/86

है यदि हम प्रचलित मुहावरों, कहावतों, स्थानीय व्यंग्योक्तिओं आदि का खुलकर प्रयोग करें । अभी हिन्दी भाषा के साथ मुख्य समस्या यह है कि इसके साहित्यिक एवं बोलचाल के स्वरूप में गहरा अंतर है । ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय बोलियां, उपभाषाएं बोली जाती है । जबकि शहरों में या विद्यालयों एवं कार्यालयों में राजभाषा का उपयोग होता है । हमारे घरों में हम क्षेत्रीय बोली या उपभाषा (ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, गढ़वाली) बोलते हैं जबकि कार्यालय या शहर में लिखित भाषा बोलते हैं । इस दुहरेपन को समाप्त करने के लिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता है । इन अभियान में प्रसार माध्यम सहायता कर सकते हैं । हिन्दी भाषा के साथ समस्या यह है कि हम लिखित भाषा को बोलचाल की भाषा बनाना चाहते हैं जबकि साधारणतः बोली जाने वाली भाषाएं ही कालांतर में लिखित भाषा साहित्य का रूप लेती हैं ।

अहिन्दी प्रांतों में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार की अधिक आवश्यकता है । लेकिन हमारा अभिप्राय भाषा के प्रचार-भाषाओं के क्षेत्रों में प्रसारित किया जा सके । केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय भी यह कार्य कर सकता है यदि वहां आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं । भाषा के प्रसार के लिए प्रत्येक अहिंदी भाषी राज्य में एक पृथक् विभाग होना चाहिए तथा हिन्दी भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को सम्पर्क भाषा का दायित्व निभाना है । इस कार्य के लिए साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा को सर्वप्रथम लोकप्रिय बनाना चाहिए । कला प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म आदि के माध्यमों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि आम आदमी हिन्दी कार्यक्रमों में दिलचस्पी ले । फिल्म तथा विविध भारती के प्रसारणों में हिन्दी भाषा के बोलचाल के स्वरूप को अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिसका प्रभाव यह हुआ है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा को सहजता से समझ लिया जाता है । मनोरंजन के स्तर पर यदि भाषा को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तब कोई कारण नहीं कि दैनिक जीवन में उसका उपयोग न हो । असम राज्य में हिंदी फिल्में अत्यंत लोकप्रिय हैं और फिल्मों के लोकप्रिय होने के कारण हिन्दी भाषा के बोलचाल के स्वरूप से वहां के लोग अधिक परिचित हैं । अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में लिखित साहित्य की अपेक्षा हिन्दी भाषा के बोलचाल के स्वरूप को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए । इस कार्य में सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संस्थाएं अभूतपूर्व कार्य कर सकती हैं । साहित्य के बौद्धिक पक्ष को अत्यंत सरस और सुगम बनाने की आवश्यकता है अन्यथा हिन्दी साहित्य के प्रति बढ़ती जा रही अरुचि का बुरा प्रभाव भाषा पर भी पड़ सकता है । हमारे लिए साहित्य की अपेक्षा भाषा प्रमुख है क्योंकि भाषा ही साहित्य की संवाहिका है । अभी तक की स्थिति यह रही है कि हमने भाषा को साहित्य का एक अंग भर माना है जबकि साहित्य भाषा का अंग है । भाषा, साहित्य से श्रेष्ठ है क्योंकि यह साहित्य को जन जन-तक पहुंचाती है । हमें भाषा के प्रसार के लिए भाषा की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए । आकाशवाणी के प्रसारणों में भाषा के गठन, शब्द चयन, उच्चारण, पाठ प्रक्रिया, व्याकरण आदि पर सम्यक् विचार किया गया है तथा ऐसी भाषा विकसित करने की चेष्टा की गई है जो पूरे देश में बोलचाल की एक मानक भाषा बन सके । साहित्य भी इसी भाषा का अनुसरण करता है । बोलचाल की ऐसी मानक भाषा का विकास अत्यंत आवश्यक है । हम आज भी अंग्रेजी से सीधा अनुवाद करने के आदी हैं तथा अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं । करेंट फिनन्शियल इयर को हम "चालू वित्त वर्ष" कहते हैं जबकि "चालू" शब्द को हम अच्छे अर्थ में नहीं लेते । चुनाव के समय हम ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ कभी कभी अटपटा लगता है यथा "इतने प्रत्याशी मैदान में डटे हैं" या "इतने प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं" । लिंग भेद तथा ह्रस्व-दीर्घ संबंधी बातों को लेकर प्रायः शंका बनी रहती है । यह शंका हिन्दी भाषी राज्यों में भी है । इन भ्रान्तियों को तभी दूर किया जा सकता है जबकि भाषा का व्यवहार बोलचाल के स्तर पर निरंतर होता रहे तथा उसके मानक स्वरूप को अधिक से अधिक प्रचारित-प्रसारित किया जाय । व्यवहार में उपयोग करने पर ही भाषा का प्रचार-प्रसार होता है, हम पुस्तकों द्वारा इस प्रकार के प्रचार व प्रसार को स्थायी बना सकते हैं लेकिन यह कार्य केवल पुस्तकों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता ।

**—केन्द्र निदेशक**
**आकाशवाणी**
**नागपुर**
(राष्ट्रभाषा संदेश से साभार)

# हिन्दी में विज्ञान साहित्य : उपलब्धियों एवं संभावनाओं का आकलन

—शुकदेव प्रसाद

वर्ष 1976 में जब "हिन्दी पत्रकारिता" के डेढ़ सौ वर्ष पूरे हुये (हिन्दी का सर्वप्रथम पत्र "उदन्त मार्तण्ड" 30 मई, 1826 को प्रकाशित हुआ था ) तो पत्र-पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले और उस साल गोष्ठियों में इसका आकलन किया गया कि हिन्दी पत्रकारिता किन राहों से गुजरी है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

हिन्दी पत्रकारिता अपने जीवन के डेढ़ सौ वर्ष पूरे कर चुकी है तो हिन्दी की विज्ञान पत्रकारिता ने इसकी लगभग आधी यात्रा ही तय की है । वस्तुतः विज्ञान विषयक पहली पत्रिका "विज्ञान" अप्रैल, 1915 में प्रकाशित हुई थी । लेकिन, यदि हम समग्र विज्ञान लेखन की चर्चा करें तो यह तारीख थोड़ी पीछे खिसक सकती है । देशी भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य रचा जाय, यह सोच बहुत पुरानी नहीं है । हिन्दी का विज्ञान साहित्य बमुश्किल सवा सौ साल की यात्रा कर सका है क्योंकि हिन्दी में विज्ञान की पहली पुस्तक 1855 में छपी थी ।

### 19वीं शती का उत्तरार्ध्द काल

सन् 1855 में आगरे से छपी पं० कुंजबिहारी लाल की किताब "लघु त्रिकोणमिति" को हिन्दी में विज्ञान की पहली पुस्तक कहनी चाहिए क्योंकि अभी तक इससे पूर्व छपी किसी किताब का उल्लेख नहीं हुआ है । इसके बाद बापूदेव शास्त्री कृत संस्कृत में लिखी कृति "त्रिकोणमिति" का वेणीशंकर झा कृत हिन्दी अनुवाद 1859 में प्रकाशित हुआ । फिर 1960 में आरा से बलदेव झा ने अंग्रेजी पुस्तक "पाप्युलर नेचुरल फिलासफी" का "सरल विज्ञान विटप" नाम से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया । 1859–60 में पादरी शोरिंग द्वारा संपादित "विद्यासागर" नामक विज्ञान पुस्तक माला मिर्जापुर से प्रकाशित हुई । सरकार की ओर से 1861 में मैनेस लेसन्स इन जनरल केमिस्ट्री का मथुरा प्रसाद मिश्र कृत हिन्दी अनुवाद छपा । नाम था—"बाह्य प्रपंच दर्पण" । 1860 में वंशीधर, मोहनलाल और कृष्ण दत्त द्वारा अनूदित ग्रंथ "सिद्ध पदार्थ विज्ञान" (यंत्र शास्त्र का ग्रंथ) प्रकाशित हुआ । 1860 में ही प्रयाग से बाल कृष्ण शास्त्री खण्डरकर की ज्योतिष का "खगोल" नाम से हिन्दी अनुवाद हुआ ।

1867 में जयपुर के राजवैद्य कालिन एस० वैलेन्टाइन ने "वायु की उत्पत्ति" और रसायन विद्या की "संक्षेप पाठ" नामक किताब छपवायी । आगरा निवासी बद्रीलाल ने एक अंग्रेजी किताब का अनुवाद किया "रसायन प्रकाश" नाम से जो कलकत्ते के बैपटिस्ट मिशन प्रेस से छपा । इसी किताब का दूसरा संस्करण 1883 में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस ने छापा । 1887 में वंशीधर की पुस्तक "चित्रकारी सार" छपी ।

1870 से 1880 के बीच रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के अध्यापक जगमोहन लाल ने कई पुस्तकें कालिज के छात्रों के लिए लिखीं । इसी समय 1875 में काशी के मिश्र बंधुओं "लक्ष्मीशंकर, प्रभाशंकर और रमाशंकर" ने "पदार्थ विज्ञान विटप", "त्रिकोणमिति", "प्रकृति विज्ञान विटप", "गति विद्या", "स्थिति विद्या" और "गणित कौमुदी" पुस्तकें लिखीं । 1882 में लाहौर के नवीन चंद्र राय ने पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए "स्थिति तत्व" और "गति तत्व" पुस्तकें छपवायी । इसी वर्ष लखनऊ के नवल किशोर प्रेस ने "सृष्टि का वर्णन" पुस्तक छापी ।

1883 में इलाहाबाद जिले के निवासी काशीनाथ खत्री द्वारा अनुदित कृषि की पहली पुस्तक "खेती की विद्या के मुख्य सिद्धांत" शाहजहांपुर के आर्य दर्पण प्रेस में छपा । 1885 में काशी के पं० सुधाकर द्विवेदी ने गणित की उच्चकोटि की किताबें "चलन कलन" और "चल राशि कलन" प्रकाशित की ।

### 20वीं शती का पूर्वार्ध्द

बीसवीं शती के प्रारंभ में वैज्ञानिक साहित्य के प्रकाशन में काशी की नागरी प्रचारिणी सभा ने महत्वपूर्ण योग दिया "वैज्ञानिक कोष" छापकर । हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिखने एवं अनुवाद करने में इससे काफी सहायता मिलने लगी ।

डॉ० सत्यप्रकाश द्वारा संकलित "रासायनिक पारिभाषिक शब्द", निहालकरण सेठी द्वारा "भौतिक विज्ञान पारिभाषिक शब्द", शुकदेव पांडेय द्वारा "गणित पारिभाषिक शब्द" प्रकाशित हुए ।

इसी के आसपास महेश चरण सिंह ने रसायन शास्त्र, विद्युत और वनस्पति शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे ।

गुरुकुल कांगड़ी से भी कुछ किताबें इसी काल में प्रकाशित हुई । प्रो० रामशरण दास जी ने गुरुकुल कांगड़ी से "विकासवाद" और "गुणात्मक विश्लेषण" नामक अच्छे ग्रंथ छपाए ।

इसी के आस-पास प्रो० लक्ष्मीचंद्र ने बनारस से "हिन्दी सायंस युनीवर्सिटी माला" नाम से कुछ औद्योगिक रसायन की पुस्तकें प्रकाशित की। इस माला की पहली कड़ी 1915 में छपी जिसका नाम था—"रोशनाई बनाने की कला"। प्रो० लक्ष्मीचंद्र कृत अन्य कृतियां हैं—"साबुन बनाने की पुस्तक", "तेल मोमबत्ती आदि बनाने की पुस्तक", "रंग की पुस्तक", "सरस रसायन", "वार्निश और पेंट" आदि।

### विज्ञान परिषद्, प्रयाग की स्थापना और 'विज्ञान'

इन छिटपुट प्रयासों के बाद ठोस कार्य इस दिशा में हुआ इलाहाबाद में "विज्ञान परिषद्" नामक संस्था की स्थापना और उसके मुख पत्र "विज्ञान" के प्रकाशन से।

म्योर सेंट्रल कालेज (इलाहाबाद) के अध्यापक महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा, प्रो० हमीदउद्दीन साहेब, रामदास गौड़ और प्रो० सालग राम भार्गव ने 10 मार्च, 1913 के दिन एक मीटिंग की जिसमें यह निश्चय हुआ कि देशी भाषाओं में वैज्ञानिक साहित्य की रचना और प्रचार का काम सुसंगठित रूप से चलाने के उद्देश्य से "वर्नाक्यूलर साइंटिफिक लिटरेचर सोसायटी" की स्थापना की जाय जिसका नाम डॉ० झा ने "विज्ञान परिषद्" और मौलवी हमीद उद्दीन साहेब ने "अंजुमनसनाअ व फ़नून" रखा।

परिषद् के पहले ही अधिवेशन में प्रो० नंद कुमार तिवारी ने प्रस्ताव रखा कि परिषद् हिन्दी, उर्दू अथवा दोनों भाषाओं में एक पत्र प्रकाशित करे। चूंकि अधिक उर्दू प्रेमी पाठक ग्राहक न मिल सके, अतः हिन्दी में "विज्ञान" निकालना निश्चित हुआ और लाला सीताराम तथा पं० श्रीधर पाठक के संपादन में अप्रैल, 1915 में "विज्ञान" का पहला अंक निकला।

"विज्ञान" के संचालन में प्रो० रामदास गौड़ का विशेष योग रहा। आगे डॉ० सत्यप्रकाश तथा प्रो० ब्रजराज ने इस दायित्व को बखूबी निभाया। "विज्ञान" का संपादन कई विद्वानों ने अपना समय निकाल कर किया और हिन्दी की महती सेवा की। ऐसे हिन्दी विज्ञान प्रेमियों में डॉ० गोरख प्रसाद, डॉ० श्री राजन, डॉ० रामशरण दास, श्रीनिवास राय आदि। "विज्ञान" के सहायक संपादक के रूप में पं० जगपति चतुर्वेदी ने वर्षों तक इसकी सेवा की। चतुर्वेदी जी ने लोक विज्ञान की सैकड़ों पुस्तकें हिन्दी जगत को दी है।

विज्ञान परिषद् से "विज्ञान" के प्रकाशन के अतिरिक्त कई स्वतंत्र प्रकाशन भी हुए जिनमें "विज्ञान हस्तामलक" (प्रो० रामदास गौड़), "वैज्ञानिक परिमाण"(डॉ० निहाल करण सेठी और डॉ० सत्यप्रकाश), "वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द" (डॉ० सत्य प्रकाश), "सूर्य सिद्धांत" (टीकाकार—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव), "समीकर मीमांसा" (पं० सुधाकर द्विवेदी); "वर्षा और वनस्पति" (शंकर राव जोशी), "फोटोग्राफी" (डॉ० गोरख प्रसाद), "सुवर्णकारी" (गंगा शंकर पचोली) आदि प्रमुख हैं।

### स्वाधीनता के बाद

आजादी के बाद हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। फलतः तमाम सरकारी और गैरसरकारी संस्थाएं हिन्दी में वैज्ञानिक प्रकाशनों के क्षेत्र में आयीं। स्कूलों, कालिजों और महाविद्यालयों तक में हिन्दी में विज्ञान की पढ़ाई होने लगी जिससे पाठ्य पुस्तकों की तैयारी होने लगी। कुछ किताबों के अनुवाद भी छपे।

1950 में शिक्षा मंत्रालय ने "वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग" की स्थापना की। अब तक विज्ञान, आयुर्विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलियां तैयार हो चुकी हैं। फलतः लेखकों को अब सुविधा हो गई।

प्रारंभ में डॉ० रघुवीर के कोश से लोग लेखन में मदद लेते रहे। रघुवीर का कोश संस्कृतनिष्ठ शब्दों पर आधारित था एवं क्लिष्ट भी अतः वह लोकप्रिय नहीं हुआ। वह व्यवहार्य भी नहीं था। वैसे, आज भी जो शब्दावली बनी है, वह भी परिष्कार की व्यापक संभावना रखती है।

स्वतंत्रोपरांत जो संस्थाएं प्रकाश में आयीं, अब आइए उनके कार्यों की विवरणी देखी जाय।

### हिन्दी समिति

1947 में उत्तर प्रदेश शासन ने हिन्दी में उच्चकोटि के ग्रंथों के प्रणयन और प्रकाशन के लिए लेखकों, प्रकाशकों के प्रोत्साहन हेतु प्रकाशित ग्रंथों पर पुरस्कार देने की योजना बनायी और समिति का गठन भी किया।

1956 में उक्त पुरस्कार समिति ने पुस्तकों के प्रकाशन का जिम्मा स्वयं लिया और उसका नाम बदलकर "हिन्दी समिति" रख दिया। 1961 में समिति का पुनर्गठन किया गया और विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तकों के प्रकाशन (मौलिक एवं अनु०) कार्य प्रारंभ किया। समिति ने 250 के करीब किताबें छापीं।

समिति की कुछ अच्छी किताबें हैं—डॉ० सत्य प्रकाश की "प्राचीन भारत में रसायन का विकास", अत्रिदेव विद्यालंकार की "आयुर्वेद का बृहत् इतिहास", डॉ० गोरख प्रसाद की "भारतीय ज्योतिष", डॉ० ब्रज मोहन का "गणित का इतिहास" आदि।

### हिन्दी साहित्य सम्मेलन

वर्ष 1910 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। सम्मेलन ने अपने जीवन के गौरवशाली 75 वर्ष पूरे कर लिये हैं और हिन्दी जगत की अभूतपूर्व सेवा की है और कर रहा है।

सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशनों में विज्ञान परिषदें आयोजित हुआ करती थीं। इन विज्ञान परिषदों में देश के मूर्धन्य विज्ञानियों के भाषण हुआ करते थे। सम्मेलन के "अमृत महोत्सव" आयोजन की वेला में "विज्ञान परिषद्" के अन्तर्गत किए गए सारे व्याख्यान सम्मेलन के प्रधानमंत्री के अनुसार एक जिल्द में प्रकाशित किए जा रहे है।

सम्मेलन ने उच्चकोटि के कतिपय हिन्दी के वैज्ञानिक ग्रंथ भी छापे हैं। यथा—"आयुर्वेद का इतिहास" (अत्रिदेव विद्यालंकार), "आयुर्वेदीय विश्वकोष" (संपा० वैद्य रामजीत सिंह), "गति विज्ञान" (पी० डी० शुक्ल), "चलराशि कलन" (हरिश्चंद्र गुप्त), "ठोस ज्यामिति" (डा० ब्रज मोहन), "बीजगणित" डॉ० ब्रजमोहन, "बीज गणित" (डॉ० सम्मन लाल शर्मा)।

सम्मेलन ने कुछ पर्याय-कोश (शब्दावलियां) भी छापी हैं। "चिकित्सा विज्ञान कोश", "जीव रसायन कोश", "भूतत्व विज्ञान कोश" आदि उल्लेखनीय हैं।

### नागरी प्रचारिणी सभा

काशी की उक्त सभा ने वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली को तैयार करने का काम पहले ही आरंभ किया था। सभा ने 1929 में निहालकरण सेठी की "भौतिक विज्ञान शब्दावली", 1930 में फूलदेव सहाय वर्मा की "रसायन शास्त्र शब्दावली", 1931 में शुकदेव पांडेय की "गणित विज्ञान शब्दावली", तथा 1934 में शुकदेव पांडेय की ही "ज्योतिष विज्ञान शब्दावली" छापी। 1960 में "हिन्दी विश्वकोष" के प्रकाशन का प्रारंभ कर सभा ने एक अच्छा कार्य किया है।

### भारतीय भाषा एकक

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०), नई दिल्ली की एक शाखा "भारतीय भाषा एकक" पिछले 33 वर्षों से लोक विज्ञान की मासिक पत्रिका "विज्ञान प्रगति" (संपा० श्याम सुंदर शर्मा) का नियमित प्रकाशन कर रही है।

परिषद् ने हिन्दी में वैज्ञानिक विश्वकोष का प्रकाशन भी आरंभ किया है। "वैल्थ ऑफ इंडिया" के "भारत की संपदा" नाम से 6 खंड तथा 2 पूरक खंड छप चूके हैं।

परिषद की प्रकाशन शाखा का अब नाम प्रकाशन और सूचना निदेशालय, (पी० आई० डी०) है जिसके ही द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी की सारी पत्रिकाएँ ("साइंस रिपोर्टर" अंग्रेजी में, "विज्ञान प्रगति" हिन्दी में तथा "साइंस की दुनियां" उर्दू में), शोध पत्रिकाएं तथा ग्रंथों का प्रकाशन संचालित होता है।

अभी हाल में ही निदेशालय ने "मानव उपयोगी वनस्पतियों और प्राणियों के वंश तथा जाति नामों का कोश" छापा है—जिसमें नामों के अंग्रेजी और लैटिन उच्चारण देवनागरी में दिए गए हैं तकनीकी शब्दों के उच्चारण के मानकीकरण की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास है। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे कार्य अपेक्षित हैं।

### केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, (शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय), भारत सरकार ने पुस्तकों के मौलिक लेखन एवं अनुवाद में आयी शब्दों की परेशानियों को हल करने के लिए "केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय" की स्थापना की। किताबों के प्रकाशन के अतिरिक्त निदेशालय ने पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कराया है। पुस्तकों के अनुवाद एवं लेखन में उक्त शब्दावली का सर्वमान्य रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

निदेशालय ने 2 खंडों में तकनीकी शब्दों का "बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह" तथा एक ही जिल्द में आयुर्विज्ञान, भेषज विज्ञान, और शारीरिक नृ विज्ञान का "बृहद पारिभाषिक शब्द संग्रह" छापा है। निदेशालय के अधिकारी विद्वानों की मदद से आजकल "आनुवंशिकी शब्दावली तैयार कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त निदेशालय ने स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर "सप्लीमेंट्री रीडिंग" के लिए "जैवविज्ञान चयनिका (संपा० प्रेमानंद चन्दोला), "भौतिक विज्ञान चयनिका", तथा "भू-विज्ञान चयनिका" का भी प्रकाशन आरंभ किया। खेद है कि इन्हें गति नहीं मिल सकी।

### हिन्दी ग्रंथ अकादमियां

भारत सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने कराने के लिए 1968 में एक योजना बनायी। इसी योजना के अन्तर्गत 1970 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की देख रेख में हिन्दी प्रदेशों—हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में वि० वि० स्तर की हिन्दी पुस्तकें एवं मानक ग्रंथ तैयार करने के लिए हिन्दी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना की गई। इस योजना के अधीन अब तक विज्ञान तथा मानविकी विषयों पर अब तक लगभग 1,000 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं।

अभी हाल में उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी तथा हिन्दी समिति को आपस में मिलाकर "उ० प्र० हिन्दी संस्थान" का रूप दे दिया गया है।

बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी के अतिरिक्त "बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् (पटना) भी कुछ अच्छी वैज्ञानिक किताबें छाप चुका है। स्वामी (डॉ०) सत्य प्रकाश की "वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा" एवं प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा कृत "रबर" "ईख और चीनी" एवं "पेट्रोलियम" शीर्षक मोनोग्राफ अच्छे हैं।

### भौतिकी कक्ष

काशी हिन्दू वि० वि०, वाराणसी की हिन्दी प्रकाशन समिति (भौतिकी कक्ष) ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की देखरेख में हिन्दी में विज्ञान साहित्य के निर्माण में योग दिया है। भौतिकी कक्ष के पूर्व निदेशक प्रो० (डॉ०) नंद लाल सिंह के निर्देशन में लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। "भौतिकी" नाम से एक अर्द्ध वार्षिक पत्रिका भी निकली थी।

### हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा टाटा आधारभूत अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के कार्यरत वैज्ञानिकों ने हिन्दी-विज्ञान के सम्वर्धन हेतु उक्त परिषद् की स्थापना की।

42



6—110 मेम०ऑफ एच०ए०/एम०डी०/86

42 x 12 = 504

40 x 12 = 480

परिषद् ने विज्ञान के जटिल विषयों पर कई लघु संदर्भ पुस्तकें (मोनोग्राफ) छापी है । एक त्रैमासिक विज्ञान पत्रिका 'वैज्ञानिक, (संपा० माधव सक्सेना 'अरविंद') का भी प्रकाशन हो रहा है ।

**विज्ञान भारती समिति**

इलाहाबाद विश्व-वियालय के कुछ हिन्दी प्रेमी शिक्षकों और विज्ञान लेखकों के प्रयास से 'विज्ञान भारती समिति' की स्थापना हुई । 1978 में समिति ने 'विज्ञान भारती' (प्रबंध संपा० डॉ० देवेश चंद्र पाण्डेय, एवं प्रधान संपा० शुकदेव प्रसाद) नामक द्वैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया जो बाद में मासिक हो गई ।

**विज्ञान वैचारिकी अकादमी**

प्रयाग की संस्था 'विज्ञान वैचारिकी अकादमी' (पूर्व नाम 'वैचारिकी संस्थान') को हिन्दी में शोध स्तर की बहस प्रारंभ करने का श्रेय है । पर्यावरण जैसे अधुनातन विज्ञान पर अखिल भारतीय संगोष्ठी (अप्रैल, 1981) आयोजित कर यह अवधारणा निर्मूल कर दी कि हिन्दी में शोध स्तर की चर्चा नहीं की जा सकती ।

अकादमी को विज्ञान और मानविकी के समन्वयक 'विज्ञान वैचारिकी' (संपा० शुकदेय प्रसाद) त्रैमासिक तथा पर्यावरण विज्ञान पर देश की सर्व प्रथम पत्रिका 'पर्यावरण दर्शन' (संपा० शुकदेव प्रसाद) के प्रकाशन का भी श्रेय है ।

**विज्ञान की पत्रिकाएं**

स्वतंत्रोपरांत हिन्दी की अनेक पत्रिकाओं ने दिन का उजाला देखा । खेद की बात ही उनमें से कई काल कवलित हो गई । कुछेक आज भी विज्ञान के प्रचार-प्रसार में रत हैं ।

1. मेहरा न्यूज पेपर्स, आगरा से शंकर मेहरा ने 1960 में 'विज्ञान-लोक' का प्रकाशन आरंभ किया । धर्मदास कालिज अलीगढ़ के भौतिकी प्रवक्ता श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव जी परोक्ष रूप से इसका संपादन करते रहे । श्री श्याम सरन अग्रवाल 'विक्रम' भी उसके संपादकीय सहयोगी थे ।

2. इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से इन्हीं दिनों (1961 में) 'विज्ञान-जगत' प्रकाशित हुई । 'विज्ञान-लोक' की भांति यह भी अधिक दिनों तक चल न सकी । हालांकि दोनों की प्रशासन संस्थाए इन्हें निकालते रहने की स्थिति में हमेशा थीं ।

लखनऊ में लॉ मार्टीनियर कालेज के प्रवक्ता डॉ० आर० डी० विद्यार्थी ने 'विज्ञान-जगत' (साइंस-डाइजेस्ट) का वर्षों तक संपादन किया है ।

3. उदयपुर से कोठारी ने 'लोक-विज्ञान' के कुछ अंक निकालें । अब बंद है ।

4. पंतनगर से 1975 में प्रमोद जोशी ने (संपादक के रूप में 'अंगिरस' नाम) 'विज्ञान-डाइजेस्ट' निकाली ।

5. भू-विज्ञान परिषद्, दिल्ली वि० वि० ने 1967 में 'भू-विज्ञान' नामक पत्रिका निकाली । संपादक थे लक्ष्मीकांत पाण्डेय । परिषद् की गतिविधियों में सर्वाधिक योग इसके सभापति डॉ० अनंत गोपाल झिंगरन का था । अब बंद ।

6. 1978 में इलाहाबाद में 'विज्ञान भारती' (संपादक-शुकदेव प्रसाद) द्वैमासिक का प्रकाशन । 'विज्ञान भारती समिति' के सचिव डॉ० देवेशचंद्र पाण्डेय के हिन्दी प्रेम ने इसे मासिक बनाने में योग दिया । 'विज्ञान-भारती' का 'आइन्स्टाइन स्मृति अंक' उल्लेखनीय है ।

7. 1980 में 'विज्ञान वैचारिकी अकादमी' (पूर्व नाम वैचारिकी संस्थान), इलाहाबाद ने 'विज्ञान वैचारिकी' त्रैमासिक (संपा० शुकदेव प्रसाद) का प्रकाशन आरंभ किया ।

8. 1982 से विज्ञान वैचारिकी अकादमी ने ही शुकदेव प्रसाद के संपादन में (अकादमी के निदेशक भी) 'पर्यावरण दर्शन' मासिक प्रकाशन आरंभ किया । अब यह त्रैमासिक रूप में छप रही है ।

9. संचार और प्रकाशन निदेशालय, गो० व० पं० कृषि एवं प्रौद्योगिक वि० वि० पंतनगर से 'किसान भारती' का निरंतर प्रकाशन हो रहा है । इसके संपादकों में रमेशदत्त शर्मा, देवेन्द्र मेवाड़ी के नाम उल्लेखनीय हैं ।

10. केन्द्रीय खाद्य और प्रौद्योगिक अनुसंधान शाला, मैसूर से 13 वर्षों से 'खाद्य विज्ञान' त्रैमासिक (संपादिका डॉ० वी० अनुराधा) प्रकाशित हो रही है ।

11. केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली की ओर से 'भगीरथ' त्रैमासिक (सिंचाई एवं विद्युत की पत्रिका) का प्रकाशन हो रहा है । संपादक के रूप में राधाकांत भारती ने इसकी अच्छी सेवा की है ।

12. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की ओर से 'खेती', 'कृषि चयनिका' और 'फल-फूल' नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी है । तीनों के प्रधान संपादक रमेश दत्त शर्मा हैं ।

13. प्रकाशन और सूचना निदेशालय (सी० एस०आई०आर०) नई दिल्ली से गत 33 वर्षों से 'विज्ञान प्रगति' निकल रही है । डॉ० ओम प्रकाश शर्मा के बाद अब शाम सुंदर शर्मा संपादक हैं ।

14. हिन्दी-विज्ञान-साहित्य परिषद् (भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र), बम्बई की ओर से 'वैज्ञानिक' त्रैमासिक का प्रकाशन चल रहा है । वर्तमान में संपादन कार्य माधव सक्सेना अरविंद देख रहे हैं ।

15. नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एन० आर० डी० सी०), नई दिल्ली की ओर से 'आविष्कार' पत्रिका छप रही है । इधर एक और त्रैमासिक पत्र 'ग्राम शिल्प' शुरू हुआ है । दोनों के संपादक हैं— डी० एन० भटनागर ।

**शोध पत्रिकाएं**

1. 'विज्ञान परिषद् अनुसंधान पत्रिका', 1957 से प्रयाग से डॉ० सत्य प्रकाश के संपादन में निकल रही है ।

(शेष पृष्ठ 23 पर)

# अनुवाद में पर्यायवाची की समस्या

—डा० कैलाशचंद्र भाटिया, डी० लिट्०

वाक्य में पद-समष्टि का पर्याप्त महत्व होता है साथ ही प्रत्येक शब्द की स्थिति और उसके प्रयोग का भी महत्व होता है। जिस प्रकार वाक्य किसी अनुच्छेद का सहज अंग होता है उसी प्रकार वाक्य में भी प्रत्येक शब्द अपने अर्थ में महत्वपूर्ण होता है। अनुवादक के पास, हो सकता है कि मूल कृति में प्रयुक्त शब्दों के उपयुक्त पर्याय हों। प्रत्येक भाषा में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनको प्रायः पर्याय समझ लेते हैं। कृति में प्रयुक्त शब्द की मूल आत्मा को समझकर अनुवादक को उसके लिए उपयुक्त शब्द को चुनना चाहिए। मूल कृति में प्रयुक्त शब्द के भाव को दूसरी भाषा में सम्प्रेषित करने की भरपूर कला अनुवादक में होनी चाहिए और उस भाषा में प्राप्त शब्द कोशों में सूक्ष्मातिसूक्ष्म अर्थच्छटाओं का विवेचन होना चाहिए। प्रयोगतग सूक्ष्म भेदों का ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। शब्द की शक्ति प्रयोग में ही निहित होती है।

आदर्श पर्याय तो बहुत ही कम होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः समान होता है। व्यवहार में इन सब पर्यायों में निकटता तो होती है पर अर्थ की समानता कम होती है। उदाहरणार्थ—कोमल, मृदु, मृदुल, मुलायम, नाजुक, नरम (नर्म), सुकुमार सभी का भाव एक समान होते हुए भी प्रयोग से अर्थ भिन्नता स्थापित हो जायेगी। प्रखर, तीक्ष्ण तथा कुशाग्र बुद्धि के रूप भिन्न भावों में हिंदी में मिलते हैं शायद दूसरी भाषा में न हो। दुःख, दर्द, विषाद और शोक का जितना स्पष्ट अर्थ हिंदी में है उतना अन्य भाषाओं में शायद न हो। फिर इसी श्रृंखला में कष्ट, क्लेश, पीड़ा, यातना, वेदना, व्यथा, यन्त्रणा आदि शब्दों को बढ़ाया जा सकता है। प्रयोग तथा संदर्भ भेद से ही अर्थ-भेद निश्चित होता है। अर्थ—संकेत पर भारतीय परम्परा में पर्याप्त विवेचन मिलता है। अर्थ तत्व में शब्द शक्तियों—अभिधा, लक्षणा, व्यंजना—का विशेष महत्व है। इसके भेद-उपभेदों की चर्चा बहुत गंभीरता से की गई है। स्थान—भेद, प्रसंग, स्रोत, देश-काल, प्रकरण भेद से अर्थ बदलते रहते हैं। साहचर्य अर्थ निश्चित करने में सहायक सिद्ध होता है।

एक ही मूल शब्द से बने भिन्न-भिन्न शब्द भी प्रयोग के आधार पर अपनी सीमाएँ निश्चित कर लेते हैं, जैसे, 'ताप' से बने निम्नलिखित शब्दों को लिया जा सकता है। 'ताप' का मूल अर्थ—'गर्मी' और उससे विकसित भाव हुआ गर्मी के कारण होने वाली जलन जो कष्टप्रद हो। इसी कारण यह 'बुखार' का द्योतक हो गया और बुखार नापने का यंत्र तापक्रम लेने वाला 'थर्मोमीटर' बन गया। 'ताप' भारतीय परम्परा के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं—'दैहिक, दैविक, भौतिक तापा' (तुलसी) देहिक ताप स्पष्ट है, जिसमें शारीरिक कष्ट आते हैं। दैविक ताप में प्राकृतिक विपत्तियाँ—अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी—तूफान, अग्निकांड बाढ़ आदि आती हैं और भौतिक ताप में जीव-जन्तुओं, पशुओं से प्राप्त कष्टों की गणना होती है। हो सकता है, इतना विस्तृत विवेचन किसी अन्य भाषा में न मिले। ऐसी स्थिति में इन शब्दों को उस भाषा की लिपि में लिख देना चाहिए और मूल अंश में अथवा पाद टिप्पणी में विस्तृत व्याख्या कर देनी चाहिए। इसी कारण भारतीय दर्शन के अनेक शब्द अंग्रेजी भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त किए जाने लगे हैं।

**'ताप' से निर्मित शब्द**

परिताप-

अनुताप/पश्चात्ताप—

मनस्ताप—

संताप—

साधारणतः 'खेद' से बढ़ा हुआ रूप ही 'परिताप' है। इससे चिन्ता व्यक्त हो जाती है। 'भेदहु तात जनक परितापु' (तुलसी) में 'परिताप' का प्रयोग द्रष्टव्य है।

'अनुताप'/'पश्चात्ताप' का शाब्दिक अर्थ है, वह ताप तो बाद में आया हो अर्थात् काम करने के बाद। प्रयोग और व्यवहार में इसका प्रयोग उस भाव के लिए किया जाने लगा जो अनुचित काम करने के बाद आये। यह भाव जब बारबार मन को कष्ट दे, कुरेदे और गहरा होता जाए तो 'मनस्ताप' कहा जाएगा। उपयुक्त समय पर ठीक काम न करने का 'पछतावा' ही पश्चात्ताप है, जबकि अनुपयुक्त/बुरा अपने को धिक्कारने वाला भाव 'मनस्ताप' है। 'मनस्ताप' से आगे के लिए शिक्षा मिलती है। आगे विचारों में बदलाव आ जाता है। 'हृदय-परिवर्तन' इसके फलस्वरूप ही होता है। मन को ताप में तपाकर उसकी कलूषता को दूर करने की प्रक्रिया 'मनस्ताप' है।

'संताप' (सम्यक्-ताप) वस्तुतः बहुत अधिक कष्ट या दुःख से होने वाले अधिक ताप के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है। जब किसी घटना अथवा कर्म से मनुष्य बराबर उसी एक बात को सोचता रहे तो इस 'गहन अनुभूति' को 'संताप' कहा जाता है। किसी परिवार में एकदम विपदा पड़ जाने से 'संताप' उत्पन्न होता है। यदि कोई अत्यधिक निकट अथवा प्रिय है तो उस पर मामूली कष्ट भी 'संताप' का कारण बन जाता है।

अर्थों के (इस दृष्टि से) सूक्ष्म-भेद पर कार्य आचार्य रामचन्द्र वर्मा, डा० बदरीनाथ कपूर ने किया है। हिंदी क्रियाओं के अर्थपरक अध्ययन के लिए अनुवादक को डा० बहल तथा डा० रस्तोगी के शोध कार्य का अनुशीलन करना चाहिए।

मिलते-जुलते शब्दों की एक और सीरीज़ (माला) लेकर उनके अर्थ और प्रयोगों के आधार पर सम्यक् अर्थ, आपस में सूक्ष्म-भेद स्पष्टतः समझ सकते हैं :—

*Category, Cadre, Class Division, Post, Position Grade*

*Order, Rank Status*

Category : प्रवर्ग, कोटि – किसी एक प्रकार का वर्ग या एक प्रकार की कोटि।
(A class or group or classification of any kind)
Category of amount – रक़म का प्रवर्ग
Category of persons – कोटि के व्यक्ति

Cadre : (संवर्ग काडर)–किसी एक निश्चित सेवा का संवर्ग, जैसे, भारतीय प्रशासन सेवा का संवर्ग।
Cadre authority – काडर प्राधिकारी
Cadre strength – काडर/संवर्ग सदस्य संख्या

Class : वर्ग – वर्ग, श्रेणी आदि।
(Order or rank according to which persons or things are arranged or assorted)
Class of persons – वर्ग के व्यक्ति
Class rate – वर्ग रेट
Classified – वर्गीकृत
Classification – वर्गीकरण

Division : 1. खंड, प्रभाग– 1. किसी भी वस्तु/स्थान के खंड, प्रखंड, भाग, प्रभाग आदि।
1. श्रेणी 2. परीक्षा में श्रेणी
1. A portion of a country as marked for some political, administrative or other purpose.
2. A class secured in an examination
Division bench – खण्ड न्यायपीठ
Division court – खण्ड न्यायालय
Divisional – प्रभागीय

Post : पद —नौकरी (जॉब) के भाव में।
(A position as appointment)
Post senior – ज्येष्ठ पद
Post substantive – अधिष्ठायी पद
Posting – तैनाती

Position : 1. स्थिति 1. स्थिति, अवस्थिति के अर्थ में।
2. पद (ओहदा) 2. नौकरी के अर्थ में पद
Position in life –जीवन में स्थिति
Position of management –प्रबंध/पद

Grade : पदक्रम, श्रेणी – (ग्रेड) किसी पंक्ति, श्रेणी में 'डिग्री' के भाव में।
(A degree in the scale of rank, dignity, proficiency)
Inferior grade – अवर श्रेणी
Standard grade – श्रेणी मानक
Grading – श्रेणीकरण
Gradation list – पदक्रम सूची

Order : क्रम – अनुक्रम, व्यवस्था के भाव में क्रम।
(Sequence of acts or events)
Alphabetical order – वर्णक्रम
Order of performance – पालन का क्रम

Rank : पंक्ति, दर्जा (रैंक)–क्रम, व्यवस्था, श्रेणी, वर्ग, पद-पदवी के भाव में, दर्जा (क्लास) के भाव में भी प्रयुक्त
(A grade of status or dignity)
Rank not inferior – अनिम्न पंक्ति
Rank of constable– कान्स्टेबल का दर्जा

Status : हैसियत (प्रास्थिति) – स्थिति, वह भी महत्व की दृष्टि से
(Legal standing or position of a person, position or standing in society)
Status of company – कम्पनी की प्रास्थिति
Status quo – यथापूर्व स्थिति

एक और उदाहरण लिया जा सकता है। 'एकत्र करना/कराना' के भाव में अनेक क्रियारूप प्रयुक्त होते हैं, जैसे

*Accumulate, Amass, Collect, Hoard, Muster, Store*

Accumulate : संचय करना – जोड़ते चले जाना।
(To collect or bring together, to go on increasing)
Accumulated balance – संचित अतिशेष
Accumulated profits – संचित लाभ
Accumulation – संचयन, ढेर

Amass : इकट्ठा करना– पदार्थों (विशेषरूप से मूल्यवान) को जमा करते चलना।
(Pile/heap up together)
Amassing – ढेर लगाना, संचय करना, इकट्ठा करना।

Collect : संग्रह करना,—कई स्थानों से लाकर इकट्ठा करना। संकलन करना

(To gather in, to gather together)

नोट : 'वसूल' करने के अर्थ में भी प्रयुक्त

Collection – 1. संकलन, संग्रह, संग्रहण
2. वसूली

Hoard : जमा करना – अवैध रूप से, कानूनी अपराध के रूप में, छिपाकर जमा करना।

(To deposit in secret, to store in excess)

Hoarding – जमाखोरी

Muster : जुटाना - एकत्र करना, बटोरना, एकत्र हो जाना

(Assembly or gathering of persons)

'मस्टर रोल' जैसे सामासिक पद का सर्वथा भिन्न अर्थ हो जाता है–

Muster Roll – नामावली

Store : संग्रह करना, भंडारण – एक स्थान पर रखते जाना, भंडार में रखना।

(Quantity kept for use or in need, place where goods are kept)

Store house – भंडार-गृह
Store keeper – भंडारी
Storage – भंडारकरण
Storing – भंडारकरण

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिन्दी में शब्दों की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि शब्दों के सम्यक् प्रयोग करने की। निरन्तर प्रयोग से अर्थों में निश्चितता आ सकेगी।

प्रोफेसर, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएं
लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मंसूरी

---

(पृष्ठ 20 का शेषांश)

2. इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), कलकत्ता ने 1949 से हिन्दी में शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। उक्त जरनल के हिन्दी विभाग ने इंस्टिट्यूशन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जरनल का 'हीरक जयंती अंक' प्रकाशित किया है। इसके यशस्वी संपादक विश्वम्भर प्रसाद जी ने इसके कई गौरव-शाली विशेषांक निकाले।

3. राज० हिन्दी ग्रंथ अकादमी की ओर से रसायन समीक्षा (त्रैमासिक) का प्रकाशन आरंभ किया था।

4. इंदौर से कुछ विज्ञान प्रेमियों ने एक शोध पत्रिका 'विज्ञान शोध भारती' निकाली थी। उसका दूसरा अंक देखने में नहीं आया।

**कुछ अन्य:**

अर्ध वार्षिक पत्रिका 'भौतिकी' (उ० प्र० हिं० ग्रंथ अकादमी); तथा 'वानस्पतिकी' अर्ध वार्षिक एवं 'इंजीनियरी' त्रैमासिक (उ० प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी) से; बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी से 'आयुर्विज्ञान पत्रिका' (अर्ध वार्षिक) निकल कर बंद हो चुकी हैं।

इधर परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई से 'परमाणु', इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ सायंस, बंगलौर से 'विज्ञान परिचय' तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली से 'समीक्षा' का प्रकाशन आरंभ हुआ है। 'पूसा समाचार' (आई० ए० आर० आई०) तथा 'सी० एस० आई० आर० न्यूज लैटर' भी अब छपने लगे हैं।

इधर सामान्य पत्रिकाओं में भी विज्ञान के स्तंभ देखने को मिल जाते हैं। स्थिति सुधरी ही है। विज्ञान लेखन को बढ़ावा मिल रहा है। तकनीकी शब्दों का बोझ हटा दिया जाय तो निस्संदेह कार्य आगे बढ़ सकता है।

**निदेशक,**
**विज्ञान वैचारिकी अकादमी,**
**34, एलनगंज, इलाहाबाद-211002**

अप्रैल—जून, 1986
7—110 जेम० ऑफ एच० ए०/एन०डी०/86

# हिन्दी चली समंदर पार

## सुरीनाम में हिन्दी दिवस

गर्त वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूरीनाम हिन्दी परिषद् ने अपनी परीक्षाओं को सूरीनाम सरकार द्वारा मान्यता का वार्षिकोत्सव हिन्दी-दिवस के रूप में 23 मार्च, 1986 को मनाया। सूरीनाम हिन्दी परिषद् ने हिन्दी परिषद् के हिन्दी शिक्षण कार्य को पिछले अनेक वर्षों में अत्यन्त व्यवस्थित ढंगसे आगे बढ़ाया है और इसमें इसे समाज के सभी वर्गों का सहयोग समर्थन और प्रेरणा मिली है। भारतीय दूतावास भी हर संभव सहयोग प्रदान करने में सदैव तत्पर रहा है और हिन्दी परिषद् के कार्य को सुगम और सुचारू बनाने के लिए सहायता और सुझाव देता रहा है।

परिषद् द्वारा इस अवसर पर आयोजित सभा में भारतीय राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह ने परिषद् के अधीन हिन्दी सीख रहे सभी वर्गों के छात्रों के उपयोग के लिए भारत सरकार से प्राप्त लगभग ढाई हजार हिन्दी पाठ्य पुस्तकें परिषद् को प्रदान करते हुए कहा कि हम हिन्दी परिषद् के इस महत्वपूर्ण कार्य को तथा सुरीनाम के जागरूक नागरिकों और भारतवंशियों की भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने की भावना को बहुत सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं और इसीलिए परिषद् की किसी भी प्रकार सहायता करने अथवा परिषद् के उत्साही कार्यकर्ताओं को हिन्दी शिक्षण की अधुनातन पद्धति का प्रशिक्षण लेने के लिए छात्रवृत्ति पर भारत भेजने को अपने दूतावास के कार्य का अटूट भाग मानते हैं।

इससे पूर्व हिन्दी परिषद् के अध्यक्ष श्री हरनारायण जानकी प्रसाद सिंह ने परिषद् की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में परिषद के पास कार्यकर्ताओं की कमी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुछ अत्यन्त विश्वस्त और कर्मठ कार्यकर्ताओं के विदेश चले जाने के कारण परिषद् को अपनी गतिविधियों के संचालन में कठिनाई हो रही है। अध्यक्ष ने इतनी संख्या में पुस्तक प्रदान करने और आगामी कई वर्षों तक पाठ्य-पुस्तकों की समस्या हल कर देने के लिए भारत के राजदूत को धन्यवाद दिया और कहा कि दूतावास द्वारा जो हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से दी जा रही हैं और उनसे हिन्दी के प्रति रुचि जाग्रत करने में बहुत सहायता मिली है।

इस अवसर पर सूरीनाम के अनेक भारत-प्रेमी नागरिक और लेखक, साहित्यकार भी उपस्थित थे। सूरीनाम सरकार में सर्वोच्च राजनीतिक समिति के सदस्य और देश के भारतवासियों के सर्वमान्य वरिष्ठ नेता श्री जगरनाथ लक्ष्मन की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। श्री लक्ष्मन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सूरीनाम के भारतवंशी भारत से किसी भी राजनीतिक संरक्षण की अपेक्षा नहीं करते। राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतंत्र देश में हैं और अपनी समस्याएं हम स्वयं हल करेंगे परन्तु जहां तक हमारी सांस्कृतिक चेतना और अस्तित्व का सवाल है, हमें गौरव है कि हम भारतवंशी हैं और भारत से सांस्कृतिक मार्गदर्शन और सहायता पाने का हक हमें है जो सर्वथा उचित है क्योंकि संस्कृति का संबंध सीधा मानवाधिकार का प्रश्न है। हमें खुशी है कि वर्तमान राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह ने हमारी इस अपेक्षा को बहुत अच्छी तरह समझा है और बराबर पूरा किया है और इस प्रकार सूरीनाम में स्थापित भारतीय दूतावास की उपस्थिति इनके कार्यकाल में अत्यन्त सार्थक सिद्ध हो रही है।

सूरीनाम हिन्दी परिषद् के स्थापना काल से परिषद् के संचालन में निरंतर तत्पर सूरीनाम के प्रमुख बुद्धिजीवी डा० ज्ञान अधीन ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध दो भाइयों के बीच के संबंध हैं इसीलिए हमने हमेशा सूरीनाम–भारत भातृ संघ स्थापित करने की बात कही है। सूरीनाम में हिन्दी की अक्सर उठनेवाली चर्चा का जिक्र करते हुए डा० ज्ञान अधीन ने कहा कि इसमें कहीं भी संघर्ष की बात नहीं है। भारत में हिन्दी की अनेक बोलियां अभी भी चल रही हैं और सभी की मानक भाषा हिन्दी है। यदि सूरीनाम में भी स्थानीय सूरीनाम के साथ मानक हिन्दी विकसित हो तो उससे भाषा और संस्कृति के विकास में सहायता ही मिलेगी।

सभा के द्वितीयार्ध में बेल्जियम के नागरिक युवा डा० हयूरेत ने सूरीनामी हिन्दी और सूरीनाम में भारतीय संस्कृति विषय पर अपनी गवेषणापूर्ण खोज के आधार पर एक भाषण दिया जिस पर श्रोताओं ने अनेक प्रश्न किए और अनुसंधानकर्ता के अनेक निष्कर्षों से अपनी स्पष्ट असहमति प्रकट की।

सभा का संचालन श्री रामदेव रघुवीर ने किया। अनेक कवियों ने कविता पाठ से तथा बच्चों ने गीत सुनाकर हिन्दी दिवस के आयोजन को सफल बनाया।

प्रस्तुति : रागिनी सिन्हा

# मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितीयों की गतिविधियां

## 1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार, दिनांक 13 फरवरी, 1986 को सम्पन्न हुई।

2. सदस्यों का स्वागत करते हुए मंत्री जी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछली बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर कारवाई की गई है। मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने पर बल दिया और कहा कि इसमें अपेक्षित प्रगति न होने का मुख्य कारण मानसिकता का अभाव है। उन्होंने सदस्यों को बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयानुसार मंत्रालय में तकनीकी शब्दावली समिति का गठन किया गया है। मंत्री जी ने विचार व्यक्त किया कि पेट्रोलियम उद्योग पर पुस्तकों का प्रणयन एक चुनौती है जिस पर नीति निर्धारित की जानी चाहिए। मंत्री जी ने आशा प्रकट की कि इन विषयों पर समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझावों से मंत्रालय लाभान्वित होगा और इससे हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

3. **श्री मुकुल चन्द पांडेय** ने आशा व्यक्त की कि माननीय मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। नियत अवधि में बैठक का आयोजन करने के लिए उन्होंने मंत्री जी को बधाई दी। श्री पांडेय का विचार था कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है और वहां हिन्दी में कामकाज तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मांग की कि सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को मंत्रालय की ओर से पहचान-पत्र दिये जाने चाहिए जिससे वे निरीक्षण के लिए उपक्रमों आदि में जा सकें। उनका विचार था कि प्रोत्साहन पुरस्कारों की राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

4. राजभाषा विभाग की सचिव तथा भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार **कुमारी कुसुम लता मित्तल** ने स्पष्ट किया कि राजभाषा विभाग के आदेश हैं कि हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों की निरीक्षण समितियां आदि गठित नहीं की जानी चाहिए। ऐसी समितियों के गठन से वित्तीय समस्याएं तथा अन्य कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। सरकार की ओर से हिन्दी की प्रगति को देखने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है जो भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि का निरीक्षण कर रही है और राष्ट्रपति को यथासमय अपनी रिपोर्ट देगी। पुरस्कार योजना के संबंध में कुमारी मित्तल ने बताया कि उपक्रम स्वयं निणय ले सकते हैं तथा पुरस्कार की राशि को बढ़ा सकते हैं।

5. मंत्री जी ने कहा कि पहचान-पत्र गृह मंत्रालय के आदेश से जारी किए जाते हैं, परन्तु परिचय-पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस बारे में कार्रवाई की जाएगी।

6. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** का विचार था कि मंत्रालय के पुस्तकालय के लिए प्रति वर्ष लाखों रुपयों की अंग्रेजी की पुस्तकें खरीदी गई हैं परन्तु इस खरीद में हिन्दी की पुस्तकों की खरीद का अनुपात बहुत कम है और इसे बढ़ाया जना चाहिए। उन्होंने मांग की कि तुलनात्मक दृष्टि से हिन्दी के टाइप-राइटरों की खरीद को भी बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में दिए गए सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए।

7. **डा० एस० कृष्णमूर्ति** ने मंत्रालय द्वारा हिन्दी की प्रगति के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मंत्रालय द्वारा हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को सभी सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होने मंत्रालय में कम्प्यूटर स्थापित करने तथा गृह पत्रिका शीघ्र प्रकाशित करने की मांग की। उनका विचार था कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है तथा इस ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

8. **श्री जगन्नाथ मिश्र** ने मांग की कि मंत्रालय पेट्रोलियम उद्योग पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के प्रणयन की व्यवस्था करे जिसमें हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों को शामिल किया जाए। उनका विचार था कि ऐसे ही विद्वानों के नाम पर पुरस्कार दिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तकों के लिए आबंटित राशि उत्साहवर्धक नहीं है। उन्होंने मांग की कि मंत्रालय में पुस्तकों की खरीद के लिए बजट का 25 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाये।

9. **श्री राम अवतार गुप्ता** का विचार था कि अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का हिन्दी में प्रयोग किया जाना चाहिए–एजेंट, एजेंसी जैसे शब्द। उन्होंने तकनीकी शब्दावली समिति का गठन करने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद दिया।

10. **कुमारी कुसुमलता मित्तल** ने स्पष्ट किया कि प्रचलित तकनीकी शब्दों के प्रयोग पर और अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों को देवनागरी आदि में लिखने पर कोई रोक नहीं है। इसी संबंध में उन्होंने बताया कि मंत्रालय के पुस्तकालय में मूल तकनीकी और पुरस्कृत पुस्तकों की खरीद बढ़ाई जाए।

**11. दिनांक 30 अक्तूबर, 1985 को हुई हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में लिये गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट :** मंत्री जी के सुझाव पर हिन्दी सलाहकार समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट पर निम्न रूप में विचार किया गया :—

(1) गृह पत्रिका प्रकाशित करने के संबंध में मंत्री जी ने बताया कि मंत्रालय में अगले दो-तीन महीनों में तिमाही गृह पत्रिका प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया जाएगा ।

(2) इस मद पर पहले चर्चा हो चुकी है और यह निर्णय लिया गया है कि सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान-पत्र दिए जायेंगे ।

(3) मंत्रालय के सभी पत्र शीर्षों पर हिन्दी को वरीयता दी गई है ।

(4) मंत्रालय के नए नामपट्ट तथा रबड़ की मोहरें द्विभाषी रूप में तैयार करा लिए गए हैं ।

(5) पृष्ठ संख्या 1 तथा 2 पर पैरा संख्या 3 तथा 4 में पुरस्कार योजना पर पहले ही चर्चा हो चुकी है ।

(6) पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निरीक्षण दल का पुनर्गठन किया गया है और हिन्दी कार्यान्वयन के कार्यभारी संयुक्त सचिव अब निरीक्षण दल के अध्यक्ष हैं ।

(7) जैसे कि पहले चर्चा हो चुकी है, राजभाषा विभाग के आदेश के अनुसार सलाहकार समिति की निरीक्षण समिति/उपसमिति गठित नहीं की जानी चाहिए । परन्तु सदस्यों के विशेष अनुरोध पर मंत्री जी ने इस बात पर स्वयं विचार करने के लिए अपना मन्तव्य व्यक्त किया ।

(8) सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा हिन्दी में रसीदें आदि जारी करने के संबंध में चर्चा में भाग लेते हुए श्री गोपीनाथ तिवारी और श्रीमती उषा रानी तोमर ने मांग की कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए । मंत्री जी ने बताया कि इस मामले पर पहले ही कार्रवाई की जा रही है तथापि, उन्होंने तेल कम्पनियों के उपस्थित प्रतिनिधियों से इस मामले पर तुरन्त कदम उठाने के लिए आदेश दिए ।

(9) पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मंत्रालय में तकनीकी शब्दावली समिति का गठन कर दिया गया है ।

(10) मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रमों के द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य संदर्भ साहित्य को देश के सभी विश्वविद्यालयों व हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजने के लिए सभी उपक्रमों को आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

(11) तकनीकी शब्दावलियों के प्रकाशन तथा प्रचलित शब्दों के प्रयोग के बारे में माननीय सदस्या के सुझाव को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

**12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों में राजभाषा कार्य की प्रगति तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा प्रसारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हुई प्रगति का ब्यौरा :** मंत्री महोदय के कहने पर सहायक निदेशक (हिन्दी) ने मंत्रालय में तथा अधीनस्थ उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति पर प्रकाश डाला ।

13. **प्रो० राजलक्ष्मी** ने प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि मंत्रालय में अंग्रेजी के टाइपराइटरों के अनुपात में हिन्दी के टाइपराइटरों की संख्या बहुत कम है । उन्होंने कहा कि जब तक मंत्रालय में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाई नहीं जाती प्रशिक्षित कर्मचारियों से हिन्दी में कार्य नहीं लिया जा सकता है और नहीं हिन्दी का प्रयोग बढ़ सकता है । उन्होंने यह भी कहा कि तेल कम्पनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र चलाने वालों के साथ जो अनुबंध या शर्तनामें तैयार होते हैं वे केवल अंग्रेजी में होते हैं जिन्हें नियमतः द्विभाषी होना चाहिए । माननीय सदस्या को बताया गया कि उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए और हिन्दी टाइपराइटर खरीदे जायेंगे । जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुबंध या शर्तनामें तैयार करने का प्रश्न है, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि ने इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया ।

14. राजभाषा विभाग की सचिव **कुमारी कुसुमलता मित्तल** ने बताया कि कम्प्यूटर मेंन्टेनन्स कारपोरेशन ने द्विभाषी कम्प्युटर, वर्ल्ड प्रौसेसर, टाइपराइटर आदि तैयार किए हैं जिनका मंत्रालय में प्रयोग किया जा सकता है ।

15. **श्री श्याम सुन्दर शर्मा** ने मांग की गृह पत्रिका के प्रकाशन में विलम्ब न किया जाए तथा इस कार्य में गैर सरकारी सदस्यों का भी सहयोग लिया जाए ।

16. **श्री बालाशौरि रेड्डी** ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी की तकनीकी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जाए । मौलिक पुस्तकें उन लेखकों से लिखाई जाएं जिनका विषय-क्षेत्र से संबंध हो ।

17. **डा० एच० पी० शर्मा** ने कहा कि उपक्रमों को कम से कम हिन्दी भाषी क्षेत्रों में रसीदें, साइनबोर्ड, कन्टेनर्स आदि हिन्दी में ही तैयार कराने चाहिए । तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा यह बताये जाने पर कि साइनबोर्ड कन्टेनर्स आदि पहले से ही हिन्दी में तैयार कराये हैं, श्री शर्मा ने संतोष व्यक्त किया ।

श्री शर्मा ने सुझाव दिया कि शुरुआत के तौर पर मंत्री जी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अपने हस्ताक्षर केवल हिन्दी में ही करने चाहिएं । उनका कहना था कि अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट आदि हिन्दी में ही लिखनी चाहिए ।

18. **कुमारी कुसुमलता मित्तल** ने बताया कि इस मंत्रालय के 80 प्रतिशत से भी अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और नियम 10(4) के अधीन इसे अधिसूचित किया जा चुका है । अतः नियम 10(8) के अधीन कुछ अनुभागों में केवल हिन्दी में ही कार्य करने के लिए क्षेत्र निर्दिष्ट किए जाए ताकि वहां केवल हिन्दी में ही कार्य किया जाए ।

19. **श्री मुकुल चन्द पांडे** ने सुझाव दिया कि मंत्रालय में माह में कम-से-कम एक दिन ऐसा निश्चित कर लिया जाए जिस जिस दिन सारा कार्य केवल हिन्दी में ही किया जाए ।

20. **डा० राजेन्द्र शर्मा** ने सुझाव दिया कि मंत्रालय में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए जिसमें गैर सरकारी सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए और मंत्री जी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें भाग लें ।

21. सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि मंत्रालय में हिन्दी में कार्य करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया जाए जहां केवल हिन्दी में कार्य किया जाएगा । यह निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक माह के प्रथम कार्यदिवस को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन किये जाने वाले सारे कार्य हिन्दी में ही किए जाएंगे तथा इसके आंकड़े रखें जायेंगें । कार्यशाला आयोजित करने के प्रश्न पर समिति को बताया गया कि मंत्रालय के कार्यभार को देखते हुए शीघ्र ही कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ।

22. **श्री मुकुल चन्द पांडे** ने सुझाव दिया कि मंत्रालय के कायभार को देखते हुए हिन्दी अनुभाग को दो कक्षों में अर्थात् अनुवाद कक्ष तथा कार्यान्वयन कक्ष में विभिक्त किया जाए तथा मंत्रालय में एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी की भी नियुक्ति की जाए ।

23. मंत्री जी ने बताया कि हिन्दी अनुभाग में स्टाफ की बढ़ोतरी के लिए कार्याध्ययन कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं और उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

24. मंत्री जी के कहने पर उपक्रमों के उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपने-अपने उपक्रम में हिन्दी के उत्तरोतर प्रयोग के क्षेत्र में हो रही प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया ।

**25. सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार :** यह बताया गया कि सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां पहले ही प्रचारित की जा चुकी है और बैठक के दौरान उन पर विचार भी कर लिया गया है ।

डा० वीरेन्द्र कुमार दुबे से प्राप्त मदों व प्रो० राजलक्ष्मी की मद के संदर्भ में बताया गया कि सूचना एकत्र करके माननीय सदस्यों को दे दी जाएगी । यह मान लिया गया कि कार्यसूची की सभी मदों पर विचार कर लिया गया है ।

26. मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को लागू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

—टी० एन० आर० राव
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
एवं सदस्य सचिव
हिन्दी सलाहकार समिति

## 2. योजना मंत्रालय

योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24/4/86 को माननीय योजनाराज्य मंत्री श्री अजितकुमार पांजा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

माननीय राज्य मंत्री जी ने हिन्दी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति का दायित्व योजना मंत्रालय और उसके कार्यालयों में केन्द्रीय हिन्दी समिति और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वियन और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है । यह एक गंभीर दायित्व है, इसका गंभीरता और पूरी निष्ठा से निर्वाह किया जाना है ।

प्रत्येक कार्यक्रम को सफल करने के लिए भीतर और बाहर उचित वातावरण तैयार किया जाना जरूरी होता है । उसके पश्चात मंत्री जी ने सदस्यों को हिन्दी के उत्थान और प्रगति के लिए जो कार्य योजना आयोग में किए गए, उनसे अवगत कराया ।

मंत्री जी के भाषण पर सभी सदस्यों ने एक मत से हर्षध्वनि को और उन्हें इस बात के लिए साधूवाद दिया कि उन्होंने पिछली बैठक में दिए वचन के अनुसार अपना भाषण हिन्दी में दिया । सभी सदस्यों ने आशा व्यक्त की कि माननीय राज्य मंत्री जी ने जो पहल की है उसका योजना मंत्रालय के अधिकारियों व कर्मचारियों पर सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के संबंध में अच्छा असर पड़ेगा ।

कार्यसूची के अनुसार चर्चा आरंभ होने के पूर्व हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** जी ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये :—

(क) हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए वास्तविक वातावरण बढ़ाने के लिए मेज पर की सभी वस्तुओं पर जैसे पेपर वेट, कलम, दवात, नोटिंग पेपर आदि पर द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) में लेख लिखें जाने चाहिए ।

(ख) विभाग को चाहिए कि वह केवल हिन्दी में पत्राचार किया करे ।

(ग) हिन्दी के अधिक से अधिक टाइपराइटर होने चाहिए । हिन्दी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में हो सके ।

(घ) सभी यंत्र जैसे कि टेलिप्रिंटर, टाइपराइटर आदि हिन्दी के ही खरीदे जाने चाहिए ।


8—110 जैम० ऑफ एच०ए० (ए०डी०)/86

(ङ) हिन्दी सप्ताह व हिन्दी दिवस और कार्यशालाओं में हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया जाए जिससे कि वे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और प्रोत्साहन के कार्यक्रम में भाग ले सकें ।

(च) राजभाषा अधिनियम/नियम के प्रावधान से सभी अधिकारियों को सचिव द्वारा अवगत कराया जाना चाहिए । हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाना चाहिए । हिन्दी के बारे में वर्ष के कार्यक्रम को चार भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और हर भाग को हर तिमाही में पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

(छ) योजना आयोग और उनके कार्यालय राजभाषा नियम 10(4) के अनुसार अधिसूचित किए जाने चाहिए ।

(ज) हिन्दी के जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कम से कम 25 प्रतिशत काम हिन्दी में करना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने की कोशिश करनी चाहिए ।

(झ) चैक प्वांइट सुदृढ़ किये जाएं ।

(ञ) पुस्तकालय में 25 प्रतिशत पुस्तकें हिन्दी में खरीदी जानी चाहिए । चूंकि योजना मंत्रालय के पुस्तकालय में हिन्दी की पुस्तकों की संख्या बहुत ही कम है इसलिए वर्ष 1986-87 में 75 प्रतिशत पुस्तकें हिन्दी में ही खरीदी जानी चाहिए । हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों की कोई कमी नहीं है ।

(ट) पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार 10 या 15 हजार रू० से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि कम पुरस्कार के लिए कोई भी विद्वान योजना के लिए पुस्तक लिखने के लिए तैयार नहीं होगा ।

(ठ) योजना मंत्रालय को भी "योजना" के अतिरिक्त एक पत्रिका भी निकालनी चाहिए जिससे कि देश की जनता को योजना के बारे में अवगत कराया जा सके ।

(ड) राजभाषा कार्यान्वयन समिति में गैर सरकारी सदस्यों को भी "प्रेक्षक" के रूप में आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि हिन्दी कार्यान्वयन की प्रगति को आंका जा सके ।

कार्यसूची के अनुसार मद संख्या 2 पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के बारे में थी। चूंकि सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई अतः इसे पुष्ट समझा गया । मद संख्या 3 पिछली बैठक के निर्णयों/सुझावों पर की गई कार्रवाई के बारे में थी। सदस्यों ने आग्रह किया कि इस विवरण को उन्हें बैठक की सूचना के साथ भेजा जाना चाहिए ।

मद संख्या 4 पर विचार विमर्श करते हुए सदस्य **श्री युगल किशोर चतुर्वेदी** जी ने कहा कि उन्होंने जो सूचना मांगी थी उसका उन्हें ठीक उत्तर नहीं दिया गया है । श्री चतुर्वेदी जी ने सुझाव दिया कि चाहे कोई कार्यालय छोटा हो या बड़ा प्रत्येक कार्यालय को राजभाषा नियम/अधिनियम का पालन करना चाहिए । उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि माननीय राज्य मंत्री जी की देख रेख में योजना मंत्रालय के सभी का कार्यालयों में विशेषकर उन कार्यालयों मे जो (क) और (ख) क्षेत्र में स्थित हैं, हिन्दी में अधिक से अधिक काम किया जाएगा ।

**श्रीमती शान्ता बहन मकवाना** ने सुझाव दिया कि :

(क) योजना मंत्रालय को चाहिए कि जो पत्र अंग्रेजी में आते हैं उनका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए ताकि इसका असर भारत सरकार, राज्य सरकारों के कार्यालयों के साथ साथ अन्य कार्यालयों पर भी अच्छा असर पड़े ।

(ख) गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए हिन्दी चलचित्र तैयार करवाए जाएं जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयता की भावनाओं को अनुप्राणित कर सकें ।

(ग) हिन्दी केवल देवनागरी लिपि में ही लिखी जानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्ति उसे पढ़ सकें ।

**श्री राम सहाय पांडेय** जी ने समस्त केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में योजना मंत्रालय की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और सुझाव दिया कि यदि इस संबंध में योजना मंत्रालय पहल करेगा तब अन्य मंत्रालय उसका अनुसरण करेंगे ।

**श्रीकृष्ण दत्त** जी ने भूतपूर्व हैदराबाद के निजाम द्वारा उर्दू के प्रसार के लिए किए गए कार्यों और दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं द्वारा हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया और सुझाव दिया कि :

(क) योजना मंत्रालय से सभी पत्र हिन्दी में ही जारी होने चाहिए ।

(ख) हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए अपने कर्मचारियों से आग्रह करने के साथ साथ उन्हें हिन्दी में काम करने वालों कों प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं बनाई जानी चाहिए ।

**श्री भगवती शरण सिंह** जी ने अपने पूर्व वक्ता श्री कृष्ण दत्त जी के सुझाव का समर्थन किया ।

**श्री गंगा शरण सिंह** जी ने कहा कि :

(क) राज्यों के साथ पत्राचार से संबंधित आंकड़ें नहीं रखे जा रहे है, इसलिए यह अनुमान करना कठिन है कि राजभाषा कार्यान्वयन व उसके तहत बने नियम का पालन हो रहा है अथवा नहीं। यदि इन आंकड़ों के रखने में यदि कोई कठिनाई है तो उसे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को बताया जाए जिससे वे इस संबंध में सलाह दे सकें ।

(ख) हिन्दी के इस्तेमाल के लिए उचित वातावरण बनाने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से हिन्दी में हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया जाए ।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि वरिष्ठ अधिकारी राजभाषा अधिनियम/नियम के प्रावधान से परिचित नहीं है। उन्हें इससे अवगत कराने के लिए कार्यशालाएं भी चलाई जाएं ।

**श्री मुकुल चन्द पांडेय** जी ने कहा कि :

(क) शब्दावली समिति को सक्रिय किया जाय ।

(ख) विभिन्न प्रभागों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक सलाहकार के अधीन राजभाषा कार्यान्वित समितियाँ गठित की जाएं ।

(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष एक उच्च स्तर का अधिकारी जैसे सचिव या कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होना चाहिए ।

(घ) मंत्री जी को कुछ फाइलें हिन्दी में ही मंगानी चाहिए ताकि नीचे वाले अफसर हिन्दी में काम करना आरम्भ करें ।

(ङ) चैक प्वांइट का निरीक्षण गैर सरकारी सदस्यों से कराया जाए जो इस बात का पता कर सकें कि चैक प्वांइट ठीक से काम रहे है या नहीं।

बैठक का समापन करते हुए श्री एन० के० सेठ, सलाहकार (शासन) ने हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि योजना आयोग में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के पश्चात् बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई ।

## 3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दि० 11 मार्च 1986 को आयोजित की गई ।

सदस्यों का स्वागत करते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि यह मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के हिन्दी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय सहित इसके 337 कार्यालयों के 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय तथा इसके विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के 274 पद सृजित हो चुके हैं तथा 62 अतिरिक्त हिन्दी पदों को 1-4-86 से सृजित करने के लिए मंजूर कर दिया गया है ।

यह बताया गया कि समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत पर कोई टिप्पण प्राप्त नहीं हुई है, अत: उसकी पुष्टि हुई समझा गया। उसके बाद कार्यसूची के विषयों पर चर्चा शुरू हुई ।

**समिति की पिछली बैठक में दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट**

समिति की पिछली बैठक में दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की चर्चा करते हुए डा० मलिक मोहम्मद ने कहा कि केरल स्थित आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम और कालीकट केन्द्रों के हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बहुत ही कम है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इन केन्द्रों के हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। इस संबंध में महानिदेशक, आकाशवाणी ने बताया कि इन केन्द्रों पर हिंदी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने के लिए स्थानीय कार्यक्रमों की अवधि कम करनी पड़ेगी जो उचित नहीं है। इस पर श्री कन्हैया लाल नंदन ने यह सुझाव दिया कि केरल के आकाशवाणी केन्द्रों से हिन्दी के जो पाठ प्रसारित किए जाते हैं उनका समय या आवृति कम करके हिन्दी कार्यक्रमों का समय बढ़ाने पर विचार किया जाए। डा० दक्षिणामूर्ति ने भी इस विचार का समर्थन किया ।

मंत्री महोदय ने कहा कि इस बात को पुन: देख लिया जायेगा कि केरल स्थित आकाशवाणी केन्द्रों के हिन्दी कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाई जा सकती है या नहीं ।

श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने कहा कि दूरदर्शन से "राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करें" जैसे जो स्लोगन टेलीकास्ट होते थे, उन्हें अचानक बंद कर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस प्रकार के स्लोगनों को पुन: चालू किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि इस बारे में देख लिया जायेगा।

**मंत्रालय तथा इसके विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग**

श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने कहा कि मंत्रालय तथा विभिन्न माध्यम एककों और विशेषकर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में हिन्दी में प्रत्राचार की प्रतिशतता बहुत कम है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूल रूप से हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का भी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए ।

उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि कुछ ऐसे विषय निर्धारित कर दिए जाने चाहिएं जिनका निपटान करने के लिए हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों से केवल हिन्दी का ही प्रयोग करने के लिए कहा जाए। इससे हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बढ़ेगी। श्री गिरिजा कुमार माथुर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को कम से कम 20 प्रतिशत काम हिन्दी में शुरू करना चाहिए ताकि अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिले।

इस संबंध में यह बताया गया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं तथा मूल रूप से भेजे जाने वाले पत्रों को भी यथा संभव हिन्दी में भेजने का प्रयास किया जाता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजपत्रों को संभव हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए अपना सरकारी काम हिन्दी में करने की छूट है और प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक काम हिन्दी में हो। यह भी बताया गया कि मंत्रालय तथा कई माध्यम एककों में कुछ ऐसे विषय निर्धारित कर दिए गए हैं जिनका निपटान करने के लिए हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों से केवल हिन्दी का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि इससे हिन्दी के प्रयोग में प्रगति होगी।

**मंत्रालय में गठित निरीक्षण समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करना तथा समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का भेंट कार्यक्रम बनाना।**

मंत्रालय में गठित निरीक्षण समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने के बारे में श्री वाई० जी० शिंदे के एक प्रश्न के उत्तर में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने बताया कि मंत्रालय की निरीक्षण समिति में गैर-सरकारी सदस्य न हों तो अच्छा होगा। तथापि, हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले सकते हैं। तदनुसार, मंत्रालय तथा इसके विभिन्न माध्यम एकक अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिंदी सलाहकार समिति के एक गैर-सरकारी सदस्य को जो आसानी से उपलब्ध हो, पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। मंत्री महोदय ने इससे सहमति व्यक्त की।

**आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से पाठों का प्रसारण**

डा० एन० एस० दक्षिणामूर्ति ने कहा कि जो पाठ प्रसारित होते हैं, अहिन्दी क्षेत्रों में उनका सिलसिला कभी-कभी टूट जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पाठ कोई एक अध्यापक पढ़ाता है तो उसके बाद दूसरा अध्यापक पढ़ाता है। इससे पाठों में सिलसिला नहीं बना रहता। डा० दक्षिणामूर्ति ने इस बात पर बल दिया कि पाठों का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। महानिदेशक आकाशवाणी ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पाठों का सिलसिला टूटे नहीं।

श्री जसयंग ग्यलछन ने कहा कि आकाशवाणी लेह से लद्दाखी में तीन पाठ प्रसारित होते है किन्तु हिन्दी में पाठ प्रसारित नहीं होते। इसी प्रकार आकाशवाणी पोर्टब्लेअर से भी हिन्दी में पाठ प्रसारित नहीं होते। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन केन्द्रों से हिन्दी पाठ भी प्रसारित होने चाहिएं। मंत्री महोदय ने कहा कि इस बारे में विचार कर लिया जायेगा।

दूरदर्शन केन्द्रों से हिन्दी पाठों को टेलीकास्ट करने के बारे में श्री कन्हैया लाल नन्दन के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि स्थानीय प्रेषण समय बहुत कम उपलब्ध होने के कारण दूरदर्शन केन्द्रों से हिन्दी पाठों का प्रसारण शुरू करना फिलहाल कठिन है। इस संबंध में श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने कहा कि आई०टी०आई० मद्रास ने एक ऐसा कम्प्यूटर बनाया है जिससे तमिल हिन्दी और अंग्रेजी तीनों माध्यमों से प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस कम्प्यूटर का उपयोग मद्रास दूरदर्शन केन्द्र से हो रहा है। यदि ऐसी सुविधा अन्य दूरदर्शन केन्द्रों पर भी कर दी जाए तो इससे लोग हिन्दी सीख सकेंगे।

**पूर्वी क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में नीति।**

श्री आशिस सन्याल ने कहा कि आकाशवाणी के बारे में तो विवरण मिल गया है किन्तु दूरदर्शन के बारे में विवरण नहीं मिला है। 26 फरवरी 1986 को आकाशवाणी से मणिपुरी में लोक नृत्य का एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया था किन्तु दूरदर्शन से यह कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री आशिस सन्याल ने यह भी कहा कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से हिन्दी में प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि दर्शाने वाले विवरण में अवधि कहीं मासिक दी गई है और कहीं साप्ताहिक। मंत्री महोदय ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के ब्यौरे एक ही हिसाब से दिए जाने चाहिएं।

**आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलकत्ता केन्द्रों के हिन्दी कार्यक्रमों को और आकर्षक बनाना।**

श्री आशिस सन्याल ने कहा कि अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के कार्यक्रमों को और आकर्षक बनाने के लिए हिन्दी संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए ताकि वहां के लोग इसे आसानी से समझ सकें। डा० मलिक मोहम्मद ने कहा कि अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के कार्यक्रमों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उनमें स्थानीय रंग दिया जाना चाहिए। श्री कन्हैया लाल नन्दन ने डा० मलिक मोहम्मद के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि यह संबंधित कार्यक्रम निष्पादकों पर ही छोड़ दिया जाना चहिए कि वे कार्यक्रमों में स्थानीय रंग भी दें और उन्हें आकर्षक भी बनाएं। मंत्री महोदय ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की कि स्थानीय कार्यक्रमों में स्थानीय रंग दिया जाना चाहिए।

**हिन्दी अनुवादकों के खाली पदों को भरना।**

हिन्दी अनुवादकों आदि के खाली पदों को भरने के बारे में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने कहा कि यदि हिन्दी अनुवादकों आदि के खाली पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग उम्मीदवारों को नामित नहीं कर पाता

है तो दूसरी जगह से व्यक्ति लेकर पदों को तदर्थ आधार पर भर लिया जाना चाहिए । इस संबंध में महानिदेशक आकाशवाणी ने बताया कि कई मामलों में कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवार नामित किए किन्तु जब उनको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा गया तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया । उन्होंने यह भी बताया कि अधिकांश खाली पद अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हैं और दूर होने के कारण उम्मीदवार वहां जाना पसंद नहीं करते । इस पर श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने कहा कि जो पद खाली हैं उनका ब्यौरा राजभाषा विभाग को भेज दिया जाए । राजभाषा विभाग रोजगार कार्यालय आदि के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को देगा जो उस क्षेत्र से संबंधित होंगे जहां उन्हें तैनात किया जाना है । उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रस्ताव आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा उन्हें लिखित में भेज दिया जाए । महानिदेशक आकाशवाणी ने कहा कि वे ऐसा प्रस्ताव राजभाषा विभाग को भेज देंगे ।

**नए हिन्दी शब्द बनाना**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों की आवश्यकताओं के अनुरूप नए हिन्दी शब्द बनाने के बारे में श्री वाई०जी० शिंदे के एक प्रश्न के उत्तर में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष डा० मलिक मोहम्मद ने बताया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जिसे तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय बनाने का काम सौंपा हुआ है। विभिन्न विषयों के 5 लाख शब्दों के हिन्दी पर्याय बना चुका है और अब हिन्दी में शब्दों की कमी नहीं है । हिन्दी पर्याय बनाते समय दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी लिया गया है । श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने भी कहा कि हिन्दी में शब्दों की कमी नहीं है और हिन्दी में दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को लिया गया है ।

**मंत्रालय के लिए हिन्दी में पत्रिका प्रकाशित करना**

मंत्रालय के लिए हिन्दी में एक पत्रिका निकालने के बारे में श्री वाई०जी० शिंदे के एक प्रश्न के उत्तर में श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने बताया कि 19 सितम्बर 1985 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि प्रत्येक मंत्रालय हिन्दी में पत्रिका प्रकाशित करे । तथापि आदेश ये हैं कि जहां कहीं से भी अंग्रेजी की पत्रिका के समकक्ष हिन्दी में जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसका स्तर अंग्रेजी की पत्रिका के स्तर के बराबर होना चाहिए और उसके सम्पादक आदि भी समान स्तर के होने चाहिए । इन आदेशों का लगभग अनुपालन हो रहा है ।

इस अवस्था पर अध्यक्ष का धन्यवाद कर बैठक की कार्यवाही समाप्त हो गई ।

## 4. संसदीय कार्य विभाग

संसदीय कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 1 मई 1986 को कमरा नं. 53 संसद् भवन नई दिल्ली में संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री श्री हर किशन लाल भगत की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

इस बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :—

**सरकारी सदस्य**

(1) श्री एच० के० एल० भगत, संसदीय कार्य एवम् पर्यटन मंत्री—अध्यक्ष, (2) श्री ईश्वरी प्रसाद, सचिव संसदीय कार्य विभाग—सदस्य (3) कु० कुमुद लता सिब्बल सचिव, राजभाषा विभाग एवम् भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार—सदस्य, (4) श्री गोविन्द दास बेलिया, उपसचिव राजभाषा विभाग—सदस्य (5) श्री एम०एल० आहूजा, उपसचिव संसदीय कार्य विभाग—सदस्य (6) श्री देवराज तिवारी, उप सचिव संसदीय कार्य विभाग—सदस्य सचिव ।

**गैर सरकारी सदस्य**

(7) श्री उमाकान्त मिश्र, सदस्य लोक सभा—सदस्य (8) श्रीमती किशोरी सिन्हा, सदस्य लोक सभा—सदस्य (9) श्री अश्विनी कुमार, सदस्य राज्य सभा—सदस्य । (10) श्री रामचन्द्र भारद्वाज, सदस्य संसदीय राजभाषा समिति (सदस्य राज्य सभा)—सदस्य (11) डा० लक्ष्मी नारायण दुबे, रीडर सागर विश्वविद्यालय सागर (मध्य प्रदेश)—सदस्य (12) डा० सत्येन्द्र चतुर्वेदी, प्राचार्य राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)—सदस्य (13) श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य प्रधान, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी (उत्तर प्रदेश)—सदस्य (14) श्री हरिहर नाथ मिश्र, (आई० आर०टी०एस० रिटायर्ड) नगर पालिका फ्लेट्स हेस्टिंग रोड, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश—सदस्य (15) श्री मुकुल चन्द पाण्डेय, 103, तुलाराम बाग, इलाहाबाद 5—सदस्य ।

बैठक में संसदीय कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थिति थे ।

(1) श्री विशन स्वरूप बंसल, अवर सचिव

(2) श्री एस० ए० एल० नरसिंहम, अवर सचिव

(3) श्री रामकिशोर शर्मा, हिन्दी अधिकारी

सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री हर किशन लाल भगत ने बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि विभाग के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय ने दो अनुवादकों और एक टाईपिस्ट के पदों की मंजूरी दे दी है । पदों को भरने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय ने यह बताया कि विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14 फरवरी, 1986 को हुई बैठक में विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री मुकुल चन्द पाण्डेय ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया ।

डा० लक्ष्मीनारायण दुबे ने समिति की बैठक नियमित समय पर बुलाए जाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर किसी सदस्य को कोई टिप्पणी करनी हो तो करे । किसी भी सदस्य



9—110 एम० ऑफ एच० ए० (एन० डी०)/86

ने कोई टिप्पणी नहीं की । तत्पश्चात् कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गयी ।

श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी ने कहा कि इस बात का पता किया जा सकता है कि कितने केन्द्रीय विद्यालयों की युवा संसद प्रतियोगिताओं में कार्यवाही हिन्दी में हुई । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह मालूम किया जा सकता है ।

श्री मुकुल चन्द पाण्डेय ने कहा कि भारतीय शिष्टमंडलों द्वारा विदेशों में हिंदी के प्रयोग के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा आदेश तो जारी कर दिए गए लेकिन क्या किसी शिष्टमंडल ने हिन्दी में बातचीत की अथवा हिन्दी का प्रयोग किया । सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि हमने निवेदन कर दिया है, आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं । इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आंकड़े इकट्ठे करना मुश्किल है ।

**31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त तिमाही के दौरान विभाग में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर विचार**

**और**

**"कार्यशालाओं का कब-कब आयोजन हुआ और कितना प्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगा है" ।**

श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी ने हिन्दी कार्यशालाओं के बारे में जानना चाहा कि उनका कार्यक्रम क्या होता है ? क्या पाठ्यक्रम होता है ? क्या इसके बारे में कोई गाईडलाइन्स है ?

सचिव, संसदीय कार्य विभाग ने बताया कि राजभाषा विभाग द्वारा इसके लिए निश्चित दिशा निर्देश (गाईडलाईन्स) जारी किए है जिनके आधार पर हिन्दी कार्यशालाएं चलाई जाती है । राजभाषा विभाग द्वारा इसके लिए पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया गया है जिसके दो भाग होते हैं । पहला सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित है जो सभी मंत्रालयों के लिए एक ही है । दूसरा भाग मंत्रालय के विशेष कार्य से सम्बन्धित होता है जिसे मंत्रालय स्वयं निर्धारित करता है ।

सचिव महोदय ने यह भी बताया कि विभाग के 27 सहायकों/उच्च श्रेणी लिपिकों में से 11 को हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है । विभाग में कार्यशालाएं अन्तः सत्रावधि के दौरान ही आयोजित की जाती हैं । शेष कर्मचारियों को अगली दो कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ।

**विभाग में जो भी इलैक्ट्रानिक उपकरण, जिसमें टेलीप्रिन्टर, इलैक्ट्रानिक टाइपराईटर, आदि शामिल हैं, विभागीय कार्य हेतु मंगाए जाएं, वे द्विभाषी होने चाहिएं इससे हिन्दी के प्रयोग में उन्नति होगी ।**

सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संसदीय कार्य विभाग में भविष्य में इलेक्ट्रानिक मशीनें द्विभाषी खरीदने का यथा संभव प्रयास किया जायेगा ।

**संसदीय कार्य विभाग में हिन्दी की प्राप्ति के सम्बन्ध में विभाग के 34 आशुलिपिकों/टाइपिस्टों में से अभी 26 को हिन्दी प्रशिक्षण दिलाया जाना बाकी है अतः इसमें कृपया विशेष प्रयास किया जाए जिससे सभी हिन्दी में प्रशिक्षित हो जाएं ।**

**और**

**विभाग के 34 आशुलिपिकों और टाइपिस्टों में से 26 को अभी हिन्दी आशुलिपि/टाईपिंग का प्रशिक्षण दिलाया जाना बाकी है ।**

इस विषय पर समिति को बताया गया कि प्रशिक्षण नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को ही दिलाया जाता है । विभाग के 20 नियमित आशुलिपिकों/टाइपिस्टों में से 9 (5 निम्न श्रेणी लिपिक और 4 स्टेनोग्राफर) को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है । शेष को भी अगले प्रशिक्षण सत्रों में भेजा जाएगा ।

**विभाग में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में समुचित कार्यान्वयन के लिए सामान्य अनुभाग (निर्गम अनुभाग) में एक जांच बिंदु (चैक प्वाइन्ट) यह निगरानी के लिए बनाया गया है कि पत्रादि नियमों के अनुसार जारी किए जाएं । क्या विभाग में इसका अनुपालन हो रहा है ।**

अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की कि जांच बिन्दु कार्य कर रहा है ।

**1985-86 में, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कैसा किया गया ? मूल पत्राचार की स्थिति अब कैसी है? मूल पत्राचार 66.5% होनी चाहिए । क्या इसका अनुपालन किया गया है ? कृपया इसका स्पष्टीकरण करें ।**

अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विभाग द्वारा "क" क्षेत्र के राज्यों को भेजे गए पत्र शत प्रतिशत हिन्दी में अथवा द्विभाषी भेजे गए ।

**भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की भांति संसदीय कार्य मंत्रालय भी राष्ट्रभाषा में लिखित संसदीय पक्ष पर लिखित मौलिक अथवा अनुदित पुस्तकों पर पुरस्कारों की व्यवस्था तथा घोषणा करें ।**

**और**

**संसदीय कार्यों पर मौलिक पुस्तक लेखन पर पुरस्कारों की क्या व्यवस्था है जैसा अन्य सभी मंत्रालय कर रहे हैं ।**

अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् कहा कि इस प्रस्ताव की जांच की जाएगी ।

**संसदीय कार्यों को जनता में परिचित कराने, उन्हें लोकप्रिय बनाने तथा हिन्दी संबंधी कार्यों को प्रोन्नति के प्रसंग में यह मंत्रालय दूरदर्शन पर परिचर्चा/साक्षात्कार/कार्यक्रम की नियोजना का परामर्श दूरदर्शन को प्रदान करें ।**

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संसद की कार्यवाही के लिए रेडियो और दूरदर्शन पर काफी समय से दिया जा रहा है ।

इस पर डा० लक्ष्मी नारायण दुबे ने कहा कि जो परिचर्चाएं हुआ करती हैं वह अधिकांशत: अंग्रेजी में होती हैं । हिन्दी को अधिक स्थान दिया जाना चाहिए । इस पर अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि "परिचर्चाओं में हिन्दी को अधिक समय देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को कार्य करना चाहिए ।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि संसद में जो वहस इत्यादि होते हैं उसके बारे में लोगों को टी० वी० द्वारा बताएं और समझाएं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संसद की कार्य प्रणाली आदि के बारे में परिचर्चाएं दूरदर्शन पर हों और इसके लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा जाना चाहिए ।

**हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यवृत्तों को "राजभाषा पत्रिका" में प्रकाशित करा कर, उन्हें अधिक से अधिक व्यक्तियों की जानकारी में लाया जाना चाहिए ।**

विभाग द्वारा परिचालित टिप्पणी पर संतोष प्रकट किया गया ।

**संसदीय कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग नई दिल्ली को लिखकर विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में "संसदाभिनय" कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की दिशा में सक्रिय तथा रचनात्मक पहल करें ।**

सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोक सभा को लिखेंगे कि विश्वविद्यालय में जो कुछ वे कर रहे हैं उसमें हिंदी में ज्यादा काम किया जाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोक सभा सचिवालय को सुझाव दे सकते हैं कि वे इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखें ।

श्री मुकुल चन्द पाण्डेय ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ इस योजना को जोड़ दिया जाए । राष्ट्रीय सेवा योजना, शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना, एन० सी० सी० की तरह है और उनसे कहना चाहिए कि वह अपने कार्यक्रम हिन्दी के माध्यम से करें । इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को लिखा जाएगा ।

**हिन्दी के कार्य को ऐतिहासिक तथा विशिष्ट तौर पर प्रोन्नति करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की हिन्दी सलाहकार समिति में सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा की जाए ।**

सचिव राजभाषा ने कहा कि हम केवल प्रोत्साहन दे सकते हैं । अभी नीति यह है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में नोट लिख सकता है । भर्त्सना नहीं की जा सकती है ।

**संसदीय कार्य विभाग के हिन्दी में मुद्रित सब प्रकार के रिपोर्ट, समीक्षाएं और अन्य साहित्य समिति के सदस्यों को समय-समय पर भेजने की स्थायी व्यवस्था करना जरूरी है। इसमें महत्व-पूर्ण सायक्लोस्टाइल नोट्स वगैरह भी भेजने का प्रबंध किया जाये ।**

**संसदीय कार्य विभाग की हिन्दी में काम की प्रगति रिपोर्ट तमाम सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजने की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए ।**

और

**संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय की एक संयुक्त सलाहकार समिति गठित करने के बारे में जरूरी कदम उठाये जायें ।**

और

**संसदीय कार्य विभाग के हिन्दी-कार्यान्वयन की वार्षिक अलग रिपोर्ट छपवा के भारत सरकार के हरेक विभाग और सार्व-जनिक संस्थाओं को उपलब्ध कया जाये ।**

इन मदों के प्रस्तावक सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे । तथापि विभाग द्वारा परिचालित नोट पर किसी भी माननीय सदस्य ने कोई भी टिप्पणी नहीं की ।

**विभाग के 102 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 98 को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है । परन्तु कामकाज में 25 प्रति-शत से अधिक हिन्दी का प्रयोग करने वालों की संख्या केवल 22 है ।**

और

**विभाग ने उक्त तिमाही में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन किया है ।**

इन दोनों मदों पर परिचालित नोट पर किसी सदस्य ने कोई टिप्पणी नहीं की ।

**मंत्रालय के कर्मचारियों को हिन्दी में अधिक कार्य करने के लिए कितने प्रोत्साहन पुरस्कार दिये गये हैं ।**

इस विषय पर परिचालित नोट पर किसी भी सदस्य ने कोई टिप्पणी नहीं की ।

अध्यक्ष की अनुमति से भी श्री मुकुल चन्द पाण्डेय ने कहा कि वे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित हुए थे । इस बैठक में हिन्दी भाषी सांसदों के पते हिन्दी में करने का उन्होंने सुझाव दिया था । इस पर सचिव, संसदीय कार्य विभाग ने सूचित किया कि "क" क्षेत्र के सांसदों की नेम-प्लेट हिन्दी में बनवाई जा रही है । अध्यक्ष महोदय द्वारा समय निर्धारित करने के लिए कहने पर सचिव संसदीय कार्य विभाग ने कहा कि मई 1986 के अन्त तक शुरू हो जाने की आशा है ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की ।

देवराज तिवारी
सदस्य सचिव

## 5. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

केंद्रीय हिंदी निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 29-5-86 को अपराह्न 4 बजे निदेशक के कक्ष में संपन्न हुई। श्री राजमणि तिवारी, निदेशक, केंद्रीय

हिंदी निदेशालय ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया।

1. डा० नरेन्द्र व्यास, प्रधान संपादक
2. डा० महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक (राजभाषा), (प्रतिनिधि, राजभाषा विभाग)
3. डा० एम० पी० श्रीवास्तव, उपनिदेशक (प्रकाशन) : विशेष आमंत्रित
4. श्री अनिल कुमार सुकूल, सहायक निदेशक
5. श्री श्रीराम, सहायक निदेशक
6. श्री टी० सी० अमरनाणी, सलाहकार (सिंधी)
7. डा० वीरेन्द्र सक्सेना, सहायक निदेशक
8. श्री इन्द्रप्रकाश दत्ता, प्रशासनिक अधिकारी
9. श्री बलदेव राज कपूर, अधीक्षक
10. श्री जगभूषण चौपड़ा, अधीक्षक
11. श्री एम० एस० रावत, मुख्यलिपिकि
12. डा० भं० प्र० निंदारिया, अनुसंधान सहायक
13. श्री सरोजकुमार त्रिपाठी, अनुसंधान सहायक

निदेशक ने सदस्यों का स्वागत करते हुए सरकारी नीति के अनुसार निदेशालय में हिंदी प्रयोग की स्थिति की संक्षिप्त जानकारी दी और पुनःसभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा नीति के पूरे अनुपालन के लिए तत्परता से कार्रवाई करें। इसके उपरान्त बैठक की मदों पर सिलसिलेवार चर्चा हुई।

**पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

समिति के सदस्य सचिव, श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने पिछली बैठक (14-2-86) का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया। किसी भी सदस्य ने कार्यवृत्त के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। अतः सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की गई।

**पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई**

(क) प्रकाशन अनुभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में भूल से दिए गए आंकड़ों को संशोधित करा दिया गया।

(ख) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सलाहकार (सिंधी) को सहयोजित किया गया।

(ग) 'ग' क्षेत्र में भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों पर पते अंग्रेजी में या हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी लिखने के लिए अनुभागों को निदेश दिए गए।

**निदेशालय की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित दिनांक 31-3-86 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा**

निदेशक ने इस सूचना पर संतोष व्यक्त किया कि निदेशालय में राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग के निदेशक डा० महेश चंद्र गुप्त ने निदेशालय द्वारा हिंदी में निर्धारित अनुपात से अधिक मात्रा में किए जा रहे पत्राचार की सराहना की। उन्होंने निदेशालय की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए वित्तीय, लेखा एवं प्रशासनिक कार्यों में भी हिंदी के प्रयोग का जायजा लिया और संतोष प्रकट किया। डा० गुप्त ने निदेशालय के 25 रोमन टाइपराइटरों में से 4–5 टाइपराइटरों को नागरी टाइपराइटरों में बदलवा लेने का सुझाव दिया। इस संबंध में निदेशालय की तरफ से बताया गया कि पिछले दिनों में निदेशालय में देवनागरी लिपि के तीन टाइपराइटर खरीदे गए हैं। इसी प्रकार भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर केवल देवनागरी टाइपराइटर खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। अतः रोमन टाइपराइटरों के कुंजीपटल देवनागरी में बदलवाने की आवश्यकता नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय**

(क) डा० नरेन्द्र व्यास ने पत्राचार पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 'क' क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को पत्राचार के दौरान लिफाफों पर पते हिंदी में लिखने का सुझाव रखा। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी माध्यम से पढ़ने वाले 'क' क्षेत्र के विद्यार्थियों को भेजे जाने वाले पत्रों पर हिंदी में ही पते लिखे जाएं। इसके लिए एड्रेसोग्राफर पर पतों की प्लेटें तत्काल तैयार करा ली जाएं।

(ख) फर्नीचर आदि पर उत्कीर्ण लेख देवनागरी में भी कराने के लिए सेवा पूर्ति अनुभाग से कहा गया। इस संबंध में उन्हें याद दिलाया गया कि समन्वय अनुभाग की ओर से पहले भी इस संबंध में उन्हें लिखा गया था। अतः इसके लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

(ग) बैठक में निदेशालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे विविध कोशों के व्यापक प्रचार पर बल देते हुए यह सुझाव दिया गया कि "राजभाषा भारती" और "राजभाषा संदेश" में भी इन कोशों से संबंधित प्रचार सामग्री प्रकाशित कराई जा सकती है। निदेशक ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए निदेश दिया कि शीघ्र ही उपर्युक्त पत्रिकाओं समेत अन्य समाचार पत्रों में भी इनको प्रचारित किया जाए ताकि इनकी बिक्री बढ़े और जनता इन कोशों से लाभान्वित हो सके।

(घ) निदेशक (राजभाषा) ने टिप्पण संबंधी हिंदी की मुहरों के प्रयोग को सही बताते हुए इसे जारी रखने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि धारा 3(3) में बताएं दस्तावेजों को छोड़कर अंग्रेजी प्रयोग की बाध्यता को छोड़ा जा सकता है।

(ङ) निदेशक (राजभाषा) ने निदेशालय में इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर तथा द्विभाषी कम्प्यूटर की खरीद करने के बारे में सुझाव दिया। निदेशक ने बताया कि इस संबंध में मंत्रालय से पत्राचार किया जा रहा है।

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद देने के उपरान्त बैठक संपन्न हुई।

—ओमप्रकाश अग्रवाल
सहायक निदेशक

# नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

## 1. बोकारो

बोकारो की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 5 वीं बैठक दिनांक 26 मई, 86 को बोकारो स्टील के प्रबन्ध निदेशक श्री मनीष चन्द्र के तरफदार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक एवं 'मिटकी' पटना के वर्तमान हिंदी सलाहकार श्री जगत पाण्डेय युगल विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। बोकारो स्टील के कई महा प्रबन्धकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों सहित बोकारो नगर स्थित केन्द्रीय सलाहकार के कार्यालयों, संगठनों, उपक्रमों एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विभिन्न सदस्य-संगठनों में हुई हिंदी-कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के उपरान्त हिंदी के सधन-प्रयोग तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी विविध कार्यक्रमों पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया, साथ ही हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन तथा हिन्दी के कामकाज संबंधी प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने के विषय में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये।

बैठक के प्रारम्भ में समिति के सदस्य-सचिव तथा बोकारो स्टील के जन-सम्पर्क विभाग के प्रबन्धक एवं हिंदी के सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री संतोष कुमार मेहरोत्रा ने अतिथियों का स्वागत कर आद्योपान्त संचालन-कार्य संपन्न किया।

—संतोषकुमार मेहरोत्रा
प्रबन्धक (जनसम्पर्क)
एवं सर्वकार्यभारी अधिकारी

## 2. बेलगांव

30-3-1986 को समाप्त तिमाही अवधि की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, बेलगाम समाहर्तालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक श्री महेन्द्र प्रसाद, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बेलगाम की अध्यक्षता में दि० 30-4-1986 को मुख्यालय में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे।

सर्वश्री.

(1) द० रा० सरा, अपर समाहर्ता,
(2) सी० बी० शिवराम, उप समाहर्ता (का० एवं स्था),
(3) बी० पी० धनवन्त, सहायक समाहर्ता (लेखा परीक्षा),
(4) एस० दक्षिणामूर्ति, सहायक समाहर्ता (बेलगाम प्रभाग),
(5) एस० एम० बक्षी, अधीक्षक (विधि),
(6) अ० इ० जोशी, अधीक्षक (के० आ० ए०),
(7) ब० रा० कुलकर्णी, अधीक्षक (लेखा परीक्षा),
(8) बी० एन० बिलगी, अधीक्षक (न्यास निर्णयन),
(9) एम० जी० अवधानी, अधीक्षक (सांख्यिकी),
(10) न० ग० मोईलि, प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय),
(11) म० श्री माली, क० हिन्दी अनुवादक,
(12) रणजित शं० वांदिवडेकर, हिन्दी टंकक,

बैठक में चर्चित महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं :—

**प्रभागीय मुख्यालयों में हिन्दी क्लर्कों की नियुक्ति :**

(क) राज भाषा के रूप में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रभागीय कार्यालयों में हिंदी टंककों की नियुक्ति को आवश्यक समझा गया। अतः यह इच्छा व्यक्त की गई कि इन पदों की मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव मंत्रालय को शीघ्र भेजे जाएं।

(ख) यह स्पष्ट किया गया कि प्रभागीय कार्यालयों के सहायक समाहर्ताओं को पहले ही सूचित किया गया है कि वे निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थानीय टंकण संस्थाओं में भेजकर हिंदी टंकण का प्रशिक्षण उन्हें दिलाने का प्रबन्ध करें। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि यह कार्रवाई अविलंब की जाए ताकि प्रभागीय कार्यालयों में खाली पड़े रहे टाइपराइटरों का उपयोग किया जा सके।

**समाहर्तालय के मुख्यालय में हिन्दी अधिकारी के पद को भरा जाना :**

बेलगाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय के मुख्यालय की स्टाफ संख्या को देखते हुए हिंदी अधिकारी के पद की मंजूरी के लिए इस समाहर्तालय के प० सं० 11/39/4/85 दि० 21-3-1986 द्वारा मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि इस संबंध में आवधिक अनुस्मारक मंत्रालय को भेजे जाएं।


10—110 एम0 आफ एच० ए०/एन०डी/86

**हिन्दी में प्रशिक्षण :**

(क) जनवरी-जून 1986 के चालू सत्र के लिए हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा चलाई जा रही हिन्दी कक्षाओं के लिए 10 अधिकारी नामित किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 5 अधिकारी ही नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं और वे परीक्षा भी देंगे। यह इच्छा व्यक्त की गई कि जुलाई-दिसंबर 1986 के अगले सत्र के लिए समाहर्तालय के मुख्यालय से ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार नामित किए जाएंगे।

(ख) मुख्यालय के कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक को अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजने के संबंध में समिति को यह सूचित किया गया कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का बैंगलोर युनिट 1 जुलाई से 30 सितम्बर 1986 तक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है और निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ने हिन्दी अनुवादक को प्रशिक्षण के लिए जुलाई 1986 से बैंगलोर भेजने का निदेश दिया है।

**हिन्दी पुस्तकालय :**

मुख्यालय के हिन्दी पुस्तकालय में अब लगभग 250 पुस्तकें हैं। इसके अलावा, मुख्यालय, कार्यालय, दैनिक नवभारत टाईम्स, साप्ताहिक धर्मयुग, पाक्षिक सरिता और माधुरी जैसे नियतकालिकों का भी नियमित खरीददार है। यह स्पष्ट किया गया कि मुख्यालय का सभी अधिकारी वर्ग तथा स्टाफ को यह दिनाक 31-3-1986 के परिपत्र द्वारा सूचित किया गया है। वे हिन्दी कक्ष से ये पुस्तकें पढ़ने के लिए ले जाएं। अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारी वर्ग तथा स्टाफ से अनुरोध किया कि वे पुस्तकालय में रखी पुस्तकों एवं नियतकालिकों का अधिकतम मात्रा में लाभ उठाएं और यह इच्छा व्यक्त की कि मुख्यालय का अधिकारीगण हिन्दी पुस्तकें पढ़ने में अधिक रुचि दिखाएं।

**सहायक तथा संदर्भ साहित्य की आपूर्ति :**

समाहर्तालय के मुख्यालय द्वारा पहले ही कुछ सहायक तथा संदर्भ साहित्य भेजा गया है। इस विषय पर चर्चा करते हुए, अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त किया कि अधिकारीगण तथा स्टाफ में परिचालन के लिए सहायक तथा संदर्भ साहित्य की मात्रा में वृद्धि के प्रयत्न किए जाएं।

**हिन्दी पत्रों का निपटान :**

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही रिपोर्ट का समिति द्वारा सिंहालोकन किया गया। हिन्दी में पत्राचार संबंधी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि आवश्यक समझी गई। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकारीगण तथा स्टाफ के उपयोग हेतु कुछ जादा छपी हुई सामग्री का परिचालन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में वे स्वयं भी स्टाफ में परिचालन के लिए कुछ सहायक पुस्तिकाएं उपलब्ध करा देंगे और इच्छा व्यक्त की कि हिन्दी का ज्ञान बढ़ाने के सभी संभव प्रयास किए जाएं।

**रोस्टर का अनुरक्षण :**

यह पाया गया कि हिन्दी के ज्ञान से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना मुख्यालय के सभी अधिकारियों तथा स्टाफ से नहीं ली गई है और ऐसी परिस्थिति में उनके हिन्दी के ज्ञान से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। इस सम्बन्ध में अद्यतन सूचना की प्राप्ति करना आवश्यक समझा गया। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रोस्टर अद्यतन बनाया गया है।

**हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन :**

अध्यक्ष महोदय ने इस समाहर्तालय द्वारा निकाली गई पत्रिका "वेणुग्राम" के पहले अंक का विमोचन किया और हिन्दी पत्रिका के लिए जिन्होंने लेख दिए उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय ने समाहर्तालय के सभी अन्य अधिकारीगण तथा स्टाफ से अपेक्षा की कि वे पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशन हेतु बड़ी संख्या में लेख दें।

समिति ने पत्रिका के प्रथम अंक पर विस्तार से चर्चा की और इच्छा व्यक्त की कि दिसंबर 1986 के अन्त तक निकाले जाने वाले अगले अंक में प्रकाशन के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकारी लेख देंगे। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि समाहर्तालय के अन्तर्गत सभी कार्यालयों के अधिकारीगण तथा स्टाफ के मार्गदर्शन के लिए हिन्दी पत्रिका के अगले अंकों में ज्यादा से ज्यादा सहायक तथा संदर्भ साहित्य के प्रकाशन का प्रबंध हम कर सकेंगे। जो अधिकारी पत्रिका के लिए लेख देते हैं उनको प्रोत्साहन हेतु कुछ नकद राशि दी जाने पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि ऐसे अधिकारियों तथा स्टाफ को प्रशंसा-पत्र दिए जाने पर भी विचार किया जाए। इन प्रशंसा-पत्रों की प्रतियां उनकी गोपनीय पुस्तिकाओं में अंकित की जाए।

**हिन्दी कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन :**

कार्यशाला के लिए आवश्यक सामग्री (जैसे पाठ आदि) के अभाव में 31-3-1986 को समाप्त तिमाही अवधि में कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जा सका। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय में राजपत्रित अधिकारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन 7-4-1986 से 11-4-1986 तक किया गया जिसमें बेलगाम समाहर्तालय के तीन प्रशासनिक अधिकारी और चार अधीक्षक भेजे गए थे। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि 30-6-86 को समाप्त तिमाही अवधि में कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए जिसमें व्याख्यानों के अतिरिक्त टिप्पणी एवं मसौदा लेखन से सम्बन्धित अभ्यासिक प्रशिक्षण भी

# चित्र समाचार

1. यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा आयोजित संगोष्ठी में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र अपने विचार व्यक्त करते हुए ।

2. इन्दौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष श्री एस० वी० रामकृष्णन तथा राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि अवर सचिव (कार्या०) श्री बुद्ध प्रकाश।

3. फरीदाबाद, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री एम० एल० मैत्रेय तथा उप निदेशक श्री तुलसीदास ने भाग लिया । बैठक की अध्यक्षता श्रीमती अनिता चौधरी, कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार ने की ।

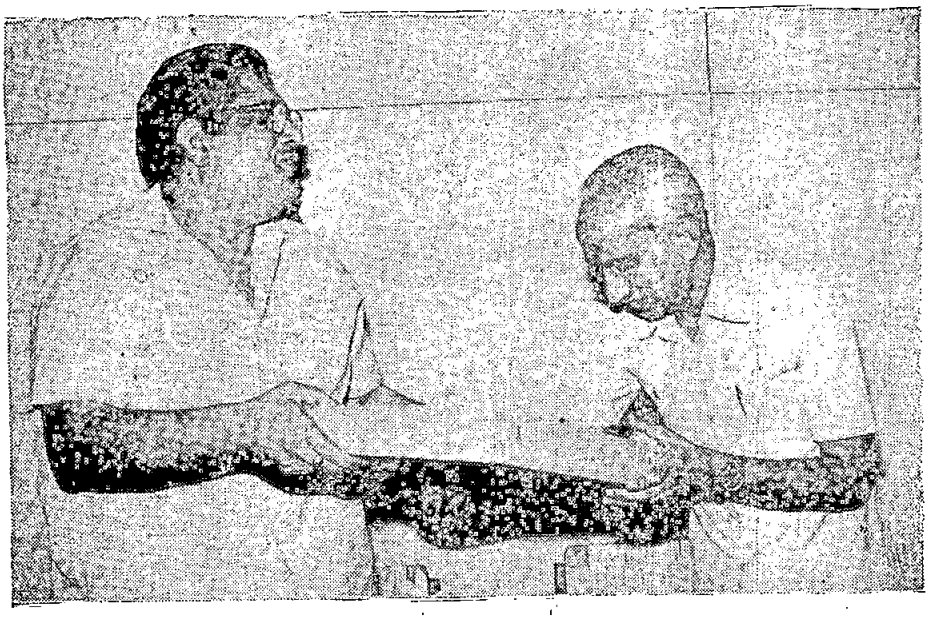

4. राजभाषा विभाग के उप सचिव (कार्यान्वयन) श्री सी० आर० महाजन हाल ही में सेवा निवृत्त हुए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई के अधिकारी एवं स्टाफ के द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उस अवसर पर श्री महाजन को उपहार भेंट करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

5. बैंक आफ इंडिया, बड़ोदरा को वर्ष 1984–85 में हिन्दी में श्रेष्ठतम कार्य निष्पादन के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रदान की गई शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र के साथ बैंक के अधिकारीगण प्रसन्न मुद्रा में।

6. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स उद्योग मंडल, कोचीन (केरल) में हिन्दी सप्ताह के आयोजन के अवसर पर महाप्रबन्धक श्री वी० कुरियन जोण समारोह को सम्बोधित करते हुए।

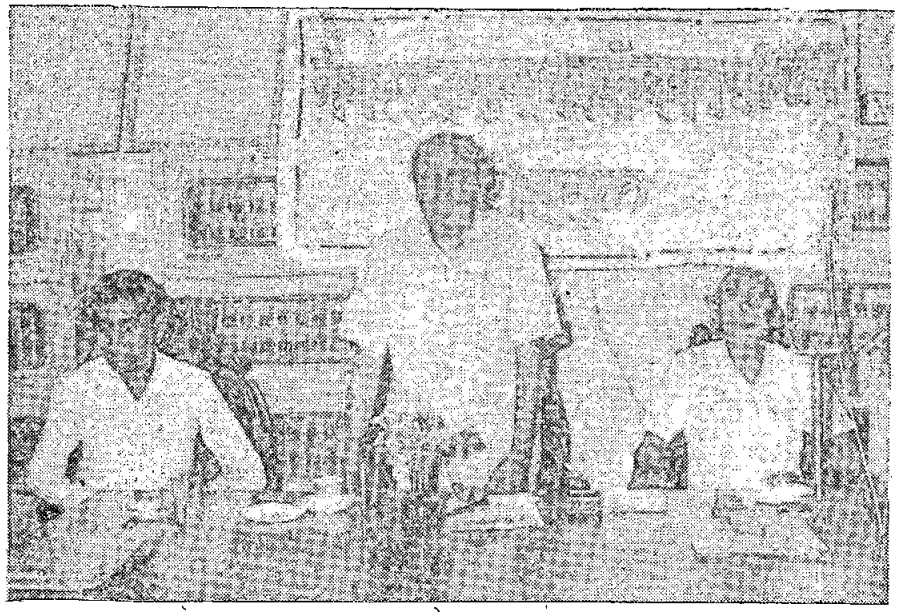

7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रोहतक में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष तथा आयकर आयुक्त श्री बलवंत सिंह तथा उनके बांए बैठे हैं राजभाषा विभाग के वरिष्ठ भाषांतरकार श्री पूर्णानंद जोशी।

8. पहिया एवं धुरा कारखाना, यलंहका में हिन्दी सप्ताह समारोह का दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए महाप्रबंधक श्री प्रीतमलाल रावल।

9 नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के मुख्यालय, हैदराबाद में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र (मध्य)

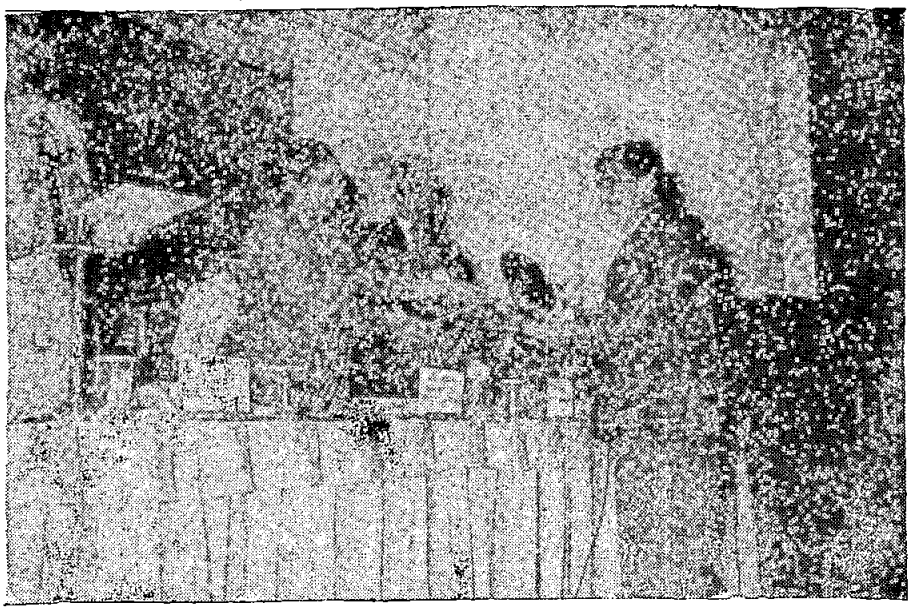

10. बेंगलोर राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में श्रेष्ठ निष्पादन और सहयोग के लिए राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री एम० एल० मैत्रेय, सचिव राजभाषा, कुमारी कुसुमलता मित्तल से ट्राफी व प्रशस्ति-पत्र ग्रहण करते हुए।

11. वाराणसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 10 मार्च, 1986 को आयोजित बैठक के अवसर पर—श्री कृष्णकांत राय, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, श्री भैरवनाथ सिंह, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो और श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक।

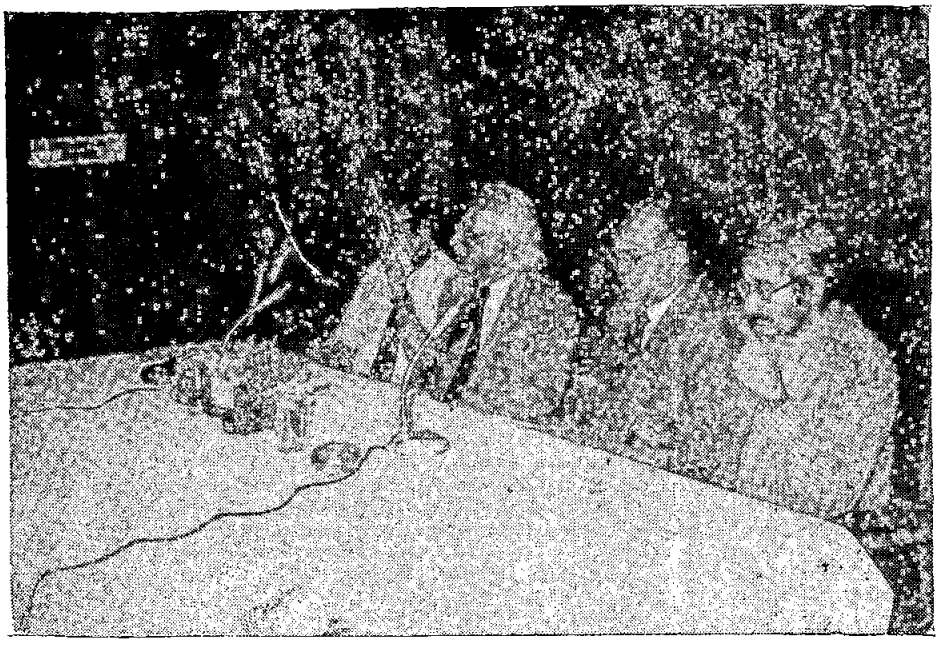

12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेक्नालोजी भवन, नई दिल्ली में हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर, मंच पर बाएं श्री ओम प्रकाश चावला, प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार डॉ० एस रामचन्द्रन, विभाग के सचिव, प्रो० यशपाल, संयुक्त सचिव श्री धर्मवीर सहगल, श्री नरेन्द्र सहगल।

दिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि इस सम्बन्ध में हमारे संदर्भ के लिए कुछ पुस्तिकाएं तथा संगत प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण निदेशालय को लिखा जाए।

**हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद/प्राप्ति :**

यह स्पष्ट किया गया कि वेल्लारि, गुलबर्गा और हुबली प्रभागीय कार्यालयों में एक एक हिन्दी टाइपराइटर है लेकिन मंगलोर और दावणगेर प्रभागीय कार्यालयों को अभी तक टाइपराइटरों की आपूर्ति नहीं की गई है। बेलगाम प्रभागीय कार्यालय का टाइपराइटर समाहर्तालय के मुख्यालय में से लाया गया है। यह निर्णय किया गया कि मंगलोर और दावणगेरे प्रभागीय कार्यालयों के लिए एक-एक टाइपराइटर शीघ्र ही प्राप्त किए जाए।

यह भी इच्छा व्यक्त की गई कि समाहर्तालय के मुख्यालय में भी पूर्ति और निपटान महानिदेशालय दर ठेका के अधीन मांगपत्र प्रस्तुत कर पर्याप्त संख्या में टाइपराइटर पाए जाएं और बेलगाम प्रभागीय कार्यालय से लाया गया टाइपराइटर वापस किया जाए।

**रबड़ की मोहरें, नामपट्ट तथा सूचनापट्ट द्विभाषा में बनवाना :**

रबड की मोहरें, कार्यालय के सूचना पट्ट द्विभाषा/त्रिभाषा में बनवाने से सम्बन्धित अनुदेशों के अनुपालन से सम्बन्धित पूरी परिस्थिति का सिंहावलोकन करते हुए, यह इच्छा व्यक्त की गई कि समाहर्तालय के मुख्यालय कार्यालय के सभी अनुभागों में उपयोग के लिए द्विभाषा में रबड़ की मोहरों की आपूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अध्यक्ष महोदय ने आपेक्षा की कि कार्यालय फलक एवं अन्य सूचना-फलक जो केवल अंग्रेजी में हैं उन्हें त्रिभाषा में लिखने का प्रबंध किया जाए। प्रभागों के सहायक समाहर्ता भी इस विषय में उचित अनुपालनात्मक कार्रवाई करें, तथापि इस बात का ध्यान रखा जाए कि सूचना-फलक तथा रबड़ की मोहरें द्विभाषा/त्रिभाषा में बनवाते समय हिंदी तथा स्थानीय भाषा में ठीक-ठीक अनुवाद किया गया है।

—द० रा० सरा
अपर समाहर्ता

## 3. अहमदाबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक ता० 19 मई, 1986 को समय 3.00 बजे अपराह्न में श्री जे० के० पटल, उप निदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :—

(1) श्री जे० के० परीख, उप निदेशक, सदस्य; (2) श्री बी० एम० पटेल, सहायक निदेशक, सदस्य; (3) श्री एम० पी० झाला, सहायक निदेशक, सदस्य; (4) श्री जी० जी० पिल्लै, कार्यालय अधीक्षक, सदस्य; (5) श्री के० डी० वैष्णव, अन्वेषक, सदस्य; (6) श्री आर० ए० त्रिवेदी, अन्वेषक, सदस्य; (7) श्री आर० वी० संघाणी, अन्वेषक, सदस्य; (8) श्री दामोदरसिंह नेगी, हिन्दी अनुवादक, सदस्य सचिव

ता० 4 फरवरी 1986 को सम्पन्न हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त बैठक के सम्मुख रखा गया, तथा सभी मदों पर चर्चा के बाद रिपोर्ट की पुष्टि की गई।

**पिछली बैठक की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई :**

1. समिति को यह बताया गया कि तीसरी प्रति को हिन्दी अनुवाद के लिए भेजना जारी रखा जाय और 3 दिन के अन्दर हिन्दी अनुवाद जारी किया जाय।
2. वेतन बिल के अन्दर कर्मचारियों के नाम हिन्दी में लिखे जाय।
3. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिपूरक छुट्टी के बारे में, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने बताया कि प्रतिपूरक छुट्टी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

**1 दिसम्बर, 1985 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की संवीक्षा :**

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त संवीक्षा पर विचार विमर्श हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अपने कार्यालय से जारी सभी पत्रों को द्विभाषी जारी किया जाय। विशेष रूप से वेतन एवं लेखा कार्यालय को जारी पत्र का हिन्दी अनुवाद करवाया जाय। तथा स्थापना अनुभाग कार्यालय से जारी ज्ञापनों/पत्रों का भी हिन्दी अनुवाद करवा कर द्विभाषी रूप में जारी करने की व्यवस्था करे। वायरलेस सन्देश भेजते समय, उसकी प्रतिलिपि में हिन्दी में हस्ताक्षर किये जाये।

**महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर विचार विमर्श :**

महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर भी विचार विमर्श हुआ तथा सभी पहलुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए बैठक में सदस्यों को जानकारी दी गई।

अन्त में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आगामी तिमाही के लिए समाप्त हुई।

जे० के० पटेल
उप निदेशक, जनगणना कार्य,
गुजरात, अहमदाबाद

## 4. पुणे

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 27 मार्च 1986 को अपरान्ह 2.00 बजे प्रभारी

प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

(1) श्री पी० आर० भागवत, प्रभारी प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष; (2) श्री स० का० वेलणकर, प्रबंधक (विनिर्माण), सदस्य; (3) श्री बी० जी० ढोले, कार्मिक प्रबंधक, सदस्य; (4) श्री एच० गांगुली, विपणन प्रबंधक, सदस्य; (5) श्री बी० एल० रांदड, उपसामग्री प्रबंधक, सदस्य; (6) श्री व्ही० जी० पिल्ले, युनियन के प्रतिनिधि, सदस्य; (7) श्री विजया राजन, फैक्ट के प्रतिनिधि, सदस्य; (8) श्रीमती शशी सिंह, हिन्दी अधिकारी, सदस्य; (9) श्री सुदेश कपूर, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सदस्यसचिव

सर्वप्रथम सदस्य सचिव ने नये हिन्दी अधिकारी का परिचय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों से कराया। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त परिचालित किये गये थे तथा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। उपस्थित सदस्यों ने बताया कि इन कार्यवृत्त पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं हैं, अतः इन कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। उसके बाद पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया गया तथा निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये : —

(क) सरकारी नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत टाईपराइटर हिन्दी में खरीदे जाने चाहिये। सदस्य सचिव ने बताया कि पिछले वर्ष के दौरान आठ टाइपराइटर खरीदे गये जिसमें दो हिन्दी के थे।

(ख) पिछली राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णय के अनुसार कंपनी में 17-18 फरवरी 1986 को हिन्दी एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 6 एकांकी यथा दीपदान, शांतिस्थान, पतंग, चार लगाओ अंदाजा, जन्म जन्म की कहानी प्रस्तुत किये गये। इन एकांकियों की जांच करने के लिये निर्णायक गुण इस प्रकार थे :—

हिन्दी शिक्षण योजना के सहा० निदेशक श्री० उधोराम सिंह, उर्वशी अकादमी ऑफ एक्टिंग एवं डायरेक्टिंग के निदेशक श्री० अश्विनी कुमार, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सर्वश्री एच० गांगुली एवं श्री० बी० जी० पिल्ले। एकांकी का परिणाम इस प्रकार रहा। प्रथम पुरस्कार—जन्म जन्म की कहानी, द्वितीय पुरस्कार —पतंग, तथा तृतीय पुरस्कार—दीपदान। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ कलाकार भी पुरस्कृत किये गए वे इस प्रकार हैं :—

उत्कृष्ट दिग्दर्शन कु० अंजली नाईक, उत्कृष्ट अभिनय (पुरुष) श्री० इस्तीयाज शेख, उत्कृष्ट अभिनय (स्त्री) कु० जयश्री पडगल, उत्कृष्ट बालकलाकार— मास्टर उत्कर्ष जैन, सर्वश्रेष्ठ एकांकी लेखन श्री० सुभाष पारखी तथा विशेष सांत्वना पुरस्कार श्री हनुमंत पडगल।

(ग) पिछली बैठक के निर्णय के अनुसार कंपनी में चतुर्थ हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 25 फरवरी से 6 मार्च 1986 तक किया गया। इस कार्यशाला में 11 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के अंत में परीक्षा ली गई जिसमें श्री० सु० शिरी, श्री० एस० डी० वैद्य, तथा श्रीमती माया भांडारकर ने यथा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। इनको क्रमशः 50, 30, तथा 20 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया।

(घ) हिन्दी अनुवाद के संक्षिप्त पाठ्यक्रम के लिये सदस्य सचिव ने सूचित किया कि सभी केन्द्रीय सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों से 30 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। परंतु अपने कार्यालय से सिर्फ दो ही व्यक्तियों ने, अनुवाद पाठ्यक्रम एके लिये अपने नाम दिये है। इस अनुवाद पाठ्यक्रम के लिये शैक्षणिक योग्यता बी० ए० में हिन्दी विषय होना अनिवार्य है। परंतु सदस्यों ने मांग की कि शैक्षणिक योग्यता में कंपनी के कर्मचारियों को ढील दी जाय, उनके लिये सिर्फ प्राज्ञ परीक्षा का पास होना अनिवार्य माना जाय। जिन कर्मचारियों ने बी० ए० में हिन्दी नहीं लिया है परंतु जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है उन्हें भी इसमें प्रवेश दिया जाय जिससे कि वे अपने रोजमरी काम के लिये हिन्दी का प्रयोग कर सके। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि परिपत्र जारी करके और आवेदन मंगवाए जाएं ताकि अधिक लोगों को अनुवाद का प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। परंतु ऐसे कर्मचारियों को अनुवाद हिन्दी अधिकारी से जांच करवा कर ही उपयोग में लाना चाहिए।

(ङ) पिछले एच० ए० न्यूज में हिन्दी कहानी का प्रकाशन आरंभ कर दिया गया है। सदस्यों ने सुझाव दिया कि अगर अधिक कहानियां प्राप्त हो तो जो कहानी प्रथम आती है उसे एच० ए० न्यूज में प्रकाशित किया जाय। द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली कहानियों को वार्षिक पुस्तिका के अर्न्तगत प्रकाशित किया जा सकता है।

2. पिछले वर्ष इस कंपनी में हिंदी आलेखन एवं टिप्पण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता हिन्दी और अहिन्दीभाषा कर्मचारियों के लिए एक ही थी। सदस्यों ने सुझाव दिया कि यह प्रतियोगिता इस वर्ष हिन्दी तथा अहिन्दी भाषियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाय। प्रत्येक श्रेणी यथा हिन्दी/अहिन्दी के लिये प्रथम, द्वितीय और दो तृतीय पुरस्कार अलग-अलग नियमानुसार रखे जाय :

| | संख्या | | | प्रत्येक पुरस्कार की राशि |
|---|---|---|---|---|
| | हिन्दी | अहिन्दी | कुल | |
| | | | | रु० |
| प्रथम पुरस्कार | 1 | 1 | 2 | 500 |
| द्वितीय पुरस्कार | 1 | 1 | 2 | 300 |
| तृतीय पुरस्कार | 2 | 2 | 4 | 150 |

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों की मातृभाषा हिन्दी होगी उनके लिये प्रतियोगिता में भाग लेने की न्यूनतम सीमा 20,000 शब्द होंगे और हिन्दी भाषियों के लिये यह सीमा 10,000 शब्द होंगे ।

3. **संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण :** सदस्य सचिव ने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने 6-8 फरवरी, 1986 के दौरान पुणे, नगर में विभिन्न कार्यालयों का दौरा किया जिसके समन्वय का कार्य हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स को सौंपा गया था। समिति के अध्यक्ष से प्राप्त पत्र के अनुसार समिति के अध्यक्ष ने एच० ए० द्वारा किए गए उत्तम प्रबंधों की सराहना की है और उन्होंने इसके लिये कंपनी का आभार प्रकट किया है । इस समिति ने 8 फरवरी को एच० ए० में हिन्दी के कार्य का निरीक्षण किया तथा उन्होंने इस पर अपनी रिपोर्ट भी भेजी है । इसके पश्चात् संसदीय रा.भ.ष. समिति की पहली उपसमिति की निरीक्षण रिपोर्ट पर निम्नानुसार विचार विमर्श किया गया :—

(क) **हिन्दी प्रशिक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम :** प्रवीण, प्रबोध, प्राज्ञ, टाइपिंग, आशुलिपि प्रशिक्षण के लिये शीघ्र ही समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

(ख) **हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग के लिये प्रोत्साहन** कार्यालय के कामकाज में हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग बढ़ाने के लिये इस कंपनी में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और आगे भी किया जाएगा । इसको सरल बनाया जायेगा ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इसमें भाग ले सकें ।

(ग) **शब्द कोषों को उपलब्ध कराना :** सदस्यों ने सुझाव दिया कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार किए गए अनेक हिन्दी-अंग्रेजी शब्द कोष उपलब्ध कराये जाये । सदस्य सचिव ने सूचित किया कि पहले सामान्य शब्द कोष प्रत्येक विभाग को दिये गए हैं जिन विभागों के पास शब्द कोष नहीं है वे हिन्दी विभाग को सूचित करें उन्हें शब्द कोष दिये जाएंगे । वित्तीय सहायता उपलब्ध होने पर वैज्ञानिक शब्द कोष भी धीरे-धीरे उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(घ) **अनुवाद कार्य :** बैठक में उपस्थित सदस्य ने बताया कि कई वर्ष पहले अनेक मैनुअल, कोड, फार्म इत्यादि अनुवाद के लिये केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो भेजे गये थे परंतु वे अभी तक प्राप्त नहीं हुए है । इस पर सदस्य सचिव ने स्पष्टीकरण करते हुए सूचित किया कि कुछ फार्म अनुवाद के बाद प्राप्त हो गये हैं उन्हें संबंधित विभागों को आगे की और बाकी फार्मों के लिये कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है । अब यह कार्य केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के बजाय कंपनी की हिन्दी अधिकारी करेंगी । यह कार्य विशिष्टता के आधार पर धीरे-धीरे किया जायेगा ।

(ङ) सदस्य सचिव ने बताया कि कंपनी के सभी पत्र शीर्ष, नामपट्ट, साईनबोर्ड द्विभाषिक रूप में हैं परंतु कुछ विभागों में रबड़ की मोहरे कार्यालय सील अंग्रेजी में ही प्रयुक्त की जा रही है । नियमों के अनुसार रबड़ की मोहरे यदि अंग्रेजी में हैं तो उन्हें खत्म कर उसके स्थान पर द्विभाषी रूप में मोहरों का उपयोग होना चाहिये । सदस्य सचिव ने बताया कि हिन्दी विभाग को इस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये ।

(च) **"क" और "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से पत्र व्यवहार :** सदस्य सचिव ने बताया कि किसी भी विभाग में जहां "क" और "ख" क्षेत्र से पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाय उसकी एक प्रति हिन्दी विभाग को प्रेषित की जाय । जिससे कि वे इसका रिकार्ड रख सके ।

(छ) **हिन्दी पुस्तकों को उपलब्ध कराना :** संसदीय राजभाषा समिति का सुझाव सामने रखते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि हिन्दी की पुस्तकें खरीदने के लिये इस कंपनी में राशि निर्धारित नहीं की गई । इस पर स्पष्टीकरण संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा रहा है कि इस खर्च का वहन कौन करेगा, उसके बाद उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

(ज) **राजभाषा विभाग द्वारा जारी 1985-86 का वार्षिक कार्यक्रम :** सदस्य सचिव ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न मदों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जाय । वार्षिक कार्यक्रम की संक्षेप में प्रतियां निकालकर सभी विभागों को प्रेषित की जाय जिससे कि सभी विभागों को इसकी जानकारी प्राप्त हो । साथ में धारा 3(3) की जानकारी सभी विभागों को सूचना एवं कार्यवाही हेतु दी जाय ।

4. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन :** राजभाषा की प्रगति को और बढाने के लिये राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन करने पर विचार किया गया ताकि नये सदस्य अपने कुछ सुझाव से राजभाषा का प्रयोग बढ़ा सके । इस पर प्रभारी प्रबंध निदेशक ने सुझाव दिया कि प्रत्येक महाप्रबंधक को इस समिति का सदस्य बनाना चाहिए तथा प्रत्येक विभाग से दो-दो प्रतिनिधि इस समिति में शामिल किये जाये ताकि इस कार्य में गति लाई जा सके । प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष को परिपत्र के माध्यम से निवेदन किया जाय कि वे अपने विभाग के दो-दो प्रतिनिधियों के नाम (प्रथम एवं द्वितीय सदस्य) इस समिति के लिये प्रेषित करें ताकि अगर प्रथम सदस्य किसी कारणवश उपस्थित न हो सके तो द्वितीय सदस्य इस बैठक में भाग ले सके ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई ।

—सुदेश कपूर
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

## 5. इन्दौर

माणिक बाग पैलेस स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमा-शुल्क मुख्यालय के सभागृह में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवीं बैठक में गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, नयी दिल्ली के अवर सचिव श्री बुद्धप्रकाश ने कहा कि इन्दौर में मुझे राजभाषा हिन्दी का जीवन्त माहौल मिला ।

श्री बुद्धप्रकाश ने राजभाषा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति सुस्पष्ट है और अब प्रश्न यह उठता है कि उसका क्रियान्वयन कैसा हो ? इसमें जो भी बाधाएँ आती हैं वे हमारे मूलभूत उद्देश्यों से ऊपर नहीं है हमें उन बाधाओं को दूर करना है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि इन्दौर के केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के काफी प्रयास हो रहे हैं ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क मध्य प्रदेश के समाहर्ता (कलेक्टर सेन्ट्रल एक्साईज) एवम् नगर समिति के अध्यक्ष श्री एस० वी०. रामकृष्णन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी केन्द्रीय कार्यालयों से अपने अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने तथा राजभाषा नीति की अपेक्षाओं और वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिल जुलकर कोशिश करने की अपेक्षा व्यक्त की ।

बैठक में इन्दौर नगर के सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों व बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समिति के सचिव श्री राज केसरवानी ने आमंत्रित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया । बैठक में सभी केन्द्रीय कार्यालयों के अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों से संबंधित हिन्दी प्रगति और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की चर्चा की जिस पर अवर सचिव श्री बुद्धप्रकाश ने उनका समाधान किया ।

—राजकुमार केसरवानी
सचिव,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर

## 6. रोहतक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रोहतक की 12वीं बैठक ता० 11-4-1986 को श्री बलवंत सिंह, आयकर आयुक्त, हरियाणा प्रभार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है । यह हम सभी की भाषा है। आयकर विभाग में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है तथा क्रमशः तकनीकी और कानूनी कार्य भी हिन्दी में होने लगेंगे ।

श्री पूर्णानंद जोशी, वरिष्ठ भाषांतरकार, राजभाषा विभाग ने कहा कि अन्य अधिनियमों की ही तरह राजभाषा अधिनियम के अनुपालन का दायित्व हम सभी का है। सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, प्रतिष्ठानों, निगमों आदि में कार्यरत स्टाफ को संविधान की भावना के अनुसार अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए ।

श्री हरि शंकर सिंह, सदस्य-सचिव सह सहायक निदेशक (राजभाषा) ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन, उद्देश्य तथा कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में प्रगति की चर्चा की ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को विभिन्न पुरस्कार योजनाओं की जानकारी दी गई, तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा बैंकों के उपस्थित प्रतिनिधियों की समस्याओं पर विचार किया गया ।

—हरिशंकर सिंह
सचिव एवं
सहायक निदेशक (राजभाषा)

# राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण—

## 1. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स में हिन्दी

भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग तथा उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देश/कार्यक्रम के अनुसार एवं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) तथा राजभाषा नियम 1976 के आधार पर वर्ष 1985-86 में हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स, पिम्परी में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति निम्नानुसार रही :

### 1. हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण :

हिन्दी शिक्षण योजना कंपनी से 20 कि० मी० दूर है। इसलिये कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कंपनी में ही हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाये। इस टंकण प्रशिक्षण के लिये 25 कर्मचारियों का आवेदन पत्र प्राप्त हुए। समय के अभाव को देखते हुए 7 कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग का नियमित प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी शिक्षण योजना से प्राप्त परीक्षाफल के अनुसार हमारी कंपनी की कु० दर्शन मोतीराम लुथरा ने 96% अंक प्राप्त कर पुणे में प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्रीमती ए० ए० कुलकर्णी ने 94 % अंक प्राप्त कर पुणे में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कु० लता आचार्य ने 91% अंक प्राप्त किये। उत्तीर्ण कर्मचारियों की टंकण की गति भी अच्छी रही। कंपनी के एक कर्मचारी की गति 40 शब्द प्रति मिनट से अधिक थी। इस तरह कंपनी को टंकण प्रशिक्षण का परीक्षाफल 71% रहा।

### 2. हिन्दी एकांकी प्रतियोगिता :

कंपनी में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये 17-18 फरवरी 1986 को हिन्दी एकांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में निम्नलिखित छः एकांकियां प्रस्तुत की गयी।

1. जन्म जन्म की कहानी
2. पतंग
3. दीपदान
4. चारू
5. लगाओ अंदाजा
6. शान्तिस्तान

एच० ए० में अधिकतर कर्मचारी मराठी भाषी है फिर भी कर्मचारियों ने इस एकांकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये काफी अच्छी रुचि दिखाई। यह हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स में अपनी किस्म की हिन्दी भाषा में पहली एकांकी प्रतियोगिता थी। दर्शकगण बहुत अधिक संख्या में इस प्रतियोगिता को देखने के लिये आए और कंपनी का कल्याण केन्द्र खचाखच भरा हुआ था। सभी कलाकार कम्पनी के कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य थे।

प्रतियोगिता में एकांकियों के परीक्षण के लिये निर्णायक के रूप में हिन्दी शिक्षण योजना के सहा० निदेशक श्री उधोराम सिंह और उर्वशी अकादमी एक्टिंग एण्ड डायरेक्टिंग पुणे के निदेशक श्री अश्विनी कुमार को आमंत्रित किया गया। निर्णायक मंडल के अन्य सदस्य थे कंपनी के विपणन प्रबंधक श्री हिरणमय गांगुली तथा एच० ए० मजदूर संघ के उपाध्यक्ष श्री वी० जी० पिल्ले। इस प्रतियोगिता में निम्नलिखित पुरस्कार दिये गये :

| | | प्रतियोगी |
|---|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | जन्म जन्म की कहानी | कु० अंजली नाईक और साथी |
| द्वितीय पुरस्कार | पतंग | श्री पारखी और साथी |
| तृतीय पुरस्कार | दीपदान | कु० जयश्री पंड्गल और साथी |
| उत्कृष्ट दिग्दर्शन | जन्म जन्म की कहानी | |
| सर्वश्रेष्ठ कलाकार | कु० अंजली नाईक | |
| उत्कृष्ट अभिनय | (पुरूष) श्री इस्तीयाज शेख<br>(स्त्री) कु० जयश्री पडगल | |
| उत्कृष्ट बाल-कलाकार | मास्टर उत्कर्ष जैन | |
| सर्वश्रेष्ठ एकांकी लेखन | जन्म जन्म की कहानी | श्री सुभाष पारखी |
| विशेष सांत्वना पुरस्कार | लगाओ अंदाजा | श्री हनुमंत पडगल |

### 3. हिन्दी दिवस तथा हिन्दी सप्ताह का आयोजन :

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स में हिन्दी दिवस 14 सितंबर 1985 को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के कार्यकारी सदस्य श्री० श्रीनिवास मुंदड़ा जी थे। राजभाषा सप्ताह के अवसर पर भाषण करते हुए श्री श्रीनिवास मुंदड़ाजी ने इस

बात पर बल दिया कि कर्मचारियों को हर काम हिन्दी में करने के लिये सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिये बल्कि स्वयं प्रयत्न करने चाहिये ताकि हिन्दी को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। हिन्दी दिवस समारोह में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (आजकल उद्योग मंत्रालय) के हिन्दी अधिकारी ने उपस्थित श्रोतागणों को संबोधित करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी पर हिन्दी थोपी जाए प्रत्येक कर्मचारी अंग्रेजी या हिन्दी में काम करने में स्वतंत्र है। परंतु जितना अधिक काम वे हिन्दी में करेंगे हम स्वावलंबी बनेंगे ।

हिन्दी दिवस समारोह के साथ-साथ हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स में 14 से 20 सितंबर 1985 तक राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया । जिसका उद्घाटन कंपनी के प्रभारी प्रबंध निदेशक श्री ज्ञानेश्वर तेलंग ने किया । अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कार्यालय के काम को हिन्दी में करने के लिये हिन्दी विभाग ने रास्ता दिखा दिया है अब कर्मचारियों को चाहिये कि वे कार्यालय के काम में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें ।

इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से आकर्षक पुरस्कार प्रदान किये गये जिसका विवरण इस प्रकार है ।

**निबंध प्रतियोगिता–**

**अहिन्दी भाषी :**

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | श्री उमाकांत बाग |
| द्वितीय पुरस्कार | कु० दर्शन लुथरा |
| तृतीय पुरस्कार | श्री रविन्द्र कांबले |

**हिन्दी भाषी :**

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | श्रीमती छतवाल |
| द्वितीय पुरस्कार | श्री रत्नेश कुमार साहू |

**आलेखन एवं टिप्पण प्रतियोगिता :**

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | श्री पी० जे० भावसार |
| द्वितीय पुरस्कार | श्री एस० पी० जोशी |
| तृतीय पुरस्कार | श्री उमाकांत बाग |

**कविता पाठ प्रतियोगिता :**

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | श्री पी० जे० भावसार |
| द्वितीय पुरस्कार | कु० दर्शन लुथरा |
| तृतीय पुरस्कार | श्री उमाकांत बाग |

**सुलेख प्रतियोगिता :**

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | कु० दर्शन लुथरा |
| द्वितीय पुरस्कार | श्री एस० पी० जोशी |
| तृतीय पुरस्कार | श्रीमती जयश्री भोसले |

**वाद विवाद प्रतियोगिता :**

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | श्री एच० गांगुली |
| द्वितीय पुरस्कार | श्री रत्नेश कुमार साहू |
| तृतीय पुरस्कार | श्री श्याम सोनावणे |

हिन्दी सप्ताह का समापन श्री श्रीनिवास मुंदड़ाजी के करकमलों से पुरस्कार वितरण से हुआ। समापन समारोह के अवसर पर कंपनी सचिव श्री श्रीनिवास देवगांवकर ने अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्यकारी सदस्य श्री मुंदड़ाजी को कंपनी की तरफ से विश्वास दिलाया कि हम राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये हर संभव कदम उठायेंगे ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके ।

कंपनी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री सुदेश कपूर ने हिन्दी दिवस/सप्ताह का संचालन किया तथा कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे कंपनी के कार्य में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें ।

**4. हिन्दी कार्यशालाएं**

कंपनी में कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए कंपनी में 1985-86 वर्ष के दौरान दो कार्यशालाएं चलाई गयी। पहली कार्यशाला 2 सितंबर से 10 सितंबर 1985 तक चलाई गयी। हिन्दी कार्यशाला में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार दिये गये ।

इसका विवरण इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| प्रथम | श्री एस० पी० जोशी |
| द्वितीय | कु० दर्शन लुथरा |
| तृतीय | श्री वी० वी० काले |

द्वितीय कार्यशाला दिनांक 25 फरवरी से 6 मार्च, 1986 तक चलाई गयी। इस कार्यशाला में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के नाम इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| प्रथम | श्री सु० शं० शिर्पी |
| द्वितीय | श्री एस० डी० वैद्य |
| तृतीय | श्रीमती एम० एस० भांडारकर |

इन कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से पुरस्कार प्रदान किये गये ।

इन कार्यशालाओं में पुणे स्थित हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री उधोराम सिंह जी ने कर्मचारियों को हिन्दी नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण तथा राजभाषा नीति का विवरण देकर मार्गदर्शन किया। हिन्दी कार्यशालाओं में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को प्रमाणपत्र दिये गये।

**5. हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता :**

वर्ष 1985-86 में कंपनी में हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कार दिये गये वे इस प्रकार है।

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम | श्री० एस० बी० नायडू, | मुख्य कार्यालय, |
| द्वितीय | श्री. गणेश प्रसाद मिश्र<br>श्री० करुणाशंकर सक्सेना | पटना डिपो |

**6. दवाईयों पर हिन्दी में नामकरण**

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स द्वारा तैयार की गई दवाइयों पर कंपनी का "लोगो" द्विभाषी छापा जाता है। कंपनी का नाम तथा दवाई का नाम भी द्विभाषी रूप में छापा जाता है।

**7. विविध :**

कंपनी में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाते हैं। मुख्य परिपत्र, सूचना आदि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी जारी किये जाते हैं। कंपनी के सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट द्विभाषी रूप में तैयार किये गये है। वर्ष 1986 में कंपनी के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, शाखाओं के आंतरिक उपयोग के लिये 12 पृष्ठ का एक विशेष द्विभाषी कैलेंडर भी तैयार किया। प्रत्येक पृष्ठ पर तारीखों के अतिरिक्त सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले स्लोगन भी प्रकाशित किए गए। स्लोगन ये है :

1. सभी को हिन्दी सीखनी चाहिये।
2. कृपया हिन्दी बोलिये।
3. कृपया हिन्दी लिखिये।
4. हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दीजिये।
5. सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी में जारी कीजिये।
6. परिपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में जारी कीजिये।
7. सभी करार हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार कीजिये।
8. हिन्दी भाषी क्षेत्रों से मूल पत्राचार हिन्दी में कीजिये।
9. कृपया सरकारी कामकाज हिन्दी में कीजिये।
10. सभी फार्म/लेखन सामग्री द्विभाषी बनाइये।
11. दवाईयों के नाम हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखे।
12. सरल हिन्दी का प्रयोग कीजिये।

इससे कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने में वर्ष भर प्रेरणा मिलती रहेगी। वर्ष के दौरान दो देवनागरी टाइप-राइटर खरीदे गये है। हिन्दी अनुभाग के कार्यभार को संभालने के लिए हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त पुणे नगर में सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में कामकाज का निरीक्षण करने के लिये संसदीय समिति ने 7-8 फरवरी को दौरा किया, जिसके समन्वय का काम एच०ए० ने किया। समिति के अध्यक्ष ने हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स द्वारा किये गये प्रबंधों की बहुत सराहना की।

पुणे नगर के अन्य कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति में और अधिक प्रगति हो इस दिशा में हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स ने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के सहयोग से एक 7 दिवसी अनुवाद का संक्षिप्त पाठ्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स के पास विभिन्न कार्यालयों से 30 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है, और यह पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोजित किया जायेगा।

—सुदेश कपूर
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

## 2. ई० टी० एण्ड टी० में हिन्दी

1985-86 ई टी एण्ड टी में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सिलसिले में बहुमुखी प्रगति एवं विभिन्न उपलब्धियों का वर्ष रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में ई टी एण्ड टी के प्रधान कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किया गया, उसके बाद एक बहुभाषी वर्ड प्रोसेसर "लिपि" खरीदा गया तथा सबसे बड़ी उपलब्धि मूलपत्राचार में हुई है। कम्पनी के जिन-जिन क्षेत्रों में हिन्दी की प्रगति हुई है, उसकी मद वार जानकारी नीचे दी जा रही है।

ई टी एण्ड टी के प्रधान कार्यालय को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अधीन 10 मार्च, 1986 को अधिसूचित किया गया है। हालांकि निगम के 80% कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, फिर भी हिन्दी न जानने वाले शेष कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में कक्षा लगाकर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और प्रबोध स्तर में 9 कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसी तरह से जुलाई, 1986 से कार्यालय परिसर में हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि की कक्षाएं लगाई जाएंगी।

वार्षिक कार्यक्रम में जिन-जिन मदों पर लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनमें प्रमुख था मूल हिन्दी पत्राचार में वृद्धि। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुई तिमाही में अंग्रेजी के 1735 पत्रों की तुलना में 1163 पत्र हिन्दी में भेजे गए, अर्थात हमने 67% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

हिन्दी की प्रगति को ध्यान में रखते हुए यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी यह कम्पनी अग्रणी रही है। हमने एक वर्ड प्रोसेसर "लिपि" खरीदा है जिसकी कीमत 1,65,000 रु० है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि यंत्र का अधिक-से-अधिक इस्तेमाल किया जाए।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों के लिए समय-समय पर हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाती है। हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में एक अधिकारी को नामित किया गया था। फिर शनिवार,

19 अप्रैल, 1986 को पूरे दिन की एक कार्यशाला लगाई गयी थी और कुल 5 व्याख्यान रखे गये थे और लगभग 20 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया था ।

12, 13, और 14 जून, 1986 को तीन दिन की एक और कार्यशाला बंगलोर में लगाई जा रही है और इस कार्यशाला में बंगलोर, मद्रास और हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी जानने वाले हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों के लिए लगायी जा रही है ।

कम्पनी के मुख्य प्रशासक के नाते तथा नियम 12 का ध्यान रखते हुए, कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक ने मैनेजर से ऊपर के अधिकारियों को एक अर्ध-शासकीय पत्र लिखकर हिन्दी के कुछ प्रचलित शब्दों के नमूने सुझाए हैं और अनुरोध किया है कि फाइलों पर केवल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाए ।

हिन्दी की प्रगति इस कम्पनी में दिनोंदिन फलती-फूलती रहे, इसलिए यह तय किया गया कि प्रत्येक महीने के प्रथम सोमवार को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि उस दिन सभी अधिकारी/कर्मचारी आपस में तथा बहुमूल्य ग्राहकों से हिन्दी में बात करें तथा फाइलों पर छोटी-मोटी टिप्पणी हिन्दी में की जाए । कर्मचारियों को हिन्दी दिवस की याद दिलाने के लिए एक पर्ची छपवायी गयी है जिसे कर्मचारियों के टेबल पर कार्य आरंभ से पहले रख दिया जाता है ।

कम्पनी से "क्रानिकल" नामक एक तिमाही पत्रिका प्रकाशित की जाती है और इस पत्रिका में दो पेज हिन्दी के लिए सुरक्षित रखे गये हैं जिसकी झलक संलग्न पत्रिका से मिल जाएगी । हाल ही में हमने एक विशेषांक भी निकाला था और इस विशेषांक की संपूर्ण सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी में छापी गई थी ।

हमने हिन्दी की प्रगति के साथ-साथ आम जनता के लिए एक ठोस कदम उठाया है । आज भारत में साक्षरता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, पर निरक्षरों की संख्या अत्यधिक है और बहुत सारे ऐसे अनपढ़ व्यक्ति व्यवसाय में लगे हैं जिन्हें उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं है और ज्ञान का भंडार छपी पुस्तकों में छिपा है। जैसे मोची, नलसाज, दस्तकार, शिल्पि आदि । इन सामान्य दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हमारी कम्पनी ने एक टेलीटीच (दूर अध्यापन) कार्यक्रम लागू किया है । मोची, नलसाज, बिजली मिस्त्री आदि को अपने कार्य में निपुण करने के लिए कम्पनी ने वीडियो टेप हिन्दी में तैयार किए हैं और इसी के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है ताकि समाज को अच्छी सेवा मिले और उनकी आमदनी भी बढ़े और उन्हें अपने काम का गर्व हो ।

इस कम्पनी में हिन्दी से मुत्तलिक वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं । जैसे, धारा 3(3) का सही सही पालन, मूल हिन्दी पत्राचार में वृद्धि, चैक प्वाइंटों पर कड़ी नजर, कार्यशाला का आयोजन आदि ।

**आगामी वर्ष—एक आशावादी मनोवृत्ति**

ई टी एण्ड टी में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर बल दिया जाएगा । वर्ष 1986-87 में शत-प्रतिशत लेखन सामग्री की मदें द्विभाषी रूप में उपलब्ध होंगे । कर्मचारियों के लाभ से संबंधित सभी नियमावली द्विभाषी रूप में उपलब्ध करायी जाएगी । अधिक-से-अधिक मानक मसौदे हिन्दी या द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे ताकि मूल-पत्राचार में वृद्धि हो सके । धारा 3 (3) का अक्षरशः पालन किया जाएगा । क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा तथा कार्यशालाएं लगाई जाएंगी ।

हम प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में निबंध-लेखन प्रतियोगिता, वाक् प्रतियोगिता आदि आयोजित कर रहे हैं । प्रतियोगिताएं क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय स्तर पर की जा रही हैं । पुरस्कारों के अलावा एक चल शील्ड भी देने का प्रस्ताव है ।

ऊपर दिए गए विवरणों से स्पष्ट होता है कि कंपनी के तमाम कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति अभिरुचि पैदा की गई है तथा इस तरह का माहौल तैयार किया गया है ताकि सभी वर्ग के कर्मचारीगण अपनी इच्छा से हिन्दी में काम करें । इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए हिन्दी कक्ष को सशक्त बनाया गया है, हिन्दी कक्ष में एक हिन्दी अधिकारी, एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा एक सहायक हैं ।

—विमल चन्द्र महान्ती
प्रबंध निदेशक

## 3. केनरा बैंक मंडल कार्यालय, आगरा में हिन्दी

हिन्दी हमारी राजभाषा है और सदियों से जनभाषा एवं संपर्क भाषा का दायित्व निभाती आ रही हैं। आज हम स्वतंत्र हैं और प्रगतिशील भारत के निर्माण में लगे हैं। जनता की भली-भांति सेवा उसी की ही भाषा में की जा सकती है। और इस उद्देश्य से हमारे बैंक सरकार की राज-भाषा नीति का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। हमारे मण्डल कार्यालय ने भी अपने प्रधान कार्यालय के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्साहजनक परिणाम हासिल किए हैं जिसका ब्यौरा निम्नतर है :—

**1. शाखाओं को मार्गदर्शन :**

(1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्ष 1985–86 के लिए वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम की प्रतियां

हर शाखाओं को समय से भेजी गई तथा उन्हें निर्देश दिया गया कि वे हर मद का पालन सुनिश्चित करें।

(2) शाखाओं को विभिन्न परिपत्रों/पत्रों के माध्यम से हिन्दी में अधिकाधिक पत्र व्यवहार करने, हिन्दी में तार भेजने, त्रैमासिक रिपोर्ट के महत्व की जानकारी तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में समय-समय पर उचित मार्ग दर्शन दिया गया।

(3) शाखा स्तर पर नामित हिन्दी प्रतिनिधियों से निरंतर संपर्क रखकर सदैव राजभाषा कार्यान्वयन हेतु उचित सलाह दी गयी।

(4) शाखाओं से समय समय पर राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी माँगी गई तथा उन्हें आवश्यकतानुसार उचित मार्गदर्शन दिए गए।

**2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति :**

वर्ष 1985 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें हर त्रैमासिक के लिए संपन्न हुई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति का जुन 1985 में पुनर्गठन किया गया समिति के प्रायः सभी सदस्यों ने सक्रियता पूर्वक बैठकों में भाग लिया तथा अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। समिति की बैठकों में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गयी।

(i) शाखाओं के त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा।

(ii) हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(iii) प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

(iv) प्रधान कार्यालय के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।

इसके अतिरिक्त राजभाषा कक्ष द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही का अवलोकन भी किया गया तथा प्रभावी कदम उठाये जाने हेतु सुझाव भी दिए गए।

**3. हिन्दी कार्यशाला :**

वर्ष के दौरान कुल 4 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें कुल 91 अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालयी हिन्दी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में व्याख्यान हेतु विभिन्न विद्वानों, बैंक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। सिंटिकेट बैंक व भारतीय स्टेट बैंक के राजभाषा अधिकारी डा० रामानुज भारद्वाज व श्री महेन्द्र कपूर का सहयोग सराहनीय रहा।

**4. हिन्दी दिवस समारोह :**

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी दिवस समारोह सोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर वाक्स्पर्धा प्रतियोगिता एवं काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता हमारे मण्डल प्रबन्धक श्री एच० डी० सूडा ने की तथा मुख्य अतिथि रहे डा० राजपति तिवारी, प्राचार्य राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय आगरा। डा० ब्रज किशोर सिंह विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय आगरा, भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। प्रतियोगितायें बहुत ही आकर्षक रहीं तथा सभी ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। विभिन्न बैंकों के राजभाषा अधिकारी तथा समाचार पत्रों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

**5. हिन्दी पुस्तकालय :**

हमारे हिन्दी पुस्तकालय में वर्तमान समय में हिंदी पुस्तकों की संख्या 265 है। वर्ष 1980 में कुल 35 पुस्तकें क्रय की गयी हैं। जिनमें साहित्यिक उपन्यास, कहानियां, व्यंग रचनायें बैंकिंग उन्मुख पुस्तकें आदि सम्मिलित है। कर्मचारियों के रूचि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न साप्ताहिक पाक्षिक वा मासिक पत्रिकाएं भी क्रय की जाती हैं।

**6. हिन्दी टंकण प्रशिक्षण :**

हिन्दी शिक्षण योजना गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षा में हमारे दो कर्मचारी पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आगामी परीक्षा में भी हमारे तीन टंकक सम्मिलित हो रहे हैं।

**7. हिन्दी शिक्षण योजना :**

हिन्दी भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए तो हम हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कर ही रहे हैं। हिन्दी न जानने वाले अहिन्दी भाषी कर्मचारियों/अधिकारियों को भी हिन्दी शिक्षण योजना की प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाओं में सम्मिलित कराया गया। परिणामतः हमारे छः अधिकारी मई 85 व 7 अधिकारी नवम्बर 85 में उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए।

**8. हिन्दी पत्राचार :**

समस्त शाखाओं को अधिकाधिक मूल पत्राचार हिंदी में ही करने हेतु उन्हें निर्देश दिया गया तथा हमारे कुछ शाखाओं की प्रगति सराहनीय भी रहीं। वैसे हिन्दी टाइपिस्ट का अभाव व हिन्दी टाइपराइटर की समस्या एक बाधक के रूप में सामने आ रही है। प्रधान कार्यालय से इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुरोध किया गया है।

**9. हिन्दी अनुवाद कार्य :**

(1) शाखाओं को वसूली सम्बन्धी पत्र व ग्राहकों की भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण पत्रों एवं सूचनाओं की पर्याप्त प्रतियाँ साइक्लोस्टाइल कराकर भेजी गयी।

(2) मण्डल कार्यालय से जारी होने वाले परिपत्रों/ शाखों आदि का किसी भी अनुभाग की

आवश्यकतानुसार तुरन्त अनुवाद उपलब्ध कराया गया जिससे द्विभाषीकरण का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सका।

(3) हर शाखा के ऋण शिविरों व अन्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कर नगर के प्रमुख समाचार पत्रों को प्रेषित की गयी जिससे जन-साधारण हमारे बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों से भली भाँति परिचित हो सके।

(4) हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों को हिन्दी पत्रों का तुरन्त अनुवाद उपलब्ध कराया गया जिससे कि ग्राहकों को समयानुसार उत्तर भेजकर संतुष्ट किया जा सके तथा साथ ही राजभाषा अधिनियम का अनुपालन किया जा सके।

**10. अन्य संस्थाओं एवं विभागों से सहयोग :**

(1) दिनांक 17 मई 1985 को आयकर आयुक्त कार्यालय द्वारा देहरादून में आयोजित अधिकारी वर्ग की कार्यशाला में हमारे राजभाषा अधिकारी, श्री पाण्डेय को व्याख्यान हेतु आमन्त्रित किया गया। पुनः 14 व 15 अक्टूबर, 1985 को आयकर विभाग द्वारा आयोजित दूसरी कार्यशाला, जो बुलंदशहर में आयोजित की गई, उसमें भी राजभाषा अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया। उक्त कार्यशालाओं में श्री पाण्डेय द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए हमें आयकर आयुक्त आगरा व आकयर आयुक्त मेरठ से बधाई पत्र भी प्राप्त हुये।

(2) सिंडिकेट बैंक, बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं/दिन्दी दिवस समारोह में हमारे राजभाषा अधिकारी को सहयोगार्थ आमंत्रित किया गया।

(3) स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा आयोजित प्रबन्धक वर्ग हेतु अनुवाद कार्यशाला में व्याख्यान हेतु श्री पाण्डेय को आमंत्रित किया गया।

(4) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 1 व 2 दिसम्बर, को आयोजित हिंदी कार्यशाला में हमारे राजभाषा अधिकारी को उद्घाटन अवसर पर अतिथि के रूप में तथा व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया।

(5) दिनांक 18-9-1985 को शाखा प्रबन्धक सम्मेलन के अवसर पर बैंकों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन विषय पर राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रभावी व्याख्यान दिया गया।

(6) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हर बैठक में हमारे राजभाषा अधिकारी द्वारा केनरा बैंक में राजभाषा हिन्दी की प्रगति विषय पर प्रभावी व्याख्यान दिया गया।

**11. कुछ विशिष्ट कार्य :**

(1) मण्डल कार्यालय आगरा में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति से प्रभावित होकर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने तत्कालीन मंत्रालय प्रबन्धक श्री पी० के० एन० कामथ को विज्ञान भवन में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में श्रीमती रामदुलारी सिन्हा गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार से सम्मानित किया।

(2) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आठवीं बैठक में संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने चल वैजयन्ती राजभाषा शील्ड हमारे मण्डल प्रबन्धक श्री एच० डी० सूडा को प्रदान की। उक्त अवसर पर हमारे राजभाषा अधिकारी को "राजभाषा कप" तथा श्री रमेश चन्द्र गोयल, श्री सुनील चन्द्र कुलश्रेष्ठ व श्री सुनील कुमार चौधरी को प्रशस्ति पत्र दिया गया।

(3) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में हमारे 12 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए जिसमें से तीन ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए।

(4) हमारे कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र आगरा में परिचय दर्पण तथा जेट पाठ्यक्रम हिन्दी में ही चलाए जा रहे हैं। शेष पाठ्यक्रम भी मिले जुले रूप में ही चलाए जा रहे हैं।

(5) राजभाषा अनुभाग प्रधान कार्यालय द्वारा कई अनुदेश पुस्तिकाओं के मुद्रण का कार्य सौंपा गया इस कार्य को सराहनीय ढंग से पूर्ण किया गया।

**12. वर्ष 1986 हेतु हमारे भावी कार्यक्रम :**

(1) वर्ष 1985 में हमने संख्यात्मक लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। वर्ष 1986 में हमारा प्रयास होगा कि राजभाषा हिन्दी के गुणात्मक पक्ष की ओर जोर दें। इस संदर्भ में हम अपने प्रधान कार्यालय से अनुरोध करेंगे कि डेस्क प्रशिक्षण विधि को प्रयोग के तौर पर करने की अनुमति प्रदान करें जिसके अन्तर्गत एक प्रशिक्षित टीम शाखाओं एवं कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों को उनकी सीट पर ही प्रशिक्षित करेंगी।

(2) अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना।

हम मानते हैं कि अल्प अवधि में हमने संतोषजनक परिणाम हासिल किए हैं, किन्तु ये पर्याप्त नहीं है। अभी हमें और भी अधिक कार्य करना है। जिसके लिए आप सभी के सुझाव व मार्गदर्शन सादर आमंत्रित है।

—वाई० एस० सोमशेखर
वरिष्ठ प्रबन्धक
राजभाषा कक्ष,
मण्डल कार्यालय, आगरा

## 4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमा शुल्क, समाहर्तालय मध्यप्रदेश में हिन्दी

भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियमावली 1976, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम तथा हिन्दी प्रयोग संबंधी आदेशों/अनुदेशों की अपेक्षाओं से सभी को यथासमय अवगत कराया गया और तदनुरूप मध्यप्रदेश समाहर्तालय के सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के समुचित प्रयास किए गए।

**राजभाषा नीति का कार्यान्वयन :**

मध्यप्रदेश समाहर्तालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा राजभाषा नियमों और आदेशों का अनुपालन हो रहा है।

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 के दौरान 905 अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए गए।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अपेक्षित सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, लायसेंस/परमिट, प्रेस विज्ञप्तियां आदि कागजात द्विभाषिक रूप में अथवा हिंदी में जारी किए जाते हैं।

"क" क्षेत्र अर्थात हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों से तथा जनता से हिन्दी में पत्र व्यवहार किया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें की जाती हैं तथा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं।

अधीनस्थ कार्यालय (प्रभागीय कार्यालयों) तथा मुख्यालय की शाखाओं से प्राप्त हिन्दी की रिपोर्टों/जानकारी की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें समुचित मार्गदर्शन दिया जाता है।

कार्यालयों में नियमानुसार द्विभाषिक रबर मुहरों, नामपट्ट, साइन बोर्डों, पत्र शीर्ष आदि का प्रयोग किया जाता है।

लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जाते हैं।

अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में हस्ताक्षर करते हैं।

अधिकांश कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) अधिकारी अपनी दैनंदिनी (डायरी) हिन्दी में लिखते हैं।

वेतन बिलों तथा वित्तीय आदेशों में भी यथासंभव हिन्दी का प्रयोग किया जाता है।

निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्टों में हिन्दी की प्रगति की चर्चा करते हैं।

किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को हिन्दी के प्रयोग के लिए निरुत्साहित करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

समाहर्तालय के कुछ रेंजों/सेक्टरों ने अपना पूरा (शत-प्रतिशत) काम हिन्दी में किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए।

**प्रशिक्षण :**

मध्यप्रदेश समाहर्तालय में जबलपुर को छोड़कर, कहीं भी हिन्दी शिक्षण योजना का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। इससे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने में होने वाली असुविधा के बावजूद, कर्मचारियों को निजी रूप से प्रशिक्षण दिलाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1985 के दौरान 10 कर्मचारियों ने हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 6 कर्मचारियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें नियमानुसार एकमुश्त पुरस्कार तथा वैयक्तिक वेतन प्रदान किया गया।

वर्तमान में मध्यप्रदेश समाहर्तालय में केवल दो अधिकारियों को छोड़कर, सभी को हिन्दी का ज्ञान है और 30 कर्मचारी, हिंदी टाइपिंग में तथा 4 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

**हिन्दी कार्यशाला :**

कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की हिन्दी में काम करने की झिझक दूर करने तथा उन्हें हिन्दी में टिप्पण-आलेखन (नोटिंग-ड्राफ्टिंग) का प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यालय में अब तक हिन्दी कार्यशाला के 9 (नौ) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

मुख्यालय में हिन्दी कार्यशाला का नौवाँ सत्र दिनांक 19 अगस्त 1985 से 26 अगस्त 1985 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 18 कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण तथा आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया। कर्मचारियों को निम्नांकित अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया :—

(1) श्री राजकुमार केसरवानी, हिन्दी अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क, इन्दौर।

(2) श्रीमती (डॉ०) उर्मिला सिंह, हिन्दी अधिकारी, नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन, इन्दौर।

(3) श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा, हिन्दी अधिकारी, आकाशवाणी, इन्दौर।

(4) श्री बृजेन्द्रमोहन शर्मा, सहायक निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर।

(5) श्रीमती (डॉ०) चन्द्रा सायता, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इन्दौर।

**सहायक साहित्य :**

कार्यालय में आम तौर पर प्रयुक्त 125 मानक मसौदों के हिन्दी संस्करण का संकलन पहले सभी को उपलब्ध कराया गया था तथा समय-समय पर सामान्य आदेशों, अधिसूचनाओं तथा पत्र व्यवहार आदि के हिन्दी संस्करण सम्बद्ध शाखाओं को उपलब्ध कराए जाते हैं।

कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नम्नांकित विभागीय सहायक साहित्य की पुस्तकें/चार्ट आदि प्रभागों, रेंजों, सैक्टरों तथा मुख्यालय की सम्बद्ध शाखाओं को प्रदान की गई है:—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क शब्दावली चार्ट

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क कार्यदर्शिका (पुस्तक)

(3) प्रशासनिक शब्दावली

(4) नेमी कार्यालय टिप्पणियां तथा प्रारूप

(5) सामान्य प्रशासन टिप्पणियां तथा प्रारूप

(6) बैंक व्यवहार

(7) स्थापना कार्य; टिप्पणियां तथा प्रारूप

उक्त सहायक साहित्य की मदद से हिन्दी का प्रयोग बढाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**हिन्दी के विशेषीकृत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण :**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क प्रशिक्षण निदेशालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28-10-85 से 1-11-85 तक नयी दिल्ली में आयोजित 5 दिवसीय हिन्दी के विशेषीकृत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सत्र में कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक श्री इन्द्रप्रकाश शर्मा और श्री आर० ए० सिंघल शामिल हुए।

**राजभाषा सम्मेलन में प्रतिनिधित्व :**

भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 1985 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित "राजभाषा सम्मेलन" में भारत सरकार के मंत्रियों, संसद सदस्यों, सचिवों, संयुक्त सचिवों, अनेक वरिष्ठ अधिकारियों तथा देश की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों व सचिवों ने भाग लिया।

इन्दौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव के नाते, कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री राज केसरवाणी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

इस राजभाषा सम्मेलन को प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने संबोधित किया था। श्री गांधी ने आशा व्यक्त की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाएं।

**हिन्दी पुस्तकालय :**

मुख्यालय कार्यालय में वर्ष 1980 से हिन्दी पुस्तकालय स्थापित है। इस पुस्तकालय में काफी संख्या में हिन्दी की स्तरीय, साहित्यिक और उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं। कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी इस पुस्तकालय का लाभ उठा रहे हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमा शुल्क मनोरंजन एवं कल्याण क्लब का पुस्तकालय भी, हिन्दी शाखा द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसका लाभ भी अनेक अधिकारी कर्मचारी उठा रहे हैं।

**हिन्दी प्रतियोगिताएं :**

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताओं में इस कार्यालय के कर्मचारी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं।

परिषद की वर्ष 1984 की प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत व प्रशंसित, इस कार्यालय के निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को, स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर 15 अगस्त 1985 को समाहर्ता श्री एस० वी० रामकृष्णन ने प्रशस्ति पत्र वितरित किए:—

**अखिल भारतीय हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता**

सर्वश्री

(1) दत्तात्रय चि० दिघे, अधीक्षक (तकनीकी) 31/- रु० का प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।

(2) वसंत द० चांदोरकर, अधीक्षक (अभिरक्षक)

(3) अजय देसाई, उच्च श्रेणी लिपिक

(4) वासुदेव लक्ष्मण पेलने, कनिष्ठ लेखाकार

(5) प्रदीप फकीरा राऊत, निम्न श्रेणी लिपिक

(5) सी० के० पटले —,,—

(7) एस० सूर्यबाबू —,,—

**अखिल भारतीय टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता :**

(1) रवि मिश्रा, कनिष्ठ लेखाकार

(2) महेश केमार हर्ष, उच्च श्रेणी लिपिक

(3) सुरेश चन्द्र बड़वानिया, प्रारूपकार

(4) हर्षवर्धन शर्मा, निरीक्षक

(5) कुमारी सुनीता नायर, उच्च श्रेणी लिपिक

(6) शरदकुमार शर्मा, आशुलिपिक

(7) मोहनकुमार आरीजा, उच्च श्रेणी लिपिक

(8) राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, निम्न श्रेणी लिपिक

वर्ष 1985 में भी केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद नयी दिल्ली की अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिताओं में इस कार्यालय के कर्मचारी शामिल हुए। दिनांक 19 जुलाई 1985 की अखिल भारतीय हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में 28 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुए तथा दिनांक 4 अक्तूबर 1985 की अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण/आलेख प्रतियोगिता में 19 कर्मचारी शामिल हुए। परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

**हिन्दी सप्ताह**

उज्जैन प्रभाग में दिनांक 24-11-85 से 30-11-85 तक हिन्दी-सप्ताह मनाया गया तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास किए गए।

**भोपाल प्रभाग** में दिनांक 23 दिसम्बर 1985 से 31 दिसम्बर 1985 तक हिन्दी-सप्ताह मनाया गया। जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों ने अधिकतम कार्य हिन्दी में किया। इस सप्ताह के अंतर्गत निम्नांकित 5 प्रकार की हिन्दी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई:

1. हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता
2. हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता
3. हिन्दी भाषण प्रतियोगिता
4. हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता
5. हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता

इन प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया।

मध्य प्रदेश समाहर्तालय के कामकाज में हिन्दी की प्रगिति को तेज करने के लिए पूरे समाहर्तालय में 6 जनवरी 1986 से 14 जनवरी, 1986 तक हिन्दी-सप्ताह मनाया गया, जिसके अन्तर्गत सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के विशेष प्रयास किए गए।

मुख्यालय कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, उपर्युक्त हिन्दी-सप्ताह के अंतर्गत नीचे लिखे अनुसार 7 हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, जिनमें उनके नाम के सामने दर्शाए गए कर्मचारी शामिल हुए :—

| क्रम सं० | प्रतियोगिता का नाम | आयोजन तिथि | प्रतियोगिता में शामिल कर्म० की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता | 6 जनवरी '86 | 13 |
| 2. | हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता | 7 जनवरी '86 | 20 |
| 3. | हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता | 8 जनवरी '86 | 11 |
| 4. | हिन्दी तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता | 9 जनवरी '86 | 11 |
| 5. | हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता | 10 जनवरी '86 | 23 |
| 6. | हिन्दी शुद्धलेखन प्रतियोगिता | 13 जनवरी '86 | 19 |
| 7. | हिन्दी सामान्य-ज्ञान प्रतियोगिता | 14 जनवरी '86 | 26 |

इन प्रतियोगिताओं का परिणाम नीचे लिखे अनुसार है :—

| क्र० सं० | प्रतियोगिता का नाम | पुरस्कार क्रम | प्रतियोगी नाम/पदनाम | पुरस्कार राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता | प्रथम | परसराम उमरेडकर, नि०श्रे०लि० | 75.00 |
| | | द्वितीय | शरदकुमार शर्मा, आशुलिपिक | 50.00 |
| | | तृतीय | मोहनकुमार आरीजा, उ०श्रे०लि० | 25.00 |
| 2. | हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता | प्रथम | शरदकुमार शर्मा, आशुलिपिक | 75.00 |
| | | द्वितीय | महेशकुमार हर्ष, निरीक्षक | 50.00 |
| | | तृतीय | सुरेश बड़वानिया, प्रारूपकार | 25.00 |
| 3. | हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता | प्रथम | अरुणकुमार जैन, निरीक्षक | 75.00 |
| | | द्वितीय | कु० रशपाल कौर भुल्लर | 50.00 |
| | | तृतीय | रवि मिश्रा, कनिष्ठ लेखाकार | 25.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. हिंदी तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता | प्रथम | अरुणकुमार जैन, निरीक्षक | | 75.00 |
| | द्वितीय | के० जी० देशपाण्डे, कनिष्ठ लेखाकार | | 50.00 |
| | तृतीय | एफ० ए० गाँधी, आशुलिपिक | | 25.00 |
| 5. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता | प्रथम | रवि मिश्रा, कनिष्ठ लेखाकार | | 75.00 |
| | द्वितीय | जयप्रकाश नोटियाल, निरीक्षक | | 50.00 |
| | तृतीय | महेशकुमार हर्ष, निरीक्षक | | 25.00 |
| 6. हिन्दी शुद्धलेखन प्रतियोगिता | प्रथम | मोहनकुमार आरोजा | | 75.00 |
| | द्वितीय | कु० रशपाल कौर भुल्लर, निरीक्षक | | 50.00 |
| | तृतीय | सुहास गंधे, निरीक्षक | | 25.00 |
| 7. हिन्दी सामान्य-ज्ञान प्रतियोगिता | प्रथम | हर्षवर्धन शर्मा, निरीक्षक | | 75.00 |
| | द्वितीय | रवि मिश्रा, कनिष्ठ लेखाकार | | 50.00 |
| | तृतीय | अजय देसाई, उ० श्रे० लिपिक | | 25.00 |

हिन्दी प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रयास "सराहनीय" रहे :—

1. **हिन्दी टाईपिंग प्रतियोगिता :**
   (1) मोहनसिंह डामौर, सिपाही
   (2) एल० के० जांभुलकर, उ० श्रे० लि०
   (3) कैलाश वर्मा, नि० श्रे० लि०

2. **हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता :**
   (1) एच० एम० धुर्वे, उ० श्रे० लि०
   (2) राकेशकुमार श्रीवास्तव, नि०श्रे०लि०
   (3) राजेन्द्र सिंह सिसौदिया, नि० श्रे० लि०

3. **हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता :**
   (1) कमलेशकुमार जैन, कनिष्ठ लेखाकार
   (2) केशव देशपांडे, कनिष्ठ लेखाकार
   (3) हर्षवर्धन शर्मा, निरीक्षक ।

4. **हिन्दी तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता :**
   (1) कु० रशपाल कौर भुल्लर, निरीक्षक
   (2) जी० एल० सोनी, सिपाही
   (3) सुरेश वड़वानिया, प्रारूपकार

5. **हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता :**
   (1) कुमारी सुनीता नायर, उ० श्रे० लि०
   (2) सुरेश वड़वानिया, प्रारूपकार
   (3) प्रवीरकुमार समाद्दार, निरीक्षक

6. **हिन्दी शुद्ध-लेखन प्रतियोगिता :**
   (1) पी० वाय० सिरसात, नि० श्रे० लि०
   (2) कु० सुनीता नायर, उ० श्रे० लि०
   (3) सी० नारायण राव, आशुलिपिक

7. **हिन्दी सामान्य-ज्ञान प्रतियोगिता :**
   (1) राजेन्द्रसिंह बैस, कनिष्ठ लेखाकार
   (2) सुरेन्द्रकुमार मौर्य, कनिष्ठ लेखाकार
   (3) मदनलाल शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार

गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 1986 को समाहर्ता श्री एस० वी० रामाकृष्णन ने उपर्युक्त विजयी प्रतियोगिता को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए तथा दिनांक 13 फरवरी 1986 को आयोजित एक समारोह में नकद पुरस्कार प्रदान किए गए ।

**हिन्दी-समारोह पर विविध कार्यक्रम**

**परिसंवाद एवम् प्रदर्शनी—**

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमाशुल्क इन्दौर शाखा के सहयोग से परिषद की नगर समन्वय समिति द्वारा हमारे मुख्य कार्यालय के सभागार में दिनांक 6 दिसम्बर 1985 को "सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में सहायक साहित्य का महत्व" विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई । प्रमुख अतिथि के रूप में "दैनिक भास्कर" के संयुक्त संपादक श्री प्रमोदशंकर भट्ट पधारे ।

श्री भट्ट ने अपने व्याख्यान में बतलाया कि हिन्दी में कार्य करने हेतु सहायक साहित्य की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मानसिक रूप से तैयार करने का ही प्रश्न मूलरूप से है । उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में कार्य हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि हिन्दी में काम नहीं हो सकता है, साथ ही द्विभाषी कार्य का होना भी अरुचि और अवरोध उत्पन्न करता है । विभिन्न भाषाओं के शब्दकोष वेत्ताओं पर व्यंग करते हुए आपने कहा कि आज भी शब्दों में एकरूपता नहीं है । आपने सरकारी कामकाज में सरल, सुगम और लोकप्रिय शब्दों का प्रयोग करने का आग्रह किया । आपने स्मरण कराया कि गृह मंत्रालयों के आदेशों में स्पष्ट व्याख्या है कि यदि अंग्रेजी शब्दों का अर्थ नहीं आता है तो उन्हें वैसे ही देवनागरी में लिख दिया जाए ।

श्री भट्ट ने विषय को आगे बढ़ाते हुए ओजस्वी शब्दों में बताया कि भाषा कभी मरती नहीं, शब्द मरते हैं । शब्द की शक्ति स्वयं में

इतनी हो कि उसे कोई हटा नहीं सके। सरकारी स्तर का मुंह देखना ही पर्याप्त नहीं है, हमें स्वयं लगन तथा प्रेरणा से कार्य करना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

समन्वय समिति के उपाध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव, हिन्दी अधिकारी श्री राज केसरवानी ने इस अवसर पर उपलब्ध सहायक साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का आग्रह किया। इस अवसर पर आपने अपने उद्बोधन में समस्त साहित्य का संक्षिप्त विवेचन भी प्रस्तुत किया। लघु उद्योग सेवा संस्थान के सहायक निदेशक श्री बृजेन्द्रमोहन शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस मौके पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क मुख्यालय के समाकक्ष में विविध सहायक साहित्य की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता उप समाहर्ता श्री राहुल गोयल ने की।

नगर समन्वय समिति के सचिव श्री गोपीचंद मिश्र ने परिषद के कार्यों की जानकारी प्रदान की तथा परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त वर्णन एवं प्रतियोगिताओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम का संचालन श्री राज केसरवानी ने किया।

इस अवसर पर नगर के अनेक केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों तथा निगमों के प्रतिनिधियों तथा सैकड़ों हिन्दी-प्रेमियों ने भाग लिया।

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमाशुल्क मुख्यालय, इन्दौर में अन्तर-विभागीय वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिन्दी सेवियों का सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह—**

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नगर समन्वव समिति, इन्दौर के तत्वावधान में वसंत पंचमी, निराला जयंती और राजा भोज जयंती के अवसर पर दिनांक 13 फरवरी 1986 को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमाशुल्क मुख्यालय, इन्दौर के सभाकक्ष में अन्तर-विभागीय वाद-विवाद प्रतियोगिता, हिन्दी सेवीयों का सन्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

प्रारम्भ में, अतिथि, समाज सेवी एवं उद्योगपति श्री दिनेश रणधर ने दीप प्रज्वलित किया तथा सीमाशुल्क एवम् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समाहर्ता श्री एस० वी० रामाकृष्णन से सरस्वती और महाकवि निराला के चित्रों पर माल्यार्पण किया। समारोह की अध्यक्षता "नवभारत" के प्रबंध संपादक श्री जगन्नाथ चौधरी ने की।

अतिथि श्री हीरालाल शर्मा, सहायक संपादक "दैनिक भास्कर" ने वसंत पंचमी और राजा भोज के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के हिन्दी अधिकारी श्री राज केसरवानी ने महाकवि निराला की काव्य-गत विशेषताएं बतलाते हुए उनके जीवन के मार्मिक एवं रोचक संस्मरण सुनाए।

इस अवसर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क मध्य प्रदेश समाहर्तालय के समाहर्ता श्री एस० वी० रामकृष्णन ने पिछली दिनों सम्पन्न विभागीय 7 हिन्दी प्रतियोगिताओं के 21 विजयी प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए तथा राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा संचालित हिन्दी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पांच कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए।

"हिन्दी राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व निभाने में पूर्ण सक्षम है" विषय पर आयोजित अन्तरविभागीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में इन्दौर के अनेक केन्द्रीय कार्यालयों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के श्री बी० ए० अलवारिस प्रथम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क विभाग के श्री हर्षवर्धन शर्मा द्वितीय तथा कुमारी रशपाल कौर भुल्लर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार सर्वश्री—एस० के शुक्ला, जिनेन्द्र जैन तथा अरुणकुमार जैन को मिला। समाज सेवी व उद्योगपति श्री दिनेश रणधर ने वाद-विवाद में प्रथम स्थान प्राप्त श्री अलवारिस को चल वैजयन्ती (रनिंग शील्ड) प्रदान की।

इस अवसर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय रुप से योगदान देने वाले हिन्दी-सेवियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले हैं—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इन्दौर के सचिव एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क के हिन्दी अधिकारी श्री राज केसरवानी, भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक डॉ० (श्रीमती) चंद्रा सायता और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की अखिल भारतीय हिन्दी टाईपिंग प्रतियोगिता के महिला-वर्ग में लगातार दो वर्ष प्रथम पुरस्कार पाने वाली कुमारी संगीता राठौर। इन्हें सम्मान स्वरुप ग्रन्थों के सेट भेंट किए गए।

समारोह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के समाहर्ता श्री एस० वी० रामकृष्णन समाजसेवी उद्योगपति श्री दिनेश रणधर और समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉ० योगेन्द्र मोहन उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त किए।

कार्यक्रम का संचालन समन्वय समिति के सचिव श्री गोपीचंद मिश्र ने किया तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के हिन्दी अधिकारी श्री राजकेसरवानी ने आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवम् सीमा शुल्क विभाग तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान इन्दौर द्वारा एक विशाल एवम् आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसकी सभी ने सराहना की। प्रदर्शनी में परिषद के विविध प्रकाशन हिन्दी के सहायक साहित्य की उपयोगी पुस्तकें, विभागीय प्रकाशन की किताबें पत्र व्यवहार के नमूने, तथा पत्रिकाएं प्रदर्शित की गई।

उक्त समारोह में इन्दौर स्थित अनेक केन्द्रीय कार्यालयों/निगमों के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

—राज केसरवानी
हिन्दी अधिकारी
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय,
इन्दौर

# हिन्दी सप्ताह/दिवस—

## 1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10 से 14 फरवरी, 1986 के दौरान "हिन्दी सप्ताह" बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि राजभाषा हिन्दी की प्रगति और प्रयोग के लिए उत्साहजनक वातावरण निर्मित हो।

हिन्दी सप्ताह को अधिक उपयोगी और सफल बनाने के लिए अवर सचिव (हिन्दी) की ओर से सभी अधिकारियों को एक अर्द्ध सरकारी पत्र जारी किया गया, जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि सब सामूहिक रूप से कृत संकल्प होकर प्रतिदिन यथासंभव हिन्दी में कार्य करें। विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से इस दौरान हिन्दी में हर रोज कम से कम दो पत्र/टिप्पण लिखने का अनुरोध किया गया। 11 फरवरी, 1986 को एक "वाद-विवाद" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को अहिन्दी भाषी और हिन्दी भाषी दो वर्गों में बांटा गया था। इस प्रतियोगिता में 5 अहिन्दी भाषी तथा 14 हिन्दी भाषी प्रतियोगियों ने भाग लिया। अहिन्दी भाषियों के लिए "वाद-विवाद" का विषय था—"तरक्की प्रौद्योगिकी से होती है न कि विज्ञान से" तथा हिन्दी भाषियों के लिए वाद-विवाद का विषय था—"भारत में विज्ञान से 20वीं शताब्दी के उतरार्द्ध में आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है" इन विषयों पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से प्रतियोगियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। दोनों वर्गों में पहले तीन स्थान अहिन्दी भाषियों में क्रमशः श्री वीरेन्द्र कपूर, श्री अरूण सेन तथा श्री राजेश्वर तथा हिन्दी भाषियों में क्रमशः श्री वीरेन्द्र कुमार त्यागी, श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री विनोद कुमार को प्रदान किए गए। वाद-विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक मण्डल में राजभाषा विभाग के डा० गुप्ता, राष्ट्रीय शैक्षणिक और प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद् के प्रवक्ता डा० हीरालाल बंछोतिया तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सलाहकार मेजर आर० त्यागराजन, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डा० एन० के० सहगल तथा डैस्क अधिकारी श्री आर० पी० सिंह थे।

12 फरवरी, 1986 को "निबंध प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इसमें 34 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें अहिन्दी और हिन्दी भाषी थे। निबंध प्रतियोगिता में सभी भाग लेने वालों के लिए चार विषय दिये गये थे। ये विषय थे—(1) 21वीं शताब्दी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, (2) क्या भारत के नौजवान इसी शताब्दी में चांद पर कदम रख सकते हैं? (3) दूरदर्शन क्रांति कितनी उचित–अनुचित तथा (4) शहरों में प्रदूषण की समस्या।

"दूरदर्शन क्रांति—कितनी उचित-अनुचित" विषय पर 7, "शहरों में प्रदूषण की समस्या" पर 21, "क्या भारत के नौजवान इसी शताब्दी में चांद पर कदम रख सकते हैं" पर 1 तथा "21वीं शताब्दी में विज्ञान के और प्रौद्योगिकी की भूमिका" पर 5 प्रतियोगियों ने निबंध लिखे। इस प्रतियोगिता में अहिन्दी भाषी में श्रीमती विष्णु प्रिया मदरा, कुमारी शुभलता शर्मा तथा श्री मोहन वांदवाणी ने क्रमशः पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त किया जबकि हिन्दी भाषी में श्री बलदेव सिंह रावत, श्री विनोद कुमार व श्री अशोक कुमार शर्मा ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया।

निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक मण्डल में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के रिसर्च एसोसिएट श्री जगमोहन राव भट्ट तथा इस विभाग के डा० एन० के सहगल थे।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शेष सभी प्रतियोगियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त इस सप्ताह के दौरान हिन्दी में टिप्पणी और आलेखन तथा हिन्दी में 10 से अधिक पत्र लिखने के लिए एस० एम० पी० प्रभाग के तीन डैस्क अधिकारियों—सर्वश्री आर० पी० सिंह, वीरेन्द्र कपूर व डी० डी० तिवारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

20 फरवरी को "हिन्दी सप्ताह" का समापन कार्यक्रम नये सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। आयोजन को बहु आयामी बनाने के लिए सेमिनार हॉल को राजभाषा विभाग द्वारा निकाले गए आकर्षक पोस्टरों से सजाया गया, जिसकी सभी अधिकारियों ने प्रशंसा की। इस अवसर पर हिन्दी अनुभाग द्वारा एक "लघु स्मारिका" भी निकाली गयी जिसमें राजभाषा संबंधी आदेशों तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी का किस तरह से अधिकाधिक प्रयोग हो सकता है, के बारे में जानकारी के साथ-साथ अहिन्दी भाषी तथा हिन्दी भाषी प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंधों को भी प्रकाशित किया गया।

हिन्दी सप्ताह के समापन समारोह में विभाग के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और इसे सफल बनाने तथा सार्थक बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। समापन समारोह का आरंभ सरस्वती वन्दना के साथ शुरू हुआ, इसके पश्चात् हिन्दी अनुभाग के श्री अश्विनी कुमार द्वारा विभाग में हो रहे हिन्दी के कार्य तथा उसकी संभावनाओं की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया, उन्होंने अपने विचारों को इतने आत्मविभोर होकर श्रोताओं के सामने रखा कि सभी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। उन्होंने विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि हिन्दी के प्रति जो हीन भावना लोगों में विद्यमान है उसे छोड़ा जाए और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

इसके पश्चात् निर्णायक मण्डल के सदस्यों द्वारा अपने-अपने विचार प्रकट किए गए। सभी वक्ताओं का एक ही मत था कि उस प्रकार के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना

है जिससे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिले। प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डा० एन० के० सहगल ने कहा कि "हिन्दी सप्ताह" मनाने की जिस स्वस्थ्य परंपरा का शुभारंभ हुआ है उससे यह आशा बंधी है कि इस प्रकार के प्रयासों से रोजमर्रा के काम में हिन्दी के प्रयोग को जो गति मिली है उसे बरकरार रखा जाए।

संयुक्त सचिव (प्रशा०) और अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने सभी उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हिन्दी सप्ताह की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रकट करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि "हिन्दी सप्ताह" मनाने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब कर्मचारी और अधिकारी हिन्दी सप्ताह का उत्साह आगे भी बनाये रखेंगे। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई दी।

इसके उपरांत विभाग के तत्कालीन सचिव प्रो० यशपाल ने कहा कि भाषा हमारी भावना की प्रतीक है हम भाषा से भावनात्मक स्तर से जुड़े होते हैं। भाषा का मानदण्ड उसकी उपयोगिता है। हमें उचित और व्यवहारिक भाषा अपनानी चाहिए। अंग्रेजी के अतिरिक्त हमें भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान होना जरूरी है। प्रो० यशपाल ने अपने प्रेरणादायक भाषण में कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया से हटकर हमें आसान हिन्दी का प्रयोग करना होगा। उस हिन्दी का जिसे सब समझ सकें, बोल सकें और वह हिन्दी वैसे होगी जैसे प्रेमचन्द की हिन्दी थी। उन्होंने कहा कि तकनीकी विषयों से संबंधित कार्यों को भी हिन्दी में किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने तकनीकी शब्दों के लिए अंग्रेजी के मूल शब्द को रखने का सुझाव दिया। इसके पश्चात् सचिव महोदय ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

समारोह का संचालन विभाग की कुमारी मीनाक्षी ने किया।

अंत में "समूह गान" के साथ समारोह का समापन हुआ।

—अरुण तोह
अवर सचिव, भारत सरकार

## 2. दक्षिण मध्य रेलवे, हैदराबाद

सिकंदराबाद—24-3-86—दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद (मी० ला०) मंडल पर 20-3-86 से 24-3-86 तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री हरस्वरुप रस्तोगी, ने पूर्णा के कम्यूनिटी हॉल में "राजभाषा सप्ताह" का उद्घाटन किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी अपने परिवारों सहित उपस्थित हुए। श्री हरस्वरुप रस्तोगी ने राजभाषा सप्ताह के उद्घाटन से पहले हिंदी प्रदर्शनी "हिंदी दर्शन" का उद्घाटन किया। मंडल रेल प्रबंधक ने अपने भाषण में मंडल के कर्मचारियों को और अधिकारियों को बधाई दी जिसके कारण मंडल को गृह मंत्रालय की ओर से प्रथम पुरस्कार और शील्ड प्रदान की गई। मंडल राजभाषा अधिकारी श्री बी० एल० वर्मा ने मंडल की हिंदी की प्रगामी प्रगति की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। सहायक हिंदी अधिकारी हैदराबाद (मी ला) मंडल के श्रीनिवासराव पर्वतीकर, ने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता आंदोलन का हिंदी से संबंध के विषय में विस्तृत जानकारी दी और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विकास पर अधिक जोर दिया। रेलवे स्कूलों के बच्चों ने उद्घाटन समारोह में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

हैदराबाद मंडल द्वारा आयोजित हिन्दी सप्ताह के अवसर पर
श्री हरस्वरूप रस्तोगी, मंडल रेल प्रबंधक मंच से भाषण करते हुए।

राजभाषा सप्ताह का समापन समारोह सोमवार दि० 24–3–86 को 16.30 बजे मंडल कार्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ श्री रस्तोगी, मंडल रेल प्रबंधक इस समारोह के अध्यक्ष थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया वे हिंदी में आदेश पारित करना आरंभ करें ताकि उनके अधीनस्थ कर्मचारी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने हिंदी कार्यान्वयन में कर्मचारियों की रुचि और उनके सहयोग के लिए उन्हें बधाई दी। मंडल राजभाषा अधिकारी श्री बी०एल०वर्मा ने राजभाषा संबंधी, संवैधानिक बाध्यताओं की जानकारी दी और तत्संबंधी विविध प्रोत्साहनों और पुरस्कारों की जानकारी दी। श्रीमती प०प० आंडाल, सहायक हिंदी अधिकारी प्रधान कार्यालय ने हैदराबाद मंडल पर हिंदी की प्रगति की प्रसंशा की और यह आशा व्यक्त की कि यह प्रगति इस मंडल पर निरंतर बनी रहेगी। श्री श्रीनिवास पर्वतीकर, सहायक हिंदी अधिकारी ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाने की जरुरत पर विस्तार से स्पष्टीकरण दिया। इस अवसर पर हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों को, हिंदी निबंध, वाक्, टिप्पण व प्रारुप लेखन प्रतियोगिता के विजेता कर्मचारियों को और अच्छे अंकों से हिंदी की परीक्षाएं पास करनेवाले कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए। सहायक हिंदी अधिकारी श्री पर्वतीकर ने समारोह के अंत में आभार समर्पित किया।

मंडल राजभाषा अधिकारी
हैदराबाद मीला मंडल

## 3. तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) नई दिल्ली

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, द्वारा जारी वर्ष 1985–86 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार इस निदेशालय में 24 मार्च से 27 मार्च, 1986 तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया। इस बारे में निदेशालय में पहले से ही व्यापक प्रचार किया गया। "हिन्दी सप्ताह" के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी वाक् प्रतियोगिता, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता (हिन्दी भाषी वर्ग) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता (अहिन्दी भाषी वर्ग) हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता एवं हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए तीन पुरस्कार रखे गए। प्रथम पुरस्कार 125/– रुपये का, द्वितीय पुरस्कार 75।– रुपये का तथा तृतीय पुरस्कार 50।– रुपये का। सभी प्रतियोगिताओं में सभी निदेशालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतिदिन प्रतियोगियों के लिए जलपान का प्रबन्ध भी किया गया। हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता के अलावा अन्य चारों प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए। हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता में प्रतियोगी केवल प्रथम व द्वितीय स्थान ही प्राप्त कर पाए। अत: तृतीय पुरस्कार किसी को नहीं दिया जा सका। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को प्रमाण–पत्र सहित नकद पुरस्कार तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। 4 अप्रैल, 1986 को "हिन्दी सप्ताह" के समापन समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय के श्री गणिराम, निदेशक राजभाषा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में हिन्दी के कार्य की प्रगति एवं हिन्दी सप्ताह के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद डा० एस० ए० हुसैनी, निदेशक, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) ने सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर, पर निदेशक महोदय ने उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्हें हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया एवं "हिन्दी सप्ताह" के सफल आयोजन पर प्रसन्नतता जाहिर की और इसके आयोजकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने समारोह में उपस्थित कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे भविष्य में मनाए जाने वाले "हिन्दी सप्ताह" के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस आयोजन को और अधिक सफल बनाएं एवं अपने योगदान से इसे भव्य रूप प्रदान करें। निदेशक महोदय के भाषण के बाद उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को जलपान पर आमंत्रित किया गया। जलपान के उपरान्त समारोह सधन्यवाद समाप्त हो गया।

––सुरेन्द्र पाल खन्ना
अनुवाद अधिकारी
14 मई, 1986
दूरभाष : 3016380

## 4. खादी ग्रामोद्योग आयोग, हैदराबाद

राज्य कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, हैदराबाद में इस वर्ष दिनांक 17–3–86 से 21–3–86 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। जिसके अंतर्गत हिन्दी सुलेखन, निबंध लेखन, भाषण (वाक्) प्रतियोगिताएं तथा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इस हिन्दी सप्ताह के अंतर्गत राज्य कार्यालय के अधिकांश कर्मचारियों ने बहुत उत्साहपूर्वक सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। हिन्दी सुलेखन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमश: श्रीमतीजी शकुंतला, श्री एस० राधाकृष्ण मूर्ती और श्री एम० सुब्बाराव को प्रदान किये गये।

भाषण प्रतियोगिता में––प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार क्रमश: श्री बी० आर० मल्लेश, श्री एन० सी० मोहन, और श्री महेन्द्रराव को दिये गये। डा० एम० बी० राघवराव, निदेशक एवं अध्यक्ष रा० भा० का० सं० श्री मु० वे० सुब्बाराव, सहायक निदेशक एवं उपसचिव रा० भा० का० स० और श्री मु० निद्र, संपादक हैदरावाद समाचार इन प्रतियोगिताओं के निर्णायक थे। उपरोक्त पुरस्कार दि० 21–3–86 को समापन समारोह के अंतर्गत डा० एम० बी० राघवराव, राज्य निदेशक के करकमलों द्वारा वितरीत किये गये। राज्य कार्यालय में हिन्दी की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत

(शेष पृष्ठ 59 पर)

# हिन्दी कार्यशालाएँ—

## 1. गुजरात रिफाइनरी, बडोदरा

हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने तथा कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने-हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर गुजरात रिफाइनरी, प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 21-4-86 से 23-4-86 तक आठवी (इस वर्ष की दूसरी) हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक, श्री एस० एम० मेहता ने किया । अपने उद्घाटन संदेश में उन्होंने कहा कि "हमें सरल एवं सुबोध हिंदी का प्रयोग करके अपना दफ्तरी काम शुरु करना चाहिए । बीच-बीच में आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशी-विदेशी प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन शब्दावली के लिए रुकना नहीं चाहिए" ।

तीन दिन की इस हिंदी कार्यशाला का समापन करते हुए प्रबंधक (ठेका) श्री रमेश मार्कण्डराय जोशीपुरा ने अपने विनोदपूर्ण शब्दों में कहा कि, "हिंदी आज की आवश्यकता बन गयी है । इस प्रकार की कार्यशालाओं से हिन्दी का वातावरण बनता है, लोगों के मन में हिंदी को लेकर एक नयी चेतना जागृत होती है" ।

कार्यशाला का मूल्यांकन प्रस्तुत करते हुए गुजरात रिफाइनरी के उप-प्रबंधक (कार्मिक) श्री विनोद शंकर ने कहा कि "मुझे आप सबको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस आंठवीं हिंदी कार्यशाला के लिए 24 कर्मचारियों को नामित किया गया था और सब के सब इसमें उपस्थित रहे । यह इस बात की ओर संकेत करता है कि गुजरात रिफाइनरी के कर्मचारी एवं प्रबंधक वर्ग के मन में हिन्दी के प्रति कितना स्नेह एवं सम्मान है" ।

इस कार्यशाला में कर्मचारियों को राजभाषा नीति एवं हमारे उत्तरदायित्व, शब्दावली, पदनाम, पत्राचार, टिप्पणी, सामान्य अनुवाद, वाक्य-रचना तथा सामान्य अशुद्धियों आदि से संबंधित व्याख्यान दिए गए ।

## 2. बोकारो इस्पात कारखाना

बोकारो इस्पात कारखाने के हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान रखने वाले अधिशासी एवं अनधिशासी (एग्जीक्यूटिव एण्ड नॉन-एग्जीक्यूटिव) कर्मचारियों को हिन्दी में काम-काज करने की झिझक को दूर करने के उद्देश्य से दिनांक 26 मई से 31 मई 86 की अवधि में एक छः दिवसीय "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में कर्मचारियों ने उत्साह-पूर्वक भाग लिया । बोकारो स्टील के महा प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन), श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय ने सहभागियों के लिए निर्मित अभ्यास पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर कार्यशाला का उद्घाटन किया । इस अवसर पर कारखाने के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे । कार्यशाला का संचालन 'मिटको' पटना के वर्तमान हिन्दी सलाहकार एवं भारत सरकार के राजभाषा विभाग के अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक श्री जगत पाण्डेय युगल ने किया । इनके साथ संचालन में श्री एस० एन० झा०, हिन्दी अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, केन्द्रीय राजस्व भवन, पटना ने सहयोग किया ।

दिनांक 31 मई को कार्यशाला का भव्य समापन समारोह सम्पन्न हुआ जिसमें कारखाने के नगर प्रशासक श्री सतीश चन्द्र लाल दास, मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान थे । बोकारो स्टील के हिन्दी के सर्वकार्यभारी अधिकारी एवं जन-सम्पर्क विभाग के प्रबन्धक श्री संतोष कुमार मेहरोत्रा ने मुख्य अतिथि, उपस्थित अधिकारियों एवं सहभागियों का स्वागत किया । कार्यशाला संचालक श्री जगत पाण्डेय युगल एवं श्री झा ने कार्यशाला के आयोजन एवं हिन्दी में काम-काज के महत्व पर प्रकाश डाला । मुख्य अतिथि श्री दास ने अपने दीक्षान्त भाषण में अधिकारियों एवं सहभागियों को निःसंकोच हिन्दी में शीघ्र काम करने का सुझाव दिया ।

—संतोषकुमार मेहरोत्रा
प्रबन्धक (जनसंपर्क)
एवं सर्वकार्यभारी अधिकारी

## 3. बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल

क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री के० एल० वंसल के निर्देशन में क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने दिनांक 14-15 अप्रैल 86 को क्लर्क श्रेणी के स्टॉफ सदस्यों के लिए भोपाल में एक दो दिवसीय व्यावहारिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया । इसका उद्घाटन बैंक के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री सी० पी० अजमेरी ने दीपशिखा प्रज्वलित करके किया । अपने उद्बोधन में श्री अजमेरी ने कहा कि बैंक की नीति के अनुरूप हमारे क्षेत्र में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिसका उद्देश्य बैंक के कामकाज में हिन्दी प्रयोग बढ़ाने हेतु स्टॉफ सदस्यों को प्रशिक्षित करना है । उन्होंने कहा कि इससे न केवल हम राजभाषा हिन्दी को गौरवमय स्थान दे पाएंगे बल्कि जनता के और करीब जाकर अपने बैंक का कारोबार भी बढ़ा सकेंगे ।

इस कार्यशाला में भारत सरकार की राजभाषा नीति, टिप्पणी, लेखन, पत्र व्यवहार, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण, तार प्रेषण आदि

विषयों पर सत्र लिए गए और प्रतिभागियों को हिन्दी प्रयोग संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। अन्त में एक लघु लिखित परीक्षा भी ली गई। इसके समापन समारोह में बोलते हुए सह प्रशिक्षण अधिकारी श्री एस० एन० जोशी ने कहा कि हमें बैंक के कामकाज में हिन्दी प्रयोग को बढ़ाना चाहिए तथा उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागी अपनी शाखाओं में जाकर अपना अधिकाधिक काम हिन्दी में करेंगे।

यह कार्यशाला क्षेत्रीय कार्यालय के डा० जसबीर सिंह, श्री एम० कृष्णन तथा श्री एस० एन० जोशी तथा अंचल राजभाषा कक्ष के प्रबन्धक श्री के० के० गुप्ता के विविध एवं समन्वित प्रयासों से सफल रही। प्रतिभागियों ने अनुभव किया कि उन्होंने इस कार्यशाला में काफी उपयोगी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

—के० एन० बंसल
क्षेत्रीय प्रबन्धक

### 4. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय के अकार्यपालक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 28–30 अप्रैल, 1986 तक तीन दिवसीय तीसरी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन निगम के निदेशक (कार्मिक) श्री आर० डी० गुप्त ने किया।

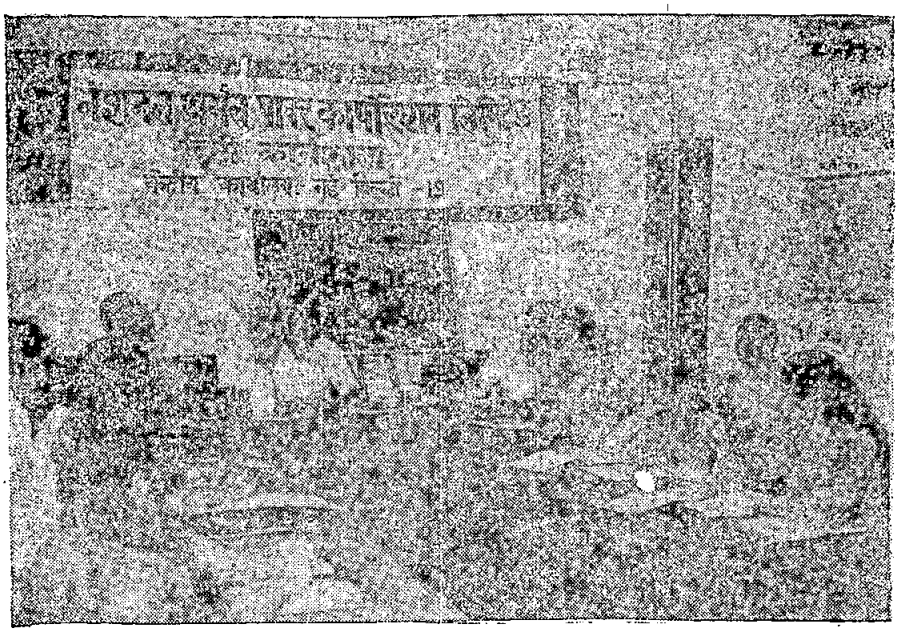

निगम के निदेशक (कार्मिक) श्री आर० डी० गुप्ता
कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए।

कार्यालय के कामकाज में हिंदी नोटिंग, ड्राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी की सरलता, सुबोधता पर प्रकाश डालते हुए अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उन्होंने हिंदी में पत्र–व्यवहार को आसान बताया। श्री गुप्त ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हिंदी कार्यशालाओं में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की झिझक दूर हो सके। कार्यालय का कामकाज अंग्रेजी माध्यम से करने में अभ्यस्त कर्मचारियों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए उनके समक्ष हिंदी का सरल, एवं सुबोध रूप प्रस्तुत करने के साथ ही उनमें हिंदी के प्रयोग को लेकर व्याप्त हीन भावना को दूर करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया जा चुका है उनके लिए समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षण के बाद अलग-अलग विभागों में कार्यरत प्रशिक्षित कर्मचारियों को उनके रोजमर्रा के कामकाज में आड़े आ रही समस्याओं एवं असुविधाओं पर खुलकर विचार-विमर्श हो सके और उनके हल भी ढूंढे जा सके। इससे हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा और हिंदी के प्रयोग को लेकर उनका आत्मबल भी ऊंचा होगा। निदेशक महोदय ने आगे यह भी कहा कि कर्मचारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भी उनके हिंदी ज्ञान से संबंधित प्रविष्टियां होनी चाहिएं। हिंदी के प्रयोग को गति प्रदान करने के लिए उन्होंने साल भर के दौरान ज्यादा से ज्यादा कार्यशालाएं आयोजित करने पर बल दिया जिससे कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कर्मचारियों को हिंदी नोटिंग, ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने प्रबंधन की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। निदेशक महोदय ने इस कार्यशाला की सफलता की कामना की।

केंद्रीय कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशा०) एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, श्री सतीश कुमार नरूला ने निदेशक महोदय के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करते हुए यह आश्वासन दिया कि इस साल

कम से कम छः कर्मशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का अभ्यास करवाने के लिए हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करने का दायित्व स्वीकार करते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में निदेशक महोदय ने जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए हैं उससे हम सभी का उत्साह बढ़ा है। श्री नरूला ने निदेशक महोदय को इसके लिए धन्यवाद देते हुए यह आशा प्रकट की कि भविष्य में भी इसका सक्रिय सहयोग इसी तरह हमें मिलता रहेगा।

इस तीन दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन कार्यशाला में दिए गए व्याख्यानों के आधार पर एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई एवं उसमें सफल प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यशाला का संचालन केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी ने किया।

**—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मिश्र**
राजभाषा अधिकारी
केंद्रीय कार्यालय
एन० टी० पी० सी० नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली–19

## 5. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में विभिन्न शाखाओं की विशिष्ट समस्याओं के आधार पर हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग कराने के उद्देश्य से कार्यशालाएं आयोजित करने का एक योजनाबद्ध कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसी क्रम में सेवा/नियुक्ति शाखा के अनुभागों के लिए एक विशेष हिन्दी कार्यशाला दिनांक 21 अप्रैल, 86 से 25 अप्रैल, 86 तक आयोजित की गई थी। इसका उद्घाटन संघ लोक सेवा आयोग के सचिव श्री मनीश बहल ने किया। इस अवसर पर सचिव महोदय ने संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी में सबसे अधिक काम करने वाले व्यक्तियों तथा अनुभाग को सामूहिक रूप से पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र भी वितरित किए। इसी अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों का संकलन नामक पुस्तिका तथा दैनिक कार्य में प्रयोग किए जाने वाले टिप्पण तथा पत्र व्यवहार के नमूने सभी प्रशिक्षार्थियों को वितरित किए गए।

पहले दिन डा० पाण्डुरंग राव, निदेशक (रा० भा०) ने राजभाषा नीति, नियम और अधिनियम की ओर प्रशिक्षार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया। इस कार्यशाला में सेवा/नियुक्ति शाखा के अनुभागों में काम में आने वाले विभिन्न मानक पत्रों, प्रारूपों एवं पत्राचार के अन्य प्रपत्रों आदि में हिन्दी का प्रयोग करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रत्येक दिन चर्चा का प्रवर्तन/प्रस्तुति राजभाषा उपनिदेशक और सहायक निदेशकों द्वारा हुआ। उन्होंने एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस कार्यशाला में सभी प्रशिक्षार्थियों से टिप्पण और प्रारूपण के बारे में कुछ अभ्यास भी कराया गया। उन्होंने जो प्रारूप आदि लिखे वे भाषा तथा शैली की दृष्टि से उत्साहवर्धक थे। इस कार्यशाला के आयोजन से सेवा/नियुक्ति शाखा के अनुभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में काफी उत्साह पैदा हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन शब्द मंच और प्रश्न मंच का भी आयोजन किया गया।

कार्यशाला का समावर्तन संदेश संघ लोक सेवा आयोग के अपर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक श्री चन्द्रधर त्रिपाठी ने दिया। अंत में कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

**—योगेन्द्रनाथ गुप्त**
उप निदेशक (रा०भा०)
संघ लोक सेवा आयोग

## 6. केनरा बैंक, जयपुर

केनरा बैंक के जयपुर मंडल द्वारा दिनांक 22-5-86 से 24-5-86 तक तृतीय हिन्दी कार्यशाला का यहां रोटरी क्लब हाल में आयोजित किया गया। मुख्य मंत्री के प्रेस सलाहकार श्री मुश्ताक अहमद राकेश ने इसका उद्घाटन किया। कार्यशाला में मंडल की राजस्थान व हरियाणा राज्यों की शाखाओं के कर्मचारियों को बैंकिंग में कामकाजी हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर श्री मुश्ताक अहमद राकेश ने कहा कि रोज के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हम अब भी अंग्रेजी के प्रयोग को सम्मान की बात मानते हैं और हिन्दी के प्रयोग में हिचकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि शुरू से हिन्दी को अनिवार्य कर दिया जाता तो हिन्दी अब तक पूरी तरह स्थापित हो गई होती।

श्री राकेश ने कहा कि हमें अन्य भाषाओं के शब्दों को हिन्दी में अपना लेना चाहिये। इससे हिन्दी समृद्ध होगी। अंग्रेजी का मोह छोड़कर हमें हिन्दी में अधिकाधिक काम करने का संकल्प लेना चाहिये।

इससे पहले बैंक के मंडल प्रबंधक श्री एस० वी० कामत ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्होंने कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की सलाह दी।

इस कार्यशाला के अंतिम दिवस मंडल प्रबंधक ने समूहचर्चा की अध्यक्षता की तथा कार्यशाला में आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रमाणपत्र भी वितरित किए।

**—बी० एम० रै**
मंडल प्रबंधक

## 7. निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान) मयूर भवन, नई दिल्ली

निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान), मयूर भवन, नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, 1986 से 22 मई, 1986 तक चार दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें 10 कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है।

इस कार्यशाला का उद्घाटन 19 मई, 1986 को सायं 3.30 बजे इस निदेशालय के निरीक्षण निदेशक श्री के० रंगराजन ने किया है। इस अवसर पर कार्यालय के कर्मचारी और कुछ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री रंगराजन ने कहा है कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के नागरिक होने के नाते हम सब लोगों की अपने संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होने के कारण संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए सच्चे नागरिक और निष्ठावान सरकारी कर्मचारी के रूप में हमें राजभाषा हिंदी को अपनाने का लगातार प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मैंने हिंदी की कोई परीक्षा पास नहीं की है और मेरी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, फिर भी मैंने अपने थोड़े से प्रयास से हिंदी सीख ली है और अब मैं हिंदी के समाचार-पत्र, पत्रिकाओं और आम साहित्य को भलीभांति पढ़ सकता हूं और उसे पूरी तरह समझता भी हूं। उन्होंने बताया है कि जिन फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी लिखी होती है, उन पर मैं भी हिंदी में ही टिप्पणी लिखता हूं, फिर आप लोग क्यों नहीं अपना कार्य हिंदी में कर सकते हैं।

देश की विशालता और विभिन्न भाषाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश विशाल है, इसमें कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमें गौरव है कि हमारे देश की सभी भाषाएं समृद्ध और सशक्त हैं। सभी भाषाओं में उत्तम साहित्य है। हमें सभी भाषाओं का आदर भी करना चाहिए। परन्तु हिंदी एक ऐसी भाषा है, जो भारत में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सभी भागों में समझी जाती है। हिंदी एक सरल भाषा भी है। इसलिए इसे थोड़ी सी कोशिश करने पर सीखा जा सकता है।

कार्यशाला के कार्य का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में आपको यह सिखाया जाएगा कि सरकारी कामकाज में इसे क्यों और कैसे प्रयोग में लाना है। यहां आपको अपने सरकारी कार्य को हिंदी में करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप इस संबंध में अपनी कठिनाई भी बताते रहें ताकि उसको हल करने के बारे में भी विचार किया जा सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपसे यह अपेक्षा की जाएगी कि आप अपने सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग शुरू तो कर ही दें। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप अपना पूरा कार्य हिंदी में कीजिए और इस संबंध में आपकी कठिनाइयों को दूर करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा।

**—विचार दास**
सहायक निदेशक (राजभाषा)
निरीक्षण निदेशालय (अनुसंधान)

## 8. एच० एम० टी० अजमेर

एचएमटी अजमेर में यह दूसरा अवसर था जब हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 1 मई से 2 मई 1986 को किया गया था।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबन्धक श्री रमेश्वरदयाल ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। एचएमटी के अतिथि गृह में इस कार्यशाला के आयोजन में संस्थान के करीब 25 व्यक्तियों ने

▶ एच० एम० टी० लिमि० अजमेर द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए न० रा० का० स० अजमेर के अध्यक्ष श्री रामेश्वर दयाल।

भाग लिया । .यान के वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्घाटन व समापन समारोह में उपस्थित रहकर कार्यशाला के प्रतिभागियों को हिन्दी में कार्य करने की रुचि व बाधाओं आदि के विषय में बातचीत की तथा दैनिक कार्य में हिन्दी को और अधिक गति देने को अभिरुचि जागृत की ।

इस समारोह का प्रारंभ राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक एचएमटी अजमेर के द्वारा मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर एवं मुख्य अतिथि श्री रमेश्वरदयाल मंडल रेल प्रबन्धक द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया । उपप्रबन्धक (हिन्दी) श्री एन० के० भूतड़ा ने सरस्वती वंदना कर दृढ़ स्वर में हर्ष के साथ कहा कि कई वर्षों से हिन्दी की उन्नति के लिये कार्य किये जाते रहे है परन्तु अभी तक यह अपने उच्च स्तर को प्राप्त नहीं हुई है अभी भी कार्यालयों में अंग्रेजी का बोल बाला चल रहा है हिन्दी में कार्य करने में कुछ अधिकारी/कर्मचारी झिझक महसूस करते है उसे मिटाने के लिये ही इस प्रकार को कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है । हिन्दी में कार्य निष्पादित होने की जितनी अपेक्षा की गई है उतना हो नहीं पा रहा हैं उनके कारणों का भी इस कार्यशाला में पता लगाकर उचित समाधान ढूंढा जावेगा । मुख्य अतिथि ने हिन्दी के प्रचार व प्रसार करने में जोर दिया तथा सभी दैनिक कार्य हिन्दी देवनागरी लिपि में किये जाने को प्रेरित किया । महाप्रबन्धक एचएमटी अजमेर ने हिन्दी भाषा के महत्व को समझाया । प्रथम व दूसरे दिन अन्य वक्ताओं ने जिसमें अपर मंडल रेल प्रबन्धक श्री बरुआ, बरि० हिन्दी अधिकारी पश्चिम रेल्वे श्री एन० एन० मल्होत्रा एवं अधीक्षक हिन्दी श्री रामनिवास शर्मा तथा एचएमटी के मुख्य अभियंता श्री जे० के० सिंधी व सहायक अभियंता श्री ए० के० गोविल ने इस कार्यशाला को संबोधित किया ।

—एन० के० भुतड़ा
उप प्रबन्धक हिन्दी

---

(पृष्ठ 54 का शेषांश)

किया । अपने अध्यक्षीय भाषण में राज्य निदेशक डा० एम० वी० राघवराव ने कर्मचारियों से हिन्दी सीखने और इसमें अधिकाधिक कार्य करने का आग्रह किया । उसी दिन एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें हैदराबाद के प्रमुख कवियों :—सर्वश्री नेहपालसिंह वर्मा, डा० इंदू वसिष्ठ, श्री ओमप्रकाश निर्मल, श्री वीरप्रकाश लोहोटी, श्री नरेन्द्रराय, श्री दुलीचन्द्र शशि, डा० कमलप्रसाद "कमल" और रायगढ़ से पधारे श्री आनंदसहाय शुक्ल और कार्यालय के कवि श्रीमती मेहबुब, श्री पी० जी० आर० शर्मा जिनकी काव्य इस धारा से श्रोतागण के हृदय रसविभोर हो गये ।

अंत में श्रीमती मेहबूब के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

—निदेशक
खादी और ग्रामोद्योग
आयोग, हैदराबाद

---

**"आज हम हिन्दी बोलने से कतराते हैं, किन्तु अशुद्ध अंग्रेजी बोलने में गौरव महसूस करते हैं ।"**

**— डा० बलराम जाखड़**

# विविधा

## 1. अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन

हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए "उपग्रह संचार प्रणाली तथा भारत में इसका उपयोग एवं तकनीकी हिन्दी का विकास" पर अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र/इसरो, अहमदाबाद द्वारा हिन्दी में अखिल भारतीय स्तर की तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञान और तकनीकी जैसे गूढ़ विषयों पर अंग्रेजी में संगोष्ठियां यदाकदा होती ही रहती हैं, परन्तु अपने निजी प्रयास से हिन्दी में ऐसी संगोष्ठी का सफल आयोजन अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की एक विशिष्ट उपलब्धि थी। संगोष्ठी के प्रथम दो दिन "उपग्रह संचार के उपयोग" पर संगोष्ठी के लिए रखे गए तथा अन्तिम एक दिन "तकनीकी हिन्दी के विकास" पर कार्यशाला के लिए इस संगोष्ठी में विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विज्ञान तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी में अपने विद्वतापूर्ण लेख पढ़े। संगोष्ठी का सत्रवार कार्यक्रम इस प्रकारसे था :

**सत्र-1. "विश्व तथा भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विकास"**

| | | |
|---|---|---|
| (1.1) उपग्रह-संचार प्रणाली का भारत में विकास | श्री ओ०पी०एन०कल्ला | अहमदाबाद |
| (1.2) भारत में उपग्रह संचार के बढ़ते चरण : | श्री ओ०पी०एन० कल्ला | अहमदाबाद |
| | श्री एम० एल० हासीजा<br>श्री काली शंकर<br>श्री जी० पी० सिंह | |
| (1.3) उपग्रह संचार प्रणाली एक संक्षिप्त विवरण | श्री विश्वनाथ सिन्हा | आई०आई०टी कानपुर |
| (1.4) उपग्रह संचार प्रणाली | श्री कालीशंकर<br>श्री रवि कुमार गुप्ता | नई दिल्ली |
| (1.5) उपग्रह कक्षाएं तथा कक्षीय काल | श्री एम०एल० हासीजा<br>श्री एन०एस०जैस्वाल | नई दिल्ली |
| (1.6) भारतीय क्षेत्र में 11/14 गीगाहर्टज पर संचरण अध्ययन | श्री रघुबीर सिंह | अहमदाबाद |
| (1.7) भारत में उपग्रह-संचार भविष्य के लिए सम्भावनाएं | श्री रवि अग्रवाल<br>श्री संजय खरे | कानपुर<br>आई०आई०टी |
| (1.8) विश्व एवम् भारत में उपग्रह-संचार प्रणाली का विकास | श्री रमेशचन्द्र सोनी | बंबई<br>आकाशवाणी<br>तथा दूरदर्शन<br>विभाग |

**सत्र-2 "संचार-उपग्रह के विभिन्न घटक"**

| | | |
|---|---|---|
| (2.1) भारत का राष्ट्रीय उपग्रह व्यवस्था इन्सैट-1 | श्री प्रमोद पी० काले | बेंगलोर |
| (2.2) संचार-उपग्रह के विभिन्न घटक अन्तराली ऐन्टेना प्रणाली | श्री एस०पी०कोस्टा | बेंगलोर |
| (2.3) ऐपल सी-बैंड संचार प्रेषानुकर दूरमिती व बीकन संचारी | श्री लियो लेजराडो<br>श्री एस०के०सिंह | अहमदावाद |
| (2.4) प्रव नोदन प्रणाली एवम् विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में इस का विकास | श्री किशनसिंह<br>वी०एस०एस०सी० | त्रिवेन्द्रम |
| (2.5) अंतरिक्ष खंड | श्री पी० रामचन्द्रन तथा<br>बी० श्रीकान्तन | बंगलीर |

**सत्र-3 "भू केन्द्र एवं संबंधित तकनीक"**

| | | |
|---|---|---|
| (3.1) भारत में भू केन्द्र प्रोद्योगिकी और इसका भविष्य | श्री नीलमणि मोहन्ती | अहमदाबाद |
| (3.2) परिवहनीय संचार टर्मिनल | श्री आर०जी० पिल्लै<br>श्री एस०एस० पलसुले | अहमदाबाद |
| (3.3) पोत भू केन्द्र | श्री विजयसिंह यादव | अहमदाबाद |
| (3.4) भारत में उपग्रह-प्रसारण-प्रेषक श्रृंखला के यंत्र और रेडियो विसारक टर्मिनल | श्री एस०एम०सलगर<br>श्री एस०एम०श्रीवास्तव | अहमदाबाद |
| (3.5) दिल्ली भू केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय उपग्रह दूरदर्शन सेवा | श्री विनय किशोर<br>श्री गजेन्द्रसिंह<br>श्री संजीव चोपड़ा | नई दिल्ली |
| (3.6) प्रसारण प्रयोग परियोजना (पेप) | श्री ओ०पी०एन० कल्ला<br>श्री काली शंकर | अहमदाबाद |
| (3.7) | श्री आर० सी० गर्ग | अहमदाबाद |

**सत्र-4 "संचार की आधार बेण्ड तकनीक".**

| | | |
|---|---|---|
| (4.1) उपग्रह-संचार की आधार बैंड तकनीकी | श्री प्रमोद कुमार | अहमदाबाद |
| (4.2) माडुलन विमाडुलन तकनीकियाँ | श्री सी०लाल | अहमदाबाद |
| (4.3) ऐपल के माध्यम से समय-विभाजन-बहु-अभिगम प्रयोग | श्री महेन्द्रकुमार शर्मा | अहमदाबाद |
| (4.4) इन्सेट-1बी संचार-प्रेषानुकर में केरियर संकोचन का विश्लेषण | श्रीमती दीप्ति रस्तोगी<br>श्री एन०सेन गुप्त | अहमदाबाद |
| (4.5) इंटेल 8748 सिग्नल चिप माइक्रो-प्रोसेसर द्वारा सीरीयल संचार प्रणाली | श्री बद्री विशाल बजाज | हैदराबाद<br>ई०सी०आई० एल० |

सत्र-5 "उपग्रह के प्रसारण एवं अन्य उपयोग"

| | | |
|---|---|---|
| (5.1) उपग्रह-संचार तथा प्रसारण प्रणाली का भारत में भविष्य एवम् सम्भावनाएं | श्री एम० वाय० घोते | बंबई आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन विभाग |
| (5.2) उपग्रह के प्रसारण एवम् अन्य उपयोग | श्री जे० पी० शिवहरे | अहमदाबाद |
| (5.3) उपग्रह द्वारा संगोष्ठी | श्री रविन्द्रनाथ वधवा श्री नरेन्द्र नारायण वर्मा श्री मदनपाल शर्मा | नई दिल्ली |
| (5.4) उपग्रह द्वारा पि०टी०आ.० का समाचार और चित्रप्रदर्शन | श्री म० जेयमणि श्री क. बन्धोपाध्याय | अहमदाबाद |
| (5.5) घोर विपत्ति चेतावनी व्यवस्था | श्री अनिलकुमार सिसोदिया | अहमदाबाद |
| (5.6) उपग्रह-संचार विनाश चेतावनी तंत्र एवम् आंकड़ा संग्रहण मंच | श्री जगदीश सिंह | मौसमविज्ञान कार्यालय नई दिल्ली |
| (5.7) इन्सेट द्वारा दो प्रस्तावित संदेश नेटर्क | श्री क० बन्धोपाध्याय | अहमदाबाद |
| (5.8) दो टेलिविजन वाहक प्रयोग | श्री रविन्द्रनाथ वधवा श्री एम० एस० अरोड़ा श्री ए० के० वर्मा | नई दिल्ली |
| (5.9) यूनिस्पेस 82 सजीव प्रदर्शन | श्री आर०जी० पिल्लै | अहमदाबाद |
| (5.10) सौर ऊर्जा उपग्रह तंत्र | श्री एम०एल० हासीजा श्री एम०एस० अरोड़ा श्रीमती सुधा शर्मा | नई दिल्ली |
| (5.11) अंतरिक्ष उपग्रह से विद्युत-तंत्र शक्ति के नियंत्रण का अध्ययन | डा० राजनारायण तिवारी | इलाहाबाद मोतीलाल-नेहरु रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरींग |
| (5.12) उपग्रहो का ब्रह्मांडिकी में उपयोग | डा. अशोक सप्रे, | रविशंकर विश्व विद्यालय, रायपुर |

कार्यशाला "तकनीकी हिन्दी का विकास" कार्यक्रम

सत्र-क हिन्दी में अभियांत्रिकी तथा तकनीकी शिक्षा : समस्याएं व समाधान

| | | |
|---|---|---|
| क.1 तकनीकी हिन्दी का विकास शैक्षिक परिप्रेक्ष्य | डा० ठाकुरदास श्रीमती शांति मिश्र | आगरा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान |
| क.2 हिन्दी में अभियांत्रिकी एवम् तकनीकी शिक्षा | श्री रमेशचंद्र सोनी | आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन विभाग बम्बई |
| क.3 हिन्दी में अभियांत्रिकी तकनीकी शिक्षा समस्याएं व समाधान | श्री हर शरन गोयल | इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली |
| क.4 तकनीकी-विषयों में हिन्दी माध्यम अपनाने में संकोच क्यों? बाधाएं एवं इन के निराकरण के लिए कुछ सुझाव | डा० दया-प्रसाद खण्डेलवाल | |
| क.5 सामाजिक-संतुलन-और-भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा | डा० दया-प्रसाद खण्डेलवाल | इंडियन एसोसियेशन ऑफ फिजिकल रिसर्च, कानपुर |

सत्र-ख शोध की नई दिशाएं

| | | |
|---|---|---|
| ख.1 तकनीकी-हिन्दी का विकास-शोध की नई दिशाएं | डा० ओमविकास | इलेक्ट्रॉनिक विभाग कानपुर |
| ख.2 हिन्दी में तकनीकी-पारिभाषिक शब्दावली | श्रीमती उमा शुक्ल | एस०एन०डी० टी. विमेन्स युनिवर्सिटी बंबई |
| ख.3 अनुसंधान की भाषा: हिन्दी अनुसंधान | डा० नटवर दवे | केन्द्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान रुड़की |
| ख.4 वानिकी शिक्षा और हिन्दी | श्री दुर्गा शंकर भट्ट | वन अनुसंधान संस्थान एवं महा-विद्यालय देहरादून |
| ख.5 हिन्दी वानिकी साहित्यार्जन की सूत्रधार अ०भा०वा० साहित्य पुरस्कार योजना | श्री दुर्गा शंकर भट्ट | वन अनुसंधान संस्थान एवं महा-विद्यालय देहरादून |

सत्र-ग हिन्दी में तकनीकी लेखन एवं अभिव्यक्ति

| | | |
|---|---|---|
| ग.1 तकनीकी-क्षेत्र के संप्रेषणीयता का माध्यम हिन्दी | डा० मुकुलचंद पांडेय | सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिती, लखनऊ |
| ग.2 हिन्दी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक सृजन के संबंध में शासकीय-पुरस्कार योजनाओं की भूमिका | श्री दुर्गा शंकर भट्ट | वन अनुसंधान संस्थान देहरादून |
| ग.3 हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य के संप्रेषण की समस्या | डा० ललितहरि शर्मा | भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बंबई |
| ग.4 तकनीकी हिन्दी का विकास | प्रों. महाराज नारायण मेहरोत्रा | बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय वाराणसी |
| ग.5 वैज्ञानिक शोध में हिन्दी का प्रयोग | डॉ० अशोक सप्रे | रविशंकर विश्वविद्या-लय, रायपुर |
| ग.6 तकनीकी हिन्दी के विकास में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन" | श्री एच.सी. मटाई श्री राजेन्द्रसिंह सजवान | राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, नई दिल्ली |

| | | |
|---|---|---|
| ग.7 तकनीकी-क्षेत्र में हिन्दी, | डा० अरविंदकुमार गुप्ता | इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) कलकत्ता |

—ए० डब्ल्यू-पी० डेविड

## 2. अंतरिक्ष विभाग द्वारा निबंध, टिप्पण और प्रारूपण इत्यादि हिन्दी में लिखने के लिए प्रतियोगिता की योजना

राजभाषा नीति के अनुपालन में अन्तरिक्ष विभाग/इसरो तथा उसके संघटक केन्द्र/यूनिटों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है । इस दिशा में और आगे बढ़ने के विचार से राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 30 वी बैठक में यह निर्णय किया गया कि निबंध, नोटिंग और प्रारुपण में अन्तर्विभागीय प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए एक योजना बनाई जाय, जिसमें करीब 1000 रुपये मूल्य की पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है । तदनुसार हिन्दी निबंध, नोटिंग और प्रारुपण प्रतियोगिता हर साल निम्नानुसार आयोजित करने के लिए निर्णय किया गया :—

**1. पात्रता :**

(क) अन्तरिक्ष विभाग/इसरो और उसके केन्द्र/यूनिटों के अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें सरकारी काम में मूल टिप्पणी/प्रारूपण लिखना आवश्यक हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं ।

(ख) हिन्दी अधिकारी और अनुवादक, जो सामान्य रूप में हिन्दी में काम करते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते ।

**2. पुरस्कार :**

**(क) संपूर्ण विभाग**

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | 400 रुपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 300 रुपये |
| तृतीय पुरस्कार | 200 रुपये |
| सांत्वना पुरस्कार | 100 रुपये |
| | कुल : 1000 रु० |

(प्रथम तीन पुरस्कार पाने वालों को छोडते हुए अन्य भाग लेने वालों में समान रूप में बांटना है)

**(ख) प्रत्येक केन्द्र/यूनिट**

| | |
|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | 200 रुपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 125 रुपये |
| तृतीय पुरस्कार | 100 रुपये |
| सांत्वना पुरस्कार | 75 रुपये |
| | कुल : 500 रुपये |

(प्रथम तीन पुरस्कार पाने वालों को छोडते हुए अन्य भाग लेने वालों में समान रूप में बांटना है)

(ग) भाग लेने वालों को, उनके निष्पत्ति के मूल्यांकन के आधार पर निम्नानुसार योग्यता प्रमाण-पत्र से भी पुरस्कृत किया जायें —

| | |
|---|---|
| (1) 75% तथा उससे अधिक | अति उत्तम |
| (2) 60% से 75% | उत्तम |
| (3) 50% से 59% | सराहनीय |

प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 10 प्रतिस्पर्धियों का होना आवश्यक है ।

**3. कालावधि :** वार्षिक

**4. नमूना :**

**भाग-I**

| | |
|---|---|
| 1. सामान्य विषय पर निबंध | 50 अंक |

**भाग-II**

| | |
|---|---|
| 1. प्रशासनिक विषय में सरल टिप्पणी | 20 अंक |
| 2. सूचना मसौदा की तैयारी | 20 अंक |
| 3. "इसरो" के किसी चुने गए क्रिया-कलाप पर एक पैरा | 10 अंक |

**5. मूल्यांकन समिति :**

संबंधित केन्द्र/यूनिट के राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा निश्चय किया जाना है ।

## 3. पटना स्थित माइका ट्रे० कॉ० में निबंध प्रतियोगिता

पटना स्थित माइका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मुख्यालय में हिंदी निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया । इस पुनीत अवसर पर भारत सरकार के राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री देवेन्द्र चरण मिश्र जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, डॉ० बी० एस० कुमार, राष्ट्रीय बैंक के उप-महाप्रबंधक एवं हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री नूरूल्लाह, पटना विश्वविद्यालय के मूर्धन्य एवं बहुचर्चित विद्वान तथा बिहार हिन्दी प्रगति समिति के सदस्य, डॉ शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव सहित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी इस समारोह में सम्मिलित हुए । समारोह की अध्यक्षता मिटको के अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक, डॉ० वीरेन्द्र मधुकर ने की । सभागार प्रबुद्ध श्रोताओं से खचा-खच भरा हुआ था । माल्यग्रहण के बाद मुख्य अतिथि ने निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया । एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को निबंध प्रस्तुत करने के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया ।

मुख्य अतिथि ने अपने अभिभाषण में मिटको में हुई राजभाषा की प्रगति पर पूर्ण संतोष जाहिर किया । उन्होंने मिटको के

अध्यक्ष, डॉ० वीरेन्द्र मधुकर को इस अवसर पर विशेष साधुवाद दिया जिन्होंने पटना नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति का अध्यक्षत्व संभालने के बाद नई जागृति ला दी है। मुख्य अतिथि ने कहा कि मिटको का व्यापार विदेशों से अधिक है अतएव, वह हिन्दी के औदार्य को देश की सीमाओं के बाहर तक बिखरने में समर्थ हो सकता है। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि देश की गरिमा के उजागर बनाये रखने के लिए हिन्दी को रोज-रोज के काम में अपनायें। उनका स्पष्ट मत था राष्ट्र के व्यक्तित्व को निखारने के लिए सरकारी काम-काज में हिन्दी का व्यवहार आवश्यक है। अंग्रेजी का प्रयोग सनातन तक कदापि नहीं हो सकता। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम स्वाभिमानपूर्वक हिन्दी का प्रयोग जल्द से जल्द करें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश बड़े स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष पद से बोलते हुए डॉ० वीरेन्द्र मधुकर ने बताया कि आज के पुरस्कार विजेताओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाने वाले अहिन्दी भाषी हैं। इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो अहिन्दी भाषी सायास हिन्दी सीखते हैं उनकी भाषा की पकड़ अच्छी होती है और उनकी अभिव्यंजना शक्ति हिन्दी भाषियों से तनिक भी कम नहीं होती। हिन्दी भाषियों की भाषा पर क्षत्रीय भाषाएं हावी हो जाती है और परिणामस्वरूप वहां हिन्दी का अखिल भारतीय रूप बाधित होता है। डॉ० मधुकर ने मुख्य अतिथि को इसका आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर से पटना स्थित सभी केन्द्रीय उपक्रमों/निगमों आदि के कार्यालय में हिन्दी का काम आगे बढ़ाने का काम मिशनरी के रूप में करेंगे।

डॉ० बी० एस० कुमार एवं डॉ० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे।

—जगत पांडय यगल
हिन्दी सलाहकार

### 4. वानिकी पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ने अखिल भारतीय वानिकी साहित्य पुरस्कार योजना के अन्तर्गत नवें वर्ष 1986 के लिए वानिकी एवं सम्बद्ध विषयों पर मूलत: हिन्दी में लिखे उच्च स्तरीय वैज्ञानिक व तकनीकी ग्रन्थ और लेख योजना-पुरस्कारों के लिए विचारार्थ आमंत्रित किए हैं। ग्रन्थ पुरस्कारों के अन्तर्गत तीन पुरस्कार हैं : श्रेष्ठ लेखन पुरस्कार, 5 हज़ार रु०; उत्तम लेखन पुरस्कार 3 हज़ार रु० और सराहनीय लेखन पुरस्कार, 1 हज़ार रु०।

लेख पुरस्कार चार हैं : श्रेष्ठ लेखन पुरस्कार, 5 सौ रुपये; उत्तम लेखन पुरस्कार, साढ़े तीन सौ रु०; सराहनीय लेखन पुरस्कार, 2 सौ रु० और प्रोत्साहन पुरस्कार, एक सौ रु०। लेखन को सार-संक्षेप सहित अपने ग्रन्थ अथवा लेख की सुस्पष्ट टंकित अथवा मुद्रित छह प्रतियां भेजनी होंगी जो 31 जुलाई 86 तक ही स्वीकार की जाएंगी। प्रविष्टियां भेजने के लिए विहित आवेदन प्रपत्र, नियम, विवरणादि 10 सेंमी० × 25 सेंमी० का बिना टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, डा० घ०, न्यू फारेस्ट, देहरादून के पते पर योजना-सचिव को भेजकर 15 जुलाई 1986 तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

अखिल भारतीय वानिकी साहित्य पुरस्कार योजना, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, भारत सरकार, डा० घ०, न्यू फारेस्ट, देहरादून (उ०प्र०) द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति सं० ई-13016-2-86-हिन्दी-पुरस्कार दिनांक 28 अप्रैल 1986।

—दुर्गाशंकर भट्ट
सचिव,
अ०भा०वा० साहित्य पुरस्कार योजना,
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय।

### 5. पंजाब नेशनल बेंक, पटना में कवि गोष्ठी

बिहार अंचल में 14 अप्रैल 86 से 19 अप्रैल 86 तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया। इसके अंतिम दिन 19 अप्रैल 86 को कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें बैंक अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें विजेता प्रतियोगियों को निम्न प्रकार पुरस्कृत किया गया :—

| प्राप्त स्थान | पुरस्कार की रकम | |
|---|---|---|
| प्रथम | 100 रु० | पुरस्कार |
| द्वितीय | 75 रु० | पुरस्कार |
| तृतीय | 50 रु० | पुरस्कार |
| चतुर्थ | 25 रु० | पुरस्कार |
| पंचम | 25 रु० | पुरस्कार |

साथ ही समस्त प्रतियोगियों को सान्त्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

इसके अलावा, समारोह में हमारे द्वारा आयोजित "अंचल कार्यालय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता", निबन्ध प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित किए गए एवं राजभाषा में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

—नारायणन० गो०

### 6. जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा "निर्देश-पुस्तिकाओं" का "हिन्दी" में प्रकाशन

जमुना ग्रामीण बैंक द्वारा "निर्देश-पुस्तिकाओं" का रूपायण एवं प्रकाशन हिन्दी भाषा में किया गया है।

उक्त पुस्तिकाओं का "विमोचन-समारोह" गत 21-4-86 को आयोजित किया गया था। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के महाप्रबन्धक श्री एस० सी० पन्त थे। उक्त अवसर पर बोलते हुए श्री पंत ने कहा कि उत्तर-प्रदेश एवं हिन्दी भाषी अन्य प्रांतों के ग्रामीण बैंकों क मध्य जमुना ग्रामीण बैंक ने प्रथमतः निर्देश-पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं प्रकाशन हिन्दी भाषा में किया है जोकि निश्चित रूप से बैंक के कर्मियों के ज्ञानवर्धन में बड़ी भूमिका निभाएगीं। श्री पंत ने खुशी प्रगट की कि जमुना ग्रामीण बैंक ने अपनी शैशवास्था में ही प्रभावी कार्य-परिणाम हासिल किए हैं एवं प्रदेश की अन्य ग्रामीण बैंकों को जमुना ग्रामीण बैंक का अनुसरण करना चाहिए। श्री पंत ने केनरा बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आये बैंकाधिकारी श्री जय प्रकाश चौबे की उनके योगदान हेतु काफी सराहना की।

समारोह में बैंक के निदेशक एवं आगरा के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री केदार नाथ वासन भी उपस्थित थे जिन्होंने आगरा के निर्धन ग्रामीणों की सेवा उन्हीं की भाषा के माध्यम से करने की अपील की।

समारोह की अध्यक्षता केनरा बैंक, मंडल कार्यालय के मंडल प्रबन्धक श्री एच० डी० सूडा ने की।

—एम० उल्लुन्दाण
अध्यक्ष

## 7. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में पुरस्कार वितरण

भारतीय गणतंत्र की 37वीं वर्ष गांठ (सन, 86) के सुअवसर पर मुद्रणालय में वार्षिक टिप्पणी और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता वर्ष 1985 के लिए आयोजित की गई। इसमें विजेताओं को निम्न प्रकार पुरस्कार प्रदान किए गए :—

| क्र० | नाम | पद | पुरस्कार | पुरस्कार राशि |
|---|---|---|---|---|
| | सर्वश्री | | | |
| 1. | सुरेन्द्र कुमार सोनी | कनि० लेखाकार | प्रथम | रु० 400 |
| 2. | विलास पाटिल | उ०श्रे०लि० | प्रथम | रु० 400 |
| 3. | अशोक कुमार श्रीवास्तव | नि०श्र०लि० | द्वितीय | रु० 200 |
| 4. | कैलाशचन्द्र पांचाल | उ०श्रे०लि० | द्वितीय | रु० 200 |
| 5. | रुहिनी कुमार दास | उ०श्रे०लि० | द्वितीय | रु० 200 |
| 6. | प्रद्योणकुमार भटनागर | नि०श्रे०लि० | तृतीय | रु० 150 |
| 7. | अजय कुमार वाडिया | नि०श्रे०लि० | तृतीय | रु० 150 |
| 8. | सोतेन्द्र कुमार दुबे | उ०श्रे०लि० | तृतीय | रु० 150 |
| 9. | लखनलाल अग्रवाल | नि०श्रे०लि० | तृतीय | रु० 150 |
| 10. | पी० सी० जोशी | नियंत्रण निरीक्षक | तृतीय | रु० 150 |

—एस० पी० कुलश्रेष्ठ
मुख्य लेखा एवं प्रशासन अधिकारी

## 8. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में हिन्दी विचार गोष्ठी

दिनांक 2-5-86 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से एक हिन्दी विचार गोष्ठी का आयोजन भूतपूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज एवं समाजसेवी श्री पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुआ। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निदेशक डा० महेश चन्द्र गुप्ता, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। गोष्ठी का उद्घाटन नगर के सम्मानित समाचार पत्र स्वराज्य टाइम्स के प्रधान सम्पादक व समाजसेवी श्री आनन्द शर्मा ने करते हुए कहा कि हिन्दी का प्रयोग जनभाषा के रूप में अधिक से अधिक होना चाहिये। उन्होंने कहा कि हम अपने रोजाना के प्रयोग में हिन्दी को अपनाते हैं मगर कार्यालयों में अभी तक अपेक्षित मात्रा में हिन्दी का प्रयोग नहीं हुआ है वैसे इस क्षेत्र में सरगर्मी के साथ कार्यवाही हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी में अंग्रेजी से ज्यादा अच्छे और उपयुक्त शब्द प्रयोग में आ रहेहैं, हमको अन्य भाषाओं के सुलभ शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना है। उन्होंने उपस्थिति को बताया कि हिन्दी को उचित और उच्च स्थान दिलाने के लिये सतत् प्रयास करना है जिससे कि राजभाषा और राष्ट्र भाषा के बारे में फैली हुई भ्रान्ति को दूर किया जा सके।

मुख्य अतिथि डा० महेश चन्द गुप्ता ने राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाये जाने पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा

कि इग्लैंड में अंग्रेजी के स्थान पर पहले फ्रेंच भाषा का प्रयोग कार्यालयों में किया जाता था। अंग्रेजी का प्रयोग 300 साल पूर्व उठाये गये आन्दोलन से शुरू हुआ जबकि वहां की सरकार ने अंग्रेजी का प्रयोग न करने वालों पर 50 पौंड का जुर्माना निर्धारित कर दिया था। फिर हिन्दी को हमारे देश में राजभाषा के रूप में अपनाने में क्या कठिनाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग में व अन्य तकनीकी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग होता है तो बैंकिंग कार्यों में इसका प्रयोग क्यों नहीं हो सकता है। अब तो हिन्दी शब्दावली और हिन्दी के पर्यायवाची शब्द भी काफी मात्रा में उपलब्ध हैं जिससे कोई समस्या का उदय नहीं होना चाहिये। निदेशक महोदय ने बताया कि "क" क्षेत्र में नियम 4 के अनुसार जारी होने वाले पत्र केवल हिन्दी में होने चाहिये तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों से पूरा पत्राचार हिन्दी में होना अनिवार्य है। श्री गुप्ता ने बताया कि अब कम्प्यूटर भी द्विभाषिक रूप में आ गये हैं जिससे अवश्यही हिन्दी के प्रयोग में प्रगति होगी।

अध्यक्ष श्री पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी ने सुझाव रखा कि सीमित विचार गोष्ठीयों का आयोजन किया जाय और मुख्य विषय पर ही वक्ताओं को अपने बहुमूल्य विचार प्रकट करना चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कर्मचारियों को हिन्दी के लिये आर्थिक प्रोत्साहन दिया तो वे निश्चित फोरन ही रुचि लेने लगेंगे। श्री चतुर्वेदी जी ने कहा कि जो लोग अंग्रेजी बोलकर और लिखकर अपने को बड़ा समझते हैं तो यह उनकी हीन मानसिकता है।

गोष्ठी में हिन्दी कार्य के लिये प्रधानमंत्री से प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड प्राप्त करने वाले केन्द्रीय जल आयोग के अधिशासी अभियन्ता श्री भगवान दास पटेरिया जी ने कहा कि हमको अपनी कथनी और करनी में एकरूपता लानी है तथा हम जिस प्रगति पर पहुँच गये हैं उससे नीचे न जा पायें इसके लिये क्रमबद्ध तरीके से हमको सोचना तथा कार्य करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम हिन्दी क्षेत्रों में शतप्रतिशत हिन्दी का प्रयोग करें तो अन्य क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचलन अपने आप बढ़ जायेगा। गोष्ठी को डा० रामानुज भारद्वाज, राजभाषी अधिकारी, सिन्डीकेट बैंक, श्री उपेन्द्र नारायन सेवक पाण्डे राजभाषा अधिकारी, केनरा बैंक, डा० शिवशंकर शर्मा, श्री ऐ० के० गुप्ता शाखा प्रबन्धक, बेलनगंज तथा कुमारी इला पाण्डे, अधिकारी कार्मिक विभाग आदि ने सफल बनाने हेतु अपने विचार रखे।

श्री सैयद वकील अहमद कादरी राजभाषा अधिकारी ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री पी० एन० चतुर्वेदी ने आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। गोष्ठी का संचालन श्री कादरी द्वारा किया गया।

**—सैयद वकील अहमद कादरी**

राजभाषा अधिकारी

## 9. अन्तरिक्ष विभाग द्वारा विक्रम साराभाई पुरस्कार-1984

अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इस विभाग ने "अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिए विक्रम साराभाई पुरस्कार" नामक योजना प्रारंभ की थी। श्री शिवराज वी० पाटिल, राज्य मंत्री (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में 25, अप्रैल 1986 को हुई संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की तृतीय बैठक में अध्यक्ष महोदय ने "विक्रम साराभाई पुरस्कार, 1984 के अंतर्गत निम्न पुरस्कारों की घोषणा की हैं :

| क्रम संख्या | पुरस्कृत पुस्तक | प्रकाशक | पुरस्कार की राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | भारत का प्रथम अन्तरिक्ष यात्री (श्री जयप्रकाश भारती) | मै. पीताम्बर पब्लिशिंग कं. 88, ईस्ट पार्क रोड़, नई दिल्ली। | 3000 (द्वितीय पुरस्कार) |
| 2. | अन्तरिक्ष में भारत (श्री शुकदेव प्रसाद) | मै. ज्ञानोदय प्रकाशन, इलाहाबाद। | 2000 (तृतीय पुरस्कार) |
| 3. | मंगल की यात्रा (श्री जोगेन्द्र सक्सेना) | मै. हिन्द पाकेट बुक्स प्रा.लि., जी.टी. रोड़, शाहदरा, दिल्ली। | 1000 (प्रोत्साहन पुरस्कार) |

ये पुस्तकें अत्यन्त सरल हिन्दी में लिखी गई हैं और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लोकप्रिय रहेंगी। अतः अनुरोध है कि पुस्तकालयों के लिए इन पुस्तकों को प्राप्त करने के बारे में सभी स्कूलों।शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक सलाह प्रदान की जाय। इस संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन।सहायता, यदि कोई हो, के लिए इस विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

**—मोहन चन्द्र कपिल**

## 10. मध्य प्रदेश में रिट याचिकाएं हिन्दी में संभव

एक बार फिर हिन्दी की जीत हुई है। इस बार हिन्दीके लिए लड़ाई लड़ी इन्दोर के वकील सुरेश नारायन सक्सेना ने। उनकी दलीलों को सम्मान देते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके तहत अब याचिकाएं हिन्दी में भी प्रस्तुत की जा सकेंगी। अब तक केवल अंग्रेजी में याचिका दाखिल की जा सकती थी।

प्रकरण की शुरूआत में मुद्दा अंग्रेजी-हिन्दी बिलकुल न था। प्रकरण तो चुनाव याचिका का था। इन्दोर क्षेत्र क्रमांक एक से निर्वाचित कांग्रेसी विधायक ललित जैन के खिलाफ पराजित निर्दलीय उम्मीदवार घनश्याम चौहान ने चुनाव याचिका दायर की थी। यह याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर में चौहान की ओर से उनके वकील सुरेश नारायण सक्सेना ने अप्रैल, 1985 में दाखिल की थी। याचिका का पंजीयन हो जाने के बाद पंजीयक को खयाल आया कि याचिका हिन्दी में प्रस्तुत की गई है। उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई। चूंकि पंजीयन हो चुका था इसलिए वे अस्वीकार करने से रहे। अन्ततः तब यह ठहरा कि याचिका का सार अंग्रेजी में भी दे दिया जाए।

यह प्रकरण इन्दोर स्थित न्यायमूर्ति के. एल. श्रीवास्तव की खण्डपीठ में स्थानांतरित हो गया। यहां करीब डेढ़ माह तक याचिका पर बहस चलने के बाद ललित जैन के वकील महाधिवक्ता आनन्द मोहन माथुर ने एक आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि चूंकि याचिका हिन्दी में प्रस्तुत की गई है और हाई कोर्ट के नियमों के विपरीत है, इसलिए इस आधार पर ही याचिका निरस्त की जाए।

घनश्याम चौहान के वकील सक्सेना ने 17 फरवरी; 1986 को इस आपत्ति का जवाब प्रस्तुत किया। 3 अप्रैल को बहस हुई। श्री माथुर ने अपनी दलील में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत तथा सुप्रीम कोर्ट के 1958 के एक प्रकरण के मुताबिक हाई कोर्ट के नियम आदेशात्मक होते हैं और उनका यदि पालन नहीं होता है तो याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

सक्सेना ने इसके जबाव में कुछ ऐसी दलीलें दीं कि अन्ततः अदालत को सहमत होना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) के तहत चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसकी धारा 80 से 84 तक में ऐसा कहीं नहीं दर्शाया गया है कि याचिका की भाषा क्या हो। फिर हाई कोर्ट के नियम आदेशात्मक नहीं हो सकते, निर्देशात्मक जरूर हो सकते हैं।

साथ ही सक्सेना ने यह भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 225 में लिखा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व जो भी हाई कोर्ट के जजों के अधिकार थे (जिसके तहत नियम बनाना भी आता है) ये वैसे ही रहेंगे, जैसे संविधान के पूर्व थे। परन्तु नियमों में ऐसा कथन कहीं नहीं कि उनका उल्लंघन किया गया तो परिणाम क्या होगा। और ऐसा नियम जिसका परिणाम उसका पालन न करने की दशा में दर्शाया गया हो निश्चित ही आदेशात्मक नहीं हो सकता।

सक्सेना की दलील थी कि जो याचिका हिन्दी में प्रस्तुत की गई थी, उसका जबाव अंग्रेजी में दिया गया है। इसका मतलब याचिका की भाषा समझ में आ गई। फिर संविधान के अनुच्छेद 343 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि भारतीय संघ-राज्य की भाषा हिन्दी होगी। ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस संघ राज्य में स्थित उच्च न्यायालय किसी अन्य भाषा को कार्यालयीन भाषा बनाना चाहते हैं। साथ ही याचिका दायर करने के पूर्व फरवरी 1985 में ही एक अधिसूचना जारी कर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यालयीन भाषा हिन्दी करना बताया गया था। अतः आपत्ति प्रभावहीन हो जाती है।

सक्सेना ने एक मुद्दा और उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव याचिकाएं और शपथ-पत्र खुद उम्मीदवार को तैयार करना होता है। चूंकि घनश्याम चौहान अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ हैं, इसलिए उसने हिन्दी में याचिका प्रस्तुत की जो नियमतः स्वीकार योग्य है।

न्यायमूर्ति के. एल. श्रीवास्तव ने 11 अप्रैल को इस आपत्ति पर फैसला सुनाया। उन्होंने सुरेश नारायण सक्सेना की दलीलों से सहमत होते हुए फैसला दिया—"भाषा तो वह गाड़ी है, जिस पर विचार सवारी करते हैं। निश्चय ही ऐसा कोई नियम आदेशात्मक नहीं हो सकता। अतः आपत्ति निरस्त की जाती है।"

इस तरह से म.प्र. उच्च न्यायालय में कामकाज की भाषा के रूप में हिन्दी को बाकायदा मान्यता मिल गई। किन्तु एक बात जरूर अखरने वाली रही। हिन्दी के पक्ष में दिए गए फैसले की भाषा अंग्रेजी थी।

**नव भारत टाइम्स के 30-4-86 के अंक से साभार**

## 11. विधायी विभाग द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन

भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, (विधि साहित्य प्रकाशन) की ओर से 10 मार्च को भरतपुर (राजस्थान) में, 12 और 13 मार्च को झांसी (उत्तर प्रदेश) में, तथा 15 और 17 मार्च, 1986 को छत्तरपुर (मध्य प्रदेश) में संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इन सभी स्थानों पर मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधि पुस्तकों, विधि पत्रिकाओं तथा केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी संस्करणों की बिक्री की भी समुचित व्यवस्था की गई। संगोष्ठियों में दो विषयों पर विचार किया गया। विधि महाविद्यालय परिसर में आयोजित संगोष्ठी का विषय था "विधि शिक्षा माध्यम हिन्दी-हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखाने में अध्यापकों का सहयोग"। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित संगोष्ठी का विषय था "न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की समस्याएं और उनका समाधान"।

### भरतपुर (10 मार्च, 1986)

भरतपुर में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वहां के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्री गौरीशंकर सर्राफ ने की और मुख्य अतिथि का पद भरतपुर की कलक्टर श्रीमती हूजा ने ग्रहण किया। श्री चन्द्रशेखर गोयल, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, विशेष अतिथि थे।

संगोष्ठी में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए :

**श्रीमती मीनाक्षी हूजा, कलक्टर, भरतपुर**— आजकल हिन्दी का विस्तार हो तो रहा है लेकिन अंग्रेजी का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है। अंग्रेजी का जाना अभी सम्भव नहीं है। अंग्रेजी

में मौलिक पुस्तकें अधिक हैं। न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग का प्रश्न हिन्दी के सामान्य प्रयोग से जुड़ा हुआ है। हमें सरकारी तंत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विद्वान अधिवक्ताओं को स्वयं यह फैसला कर लेना चाहिए कि वे स्वयं कोई पुस्तक किसी भी विषय पर हिन्दी में बहुत अच्छी लिखेंगे। तभी हिन्दी पुस्तक लेखन आगे बढ़ेगा।

**श्री गौरी शंकर सर्राफ, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश :** यदि हिन्दी की पुस्तकों का स्तर अंग्रेजी जैसा नहीं है तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। हिन्दी पुस्तकों में विचार मौलिक होना कठिन है, अधिकतर वे अंग्रेजी पुस्तकों से ग्रहण कर लिए जाते हैं।

**श्री चन्द्र शेखर गोयल, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, भरतपुर :** हम मानसिक रूप से अपने को न्यायालयों तक ही सीमित नहीं रख सकते। हिन्दी सभी क्षेत्रों में आनी चाहिए।

**श्री गुलराज जी गोपाल, अधिवक्ता, भरतपुर :** संविधान में जब तक यह व्यवस्था रहेगी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय अंग्रेजी में देने होंगे तब तक अंग्रेजी का बोल बाला रहेगा। संविधान में संशोधन किया जाए और उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की भाषा हिन्दी कर दी जाए। इस समय प्रयुक्त भाषा कठिन है। पत्रिकाओं में अनुवाद की हिन्दी है आम बोलचाल की हिन्दी नहीं है। हिन्दी में अच्छी विधि पुस्तकें नहीं हैं।

**श्री के० सी० शर्मा, अधिवक्ता, भरतपुर :** बोलचाल की भाषा में पुस्तक तैयार नहीं की जा सकती। विधि साहित्य प्रकाशन तथा राजभाषा खण्ड का कार्य सराहनीय है। अधिवक्ताओं तथा विधि के विद्यार्थियों को हिन्दी सीखनी पड़ेगी और तभी भाषा सरल लगेगी। न्यायाधीशों के लिए हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता होनी चाहिए। यदि वे हिन्दी जानेंगे तो वकील स्वयं हिन्दी में बोलेंगे। पुस्तकें शीघ्र मुद्रित होनी चाहिएं।

**श्री सत्येन्द्र नाथ गुप्त, अधिवक्ता :** प्रकाशनों का मुद्रण देर से हो रहा है। निर्णय तुरन्त छपने चाहिए।

**श्री लक्ष्मण प्रसाद मित्तल, अधिवक्ता, भरतपुर :** संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है तो अन्य न्यायालयों की भाषा हिन्दी कैसे हो सकती है। जब तक उच्चतम न्यायालय की भाषा हिन्दी नहीं होगी तब तक हिन्दी का अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। पत्रिकाओं का उद्धृत किया जाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। प्रकाशनों का अनुवाद कठिन होता है। हिन्दी को व्यावहारिक बनाएं।

**श्री सतीश कुमार जी शर्मा, अधिवक्ता :** आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करें।

**श्री कुशल सिंह, अधिवक्ता :** इन प्रकाशनों से संबंधित विज्ञापनों के नाम पर कुछ भी नहीं है। एजेन्ट पैसा मार जाते हैं। दिल्ली में लिखने पर पुस्तक नहीं मिलती है।

**झांसी**

झांसी में 12 और 13 मार्च, 1986 को दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। 12 मार्च, 1986 को संगोष्ठी का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश महोदय की अनुपस्थिति में श्री सत्य नारायण, विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया गया। डा० मोती बाबू, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, विधि मंत्रालय तथा श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ल, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। संगोष्ठी का विषय था "न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की समस्याएं और उनका समाधान" संगोष्ठी में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए :

**श्री सत्य नारायण, विशेष न्यायाधीश, झांसी :** हमें अंग्रेजी का मोह छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। हमें हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए।

**डा० मोती बाबू, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, विधि एवं न्याय मंत्रालय एवं भूतपूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश :** हिन्दी के प्रति हमारा दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हमें अपनी मातृभाषा के लिए क्या करना है। कोई भी भाषा प्रयोग से सम्पन्न होती है और उतनी ही वह सरल लगती है। अंग्रेजी भाषा में केवल 15 प्रतिशत शब्द ही उनके अपने हैं, 85 प्रतिशत शब्द अन्य भाषाओं के हैं। इसका कारण यह है कि अंग्रेजी के पीछे कोई समृद्ध भाषा नहीं थी। सौभाग्य से हिन्दी के पीछे संस्कृत एक समृद्ध भाषा है तथा उससे शब्द ग्रहण किए जा सकते हैं।

**श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ल, अध्यक्ष बार एसोसिएशन, झांसी :** जिन लोगों ने अंग्रेजी के माध्यम से विधि की शिक्षा ग्रहण की है उन्हें कुछ कठिनाइयां हैं। वे वर्तमान अनुवाद को भली प्रकार नहीं समझ पाते हैं : चुने गए निर्णय जिला न्यायालयों के लिए उपयोगी होने चाहिए। ऐसे ही निर्णय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाएं। पत्रिकाओं का आकार बहुत छोटा है। इसका आकार ए० आई० आर० की भांति होना चाहिए। महत्वपूर्ण अधिनियम जिनका वकील अधिक प्रयोग करते हैं, उपलब्ध नहीं हैं उन्हें अविलम्ब प्रकाशित किया जाए। निर्णयसार (डाइजेस्ट) अन्य प्रकाशनों यथा ए०आई०आर०, एस०सी०सी० आदि का भी तैयार किया जाना चाहिए। पुस्तकों के संबंध में ख्याति प्राप्त ज्यूरिस्ट द्वारा लिखी गई पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।

**श्री हरनारायण शर्मा, अधिवक्ता, झांसी :** यदि हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रयत्न नहीं करेंगे तो उसका प्रयोग नहीं बढ़ेगा। अनुवादों में इतनी क्लिष्ठता है कि हमें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। हम जब हिन्दी में बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि पीठासीन अधिकारी प्रभावित नहीं हो रहे हैं लेकिन जैसे ही हम अंग्रेजी में बोलना

शुरु करते हैं तो वे तुरन्त प्रभावित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियमों के साथ तत्संबंधी नियमों को भी प्रकाशित किया जाना चाहिए।

**श्री नरोत्तम स्वामी, अधिवक्ता :** अनुवाद में मुल भावना नहीं आ सकती। अतः अन्य भाषाओं के शब्दों से हिन्दी को समृद्ध बनाएं। भाषा को सरल बनाएं।

**श्री यशवन्त सिंह, सिविल न्यायाधीश :** जब से मैं न्यायिक सेवा में आया हुं मैं हिन्दी में निर्णय लिख रहा हुं और मुझे कोई कठिनाई नहीं आई है। यही भाषा समूचे राष्ट्र को एकसूत्र में बांध सकती है। हिन्दी भाषा में शब्दों की कोई कमी नहीं है।

**श्री भगवत नारायण शुक्ल, अधिवक्ता तथा प्रवक्ता, विधि महाविद्यालय :** शब्दों की एकरूपता बनाने के लिए हमें अपनी सुगमता को भूलना पड़ेगा। जैसे कि वैज्ञानिक शब्द अन्तर राष्ट्रीय प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं वैसे ही विधि में हिन्दी पर्याप्त समूचे राष्ट्र के लिए होने चाहिए। राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली से हिन्दी भाषा के प्रयोग में एकरुपता आएगी। अनुवाद की प्रक्रिया अभी काफी समय तक चलेगी। हिन्दी में विधि पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। यह अभाव दूर किया जाना चाहिए।

**श्री जुगल किशोर वर्मा, अधिवक्ता :** झांसी में 99 प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। इसका श्रेय इस कारण है कि अंग्रेजी स्वयं धीरे-धीरे विदा हो रही है। हिन्दी को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संविधान में संशोधन चाहिए। पहले इस बात का संकल्प कीजिए कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना है, केवल तभी यह आ सकती है।

बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झांसी में एक संगोष्ठी 13 मार्च, 1986 को उस महाविद्यालय के विधि विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई। संगोष्ठी का विषय था "विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी--हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने में अध्यापकों का सहयोग"। झांसी मण्डल के आयुक्त (कमिश्नर), डा० इन्दू प्रकाश ऐरन, आई०ए०एस० ने इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि का पद ग्रहण किया। झांसी के जिला न्यायाधीश, श्री के० के० श्रीवास्तव, हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य, डा० मोती बाबू ने संगोष्ठी में विशेष अतिथि का पद ग्रहण किया। संगोष्ठी में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए।

**डा० इन्दू प्रकाश एरन, आई० ए० एस० आयुक्त, झांसी मण्डल** हमें हर क्षेत्र में हिन्दी को आगे ले जाना चाहिए। इसके लिए हमें स्पष्ट रण नीति बना लेनी चाहिए। हमारे अन्दर पक्का इरादा होना चाहिए। शायद अभी रण नीति स्पष्ट नहीं हो पाई है। विधि मंत्रालय का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। आज 40 वर्ष हो गए हैं। इजराईल ने यह कार्य 6-7 वर्ष में पूरा कर दिया था। यह कहना सही नही है कि हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र अंग्रेजी में पिछड़ जाते हैं। मैं बनारस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और उस समय हिन्दी का ही प्रयोग होता था और मैं हिन्दी में पढ़ा लेकिन मैंने अपने बैच में आई०ए०एस० में अंग्रेजी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। हिन्दी के छात्रों को मुफ्त या कम दामों पर पुस्तकें दी जानी चाहिएं।

**श्री के० के० श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश, झांसी :** यदि हिन्दी में इस समय अंग्रेजी के समान बड़ी-बड़ी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो प्रवक्तागण मंत्रालय द्वारा किए गए अधिनियमों के अनुवाद की सहायता से छात्रों को पढ़ा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सब ओपनहाय्म को ही पढ़ें,। जब वे और जिन्होंने अंग्रेजी से शिक्षा ग्रहण की, हिन्दी में निर्णय दे सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हिन्दी माध्यम से पढ़ा अंग्रेजी में कार्य न कर सके। जहां चाह वहां राह होती है। हमारे विधि मंत्रालय का यह सराहनीय प्रयास है।

**डा० मोती बाबू, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति, विधि और न्याय मंत्रालय :** हिन्दी हमारी मातृभाषा है और जन भाषा है। अतः इसके लिए प्रयत्न जनता की ओर से होना चाहिए, शासन की ओर देखना ठीक नहीं। हिन्दी वालों के लिए सामग्री कम सुलभ है। हिन्दी भाषा से पढ़ने वाला फायदे में नहीं रहता है। प्रथम वरीयता अंग्रेजी को दी जाती है। हिन्दी भाषी क्षेत्र में धीरे-धीरे अंग्रेजी के विकल्प को समाप्त किया जाए। प्रवेश परीक्षाओं में एकमात्र माध्यम हिन्दी होना चाहिए।

**श्री बी० एन० शुक्ल, प्राचार्य, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झांसी :** विधि मंत्रालय ने मानक शब्दावली तैयार करके एक कमी पूरी की है इससे एकरूपता आ गई है।

**श्री ब्रम्हा निगम, प्रबन्ध मंत्री, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झांसी :** हिन्दी माध्यम से छात्रों को पढ़ने से समस्या यह उत्पन्न होती है कि वे उच्चतम न्यायालय में काम करने में अक्षम रहेंगे। विधि शिक्षा के लिए 5 वर्ष के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी की जड़ें पक्की हो जाएंगी। पुराने सभी अच्छे निर्णय अनुदित किए जाने चाहिए। एल-एल० एम० के स्तर की हिन्दी पुस्तकों का अभाव है अतः हमें गम्भीर रूप से इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि हम अपने महाविद्यालय में एल-एल० एम० के लिए हिन्दी माध्यम रखें या नहीं। फोरेन्सिक साईंसेस पर पुस्तकें हिन्दी में होनी चाहिए। विधि महाविद्यालयों को पुस्तकों पर विशेष रियायत दें।

**श्री यशपाल सिंह, विधि विद्यार्थी, प्रथम वर्ष :** आज का विधि विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से पढ़ने से कतराता है क्योंकि वह उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। अतः कुछ बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए।

**श्री एम० पी० गुप्ता, प्राचार्य, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झांसी :** विधि मंत्रालय ने सराहनीय कार्य किया है। हिन्दी पढ़ा छात्र उच्चतम न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेगा। अभी हाल ही में पास किए गए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

अधिनियम के अन्तर्गत यह उपबंध है कि आवेदन आदि केवल अंग्रेजी में ही दिए जा सकेंगे। ऐसा उपबंध हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थापित अधिकरणों के लिए किया गया है। इससे हिन्दी में पढ़े छात्र इन अधिकरणों के समक्ष भी वकालत नहीं कर पाएंगे।

**छत्तरपुर (म० प्र०)**

छत्तरपुर में 15 और 17 मार्च, 1986 को दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। प्रथम संगोष्ठी का आयोजन मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय में वहां के वरिष्ठ प्राध्यापक, श्री माधव प्रसाद जी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया। संगोष्ठी का विषय था "विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी--हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखाने में अध्यापकों का सहयोग"। संगोष्ठी में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए।

**श्री माधव प्रसाद जी श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्राध्यापक :** ऐसी भाषा में विधि का अनुवाद किया जाए जो जनसाधारण पढ़ सके। हिन्दी अन्तरराष्ट्रीय भाषा का स्थान भी ग्रहण कर सकती है। शब्दों का अर्थ युग के साथ और समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। शब्दों का अर्थ प्रयोग से स्पष्ट होता है। एकरूपता लाने के दो प्रयास हो सकते है। एक तो लोगों को मनाने से और दूसरा आदेश जारी करके। लोगो को प्रभावित करके तथा मनवा कर विधि मंत्रालय ठीक ही कार्य कर रहा है। विधि साहित्य प्रकाशन की पुस्तकें अच्छी है। मैंने पढ़ी है और उनकी भाषा सरल तथा बोधगम्य है। विषय का प्रतिपादन बहुत सुन्दर है। सम्भवता सप्लाई विभाग कुछ कमजोर है। वे पुस्तकें जो उपलब्ध नहीं हैं उन्हें तुरन्त छापा जाए अन्यथा उसकी मान्यता में अन्तर आ जाता है और जितनी मान्यता उन्हें आज प्राप्त है वह नहीं रहती है।

**श्री विष्णु प्रसाद जी श्रीवास्तव, अध्यक्ष, शिक्षा प्रसार समिति :** राष्ट्रभाषा, धर्म और संविधान—इन तीनों पर किसी देश का अस्तित्व निर्भर करता है। विधि साहित्य प्रकाशन का कार्य सराहनीय है लेकिन यह कार्य मन्थर गति से हुआ है। यह बहुत दुख की बात है कि पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार की पात्रता बहुत कम लोगों को मिल पाई है। विधि के क्षेत्र में हिन्दी की पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है। विधि मंत्रालय समय-समय पर छोटे-छोटे रिफ्रेशर कोर्स हिन्दी के प्रयोग के लिए करे।

**श्री जगदीश प्रसाद खरे, प्रवक्ता :** हिन्दी में जितनी भी प्रचलित पुस्तकें हैं उनमें पूर्णतः विधि शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे छात्रों में भ्रांति आती है। पुस्तक में अंग्रेजी का पाठ एक ओर और हिन्दी का पाठ दूसरी ओर तथा बाद में उसकी व्याख्या (कमेंटरी) होनी चाहिए। प्रकाशकों को निदेश दिया जाए कि वे विधि मंत्रालय की विधि शब्दावली का ही प्रयोग करें जिससे एकरूपता पैदा हो और भ्रांति न हो। विद्यार्थियों के उपयोग की पुस्तकें प्रकाशित नहीं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के अधिनियमों के प्रकाशन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

**श्री आत्माराम जी पराडकर, भूतपूर्व प्रवक्ता :** हिन्दी की पुस्तकों में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए। राज्य के कानूनों की तरफ भी ध्यान अवश्य जाना चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सामान्य हिन्दी ज्ञाता समझ सके और अंग्रेजी ज्ञाता भी समझ सके। विधि मंत्रालय द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, यह प्रशंसनीय कार्य है।

**श्री राकेश शुक्ल, प्राध्यापक :** विधि मंत्रालय के प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। छत्तरपुर के इस महाविद्यालय में हिन्दी का प्रयोग खूब हो रहा है। केन्द्र सरकार, राज्य के अधिनियम भी छापे।

**श्री उमराव सिंह, अधिवक्ता :** इसमें संदेह नहीं कि इस दिशा में अच्छा कार्य हो रहा है। जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाए जो इसमें योगदान कर सके। और यह समिति हिन्दी का विरोध करने वालों से निपट सके। इस समिति को देश की एकता और अखण्डता के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसी समितियों से हमारे कार्य को और तेजी और सफलता मिलेगी। प्रान्तीय स्तर की पुस्तकों का कार्य राज्य सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

**श्री चन्द्रभान जैन, अधिवक्ता :** यह कहना गलत है कि अंग्रेजी में जो अभिव्यक्ति है वह हिन्दी में नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि हिन्दी पुस्तकों में कोई दोष नहीं है, दोष हमारे ज्ञान में है। हिन्दी विधि पुस्तकों में पहले सर्वमान्य शब्द अर्थात् विधि शब्दावली का शब्द रखा जाए और फिर ब्रैकट में यदि कोई प्रान्तीय शब्द हो तो वह बोधगम्यता की दृष्टि से रखा जाए।

17 मार्च, 1986 को छत्तरपुर जिला न्यायालय में एक संगोष्ठी जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री एम० एस० कुरेशी की अध्यक्षता में हुई। संगोष्ठी का विषय था "न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग की समस्याएं और उनका समाधान"। संगोष्ठी में निम्नलिखित विचार प्रकट किए गए :

**श्री एम० एस० कुरेशी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, छत्तरपुर :** हिन्दी भाषा जितनी अच्छी और सही विदेशी बोलता है उतनी हिन्दी भाषी नहीं बोल पाता। इसका कारण यह है कि वह उसे मन लगाकर पढ़ता है, उसका गहन अध्ययन करता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है और न ही मैंने हिन्दी को पढ़ा, लेकिन मैंने इसका गहन अध्ययन किया और आज मेरे सभी हिन्दी के निर्णयों से सर्वविदित है कि मैं सही हिन्दी का अपने निर्णयों में प्रयोग करता हूं। मानक विधि शब्दावली का मैं धार्मिक श्रद्धा के साथ प्रयोग करता हूं और मैं शब्दावली को सुगम और सुबोध पाता हूं। विधि मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य से हमें अपने कार्य में बहुत आसानी हो गई है। उन्होंने अनेक उदाहरण दिए और आग्रह किया कि केवल विधि शब्दावली में दिए गए शब्दों का ही प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि पत्रिकाओं में विलम्ब से निर्णय प्रकाशित हो रहा है अतः कुछ निर्णय-सार जैसी पुस्तिका निकाल

दें। उन्होंने कहा कि प्रकाशन उपलब्ध नहीं होते हैं अत: विक्रम संबंधी उपक्रम की ओर ध्यान दें। नजीरों का त्वरित प्रकाशन होना चाहिए। इस संगोष्ठी का आयोजन सराहनीय प्रयास है। ऐसे प्रयास तथा आयोजन और होने चाहिएं।

**श्री देव शर्मा, अधिवक्ता :** विधि साहित्य प्रकाशन का यह आयोजन सराहनीय प्रयास है। विधि मंत्रालय के प्रकाशनों से न्यायालय के कार्य में सहायता मिलेगी।

**श्री वी० जी० चतुर्वेदी, अधिवक्ता :** प्रकाशनों की भाषा वह होनी चाहिए जो हमें समझने-समझाने में स्वीकार्य हो। मंत्रालय का कार्य पर्याप्त नहीं है, मन्थर गति से हो रहा है। कुछ अंग्रेजी शब्द से अधिक कठिन हैं जैसे "अधिकारपृच्छा", "उत्प्रेषण", "प्रतिप्रेषण" आदि। विद्वानों क तलाश करें और अच्छे शब्द बनवाएं।

**श्री राम प्रसाद मिश्र, अधिवक्ता :** हिन्दी की समस्या कागजों में चल रही है। हिन्दी प्रारम्भिक अवस्था से ही पढ़ाई जानी चाहिए। हिन्दी शब्दों के हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, अंग्रेजी के शब्द फिर भी समझ में आ जाते हैं। आम शब्दों का प्रयोग किया जाए। विधि शब्दावली कठिन और जटिल है। यह शब्दावली न तो साहित्यिक है और न ही बोलचाल की भाषा। इससे हिन्दी के प्रयोग का समाधान नहीं होगा।

**श्री पी० एन० सिंह, विशेष न्यायाधीश, छत्तरपुर :** हिन्दी, अंग्रेजी का कोई झगड़ा नहीं है। इसके लिए प्रयत्न नहीं किया गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन हिन्दी में हों।

**श्री दशरथ जैन, भूतपूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन तथा सदस्य, राज्य विधि आयोग :** जहां चाह होती है वहां राह होती है। क्या हम वास्तव में हिन्दी को चाहते हैं। अंग्रेजी का इस समय अधिक महत्व है। कान्वेंट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। हम आई०ए०एस०, आई० पी० एस० में अपने बच्चों को लाना चाहते हैं। हमारे मन में वह स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं है जो पहले था। हमारे अन्दर प्रथमत: दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संविधान का प्राधिकृत अनुवाद आज तक क्यों नहीं आ सका है। हिन्दी बोल लेना एक बात है, वह मातृभाषा होना दूसरी बात है किन्तु कानून की भाषा एक अन्य बात है। हिन्दी पढ़े लिखे व्यक्ति को कानून की भाषा सीखनी होगी। जिस हिन्दी का प्रयोग हम अपने हंसी मजाक और शादी, विवाह में करते हैं वह कानून में काम नहीं आने वाली। हिन्दी को सीखना पड़ेगा, हिन्दी के लिए त्याग करना पड़ेगा। हिन्दी धीरे-धीरे बढ़ेगी, इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। विधि मंत्रालय ने अच्छा और सराहनीय काम किया है, इनके प्रकाशन बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं लेकिन कभी-कभी सस्ती वस्तु भी मुश्किल से बिकती है। आलोचना करके हिन्दी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

**श्री पी० सी० अग्रवाल, अपर जिला न्यायाधीश :** हमने हिन्दी को अभी ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं है। हमें हिन्दी भाषा को सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें संकल्प करना पड़ेगा कि हम हिन्दी में काम मन से करें। हिन्दी में काम करने वालों को न्यायाधीशों द्वारा नीचा नहीं समझा जाता है।

**श्री प्रेम सुख शुक्ल, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन :** उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए। विधि शब्दावली हमारे सामने बहुत विलम्ब से आई है। अब इसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जाएगा। प्रकाशन जल्दी उपलब्ध किए जाने चाहिएं। ऐसी संगोष्ठी होती रहनी चाहिए।

झांसी तथा छत्तरपुर में आयोजित संगोष्ठियों में श्री जगत नारायण, प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन ने विधि के क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला और श्री सुरेश चन्द्र माथुर, सहायक संपादक ने आभार प्रकट किया। भरतपुर में आयोजित संगोष्ठी में श्री सुरेश चन्द्र माथुर, सहायक संपादक ने सम्पूर्ण संगोष्ठी का कार्य संचालन किया।

**सुरेशचन्द्र माथुर**
—सहायक सम्पादक, विधि
एवं न्याय मंत्रालय,
भारत सरकार

---

"देश की प्रतिष्ठा इसमें है कि उसकी अपनी भाषा हो और
वह हिन्दी से बढ़कर कोई और नहीं हो सकती।"

—कापू ब्रह्मानन्द रेग्मी

# आदेश-अनुदेश

## 1. इस्पात और खान मंत्री की अपील

नई दिल्ली
अप्रैल 7, 1986

अपील

संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमें संविधान के उपबन्धों में निहित भावना के अनुरूप और राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए राजभाषा नियम, 1976 में की गई व्यवस्था के अनुसरण में संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाना होगा। मंत्रालय तथा इसके अधीन उपक्रमों के सभी कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किये जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम का पूरी निष्ठा और वफादारी से पालन करें। यद्यपि मेरे मंत्रालय में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत प्रतिशत पालन किया जाता है तथापि मूल-पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब यदि उच्च आधिकारी अपना काम हिन्दी में करना शुरू कर दें तो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बिना किसी संकोच के अपना काम हिन्दी में करने लगेंगे। इससे न केवल हिन्दी का हित होगा बल्कि हमारा राष्ट्र सम्मान भी बढ़ेगा। इस्पात और खान मंत्रालय तथा इसके अधीन कार्यालयों/उपक्रमों के उच्च अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

—कृष्ण चन्द्र पन्त

## 2. उपसचिव (मुख्यमंत्री) हिमाचल प्रदेश का पत्र

मुख्य मंत्री कार्यालय
"हिमाचल प्रदेश"

जैसा कि सभी को विदित है हिमाचल प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है। इसलिए मुख्य मन्त्री महोदय ने आदेश दिये हैं कि आज दिनांक 30-9-85 से कोई भी फाइल/टिप्पणी उन्हें अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत नहीं की जाए। उनके आदेशानुसार आजसे सभी फाइलें उन्हें हिन्दी में प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक सम्भव हो, टिप्पणियां सरल हिन्दी भाषा में लिखी जाएं। यदि कोई फाइल अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाएगी तो उस पर किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किए जायेंगे। और उस फाइल को वापिस भेज दिया जाएगा।

यह आदेश तत्काल लागू होगा।

हस्ता०/-
उप-सचिव, (मुख्य मंत्री)
हिमाचल प्रदेश।

अ० स० क्रमांक : सचिव/मु०मं०-38/85(बी) दिनांक 30-9-85.

प्रतिलिपि तुरंत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सभी निज. सचिव, मुख्य मंत्री/राज्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

## 3. हिमाचल प्रदेश (भाषा एवं संस्कृति विभाग) का प्रशासन में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग संबंधी परिपत्र

भाषा एवं संस्कृति विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 001
संख्या : भाषा नं.-3/85-हिन्दी

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश
2. सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश।

दिनांक 30-9-85 शिमला-1

विषय : **प्रशासन में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग।**

महोदय,

मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 30-9-1985 को सभी सचिवों की एक बैठक हुई जिसमें मुख्य मंत्री महोदय ने यह आदेश दिये कि दिनांक 30-9-1985 के पश्चात् फाइल में टिप्पणी अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उनके अनुसार तत्काल हिन्दी भाषा का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाये।

मुख्य मंत्री जी के उप सचिव द्वारा जारी किये गये नोट संख्या अ०स० क्रमांक सचिव/म०-85-बी दिनांक 30-9-85 की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है । यह नोट उन्होंने मुख्य सचिव तथा समस्त सचिवों को भेजा है ।

भाषा एवं संस्कृति विभाग ने एक प्रशासनिक शब्द संग्रह निकाला है जिसकी प्रति भी आपको भेजी जा रही है । आप से यह भी निवेदन है कि आप अपने विभाग के सहायकों की संख्या बतायें ताकि हम निश्चित प्रतियां का शब्द-संग्रह की भिजवा सकें ।

आशा है कि कार्यालय में हिन्दी में काम करने में यह शब्द संग्रह उपयोगी सिद्ध होगा ।

यदि आपको इन शब्दों के अतिरिक्त किसी शब्द का हिन्दी अनुवाद चाहिये तो कृपया दूरभाषा संख्या 2651 पर सहायक निदेशक भाषा एवं संस्कृति से पूछा जा सकता है ।

भवदीय,

हस्ता०/–

**––श्रीनिवास जोशी**

निदेशक भाषा एवं संस्कृति,
हिमाचल प्रदेश

**4. भाषा एवं संस्कृति विभाग**
**हिमाचल प्रदेश––शिमला-1**

सेवा में,

1. श्रमायुक्त, हि० प्र० सरकार
2. अबकारी एवं कराधान आयुक्त, हि० प्र० सरकार,

शिमला-171 001 दिनांक : मार्च, 1986

विषय : **सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के नाम पट्टों पर हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए निवेदन ।**

महोदय,

केन्द्रीय सचिवालय की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को सम्बोधित उपरोक्त विषयक पत्र सं० 410-20/रा०भा० दिनांक 8-2-86 के संदर्भ में ।

आपको विदित है कि सभी कार्यालयों/निगमों तथा बोर्ड आदि में हिन्दी के प्रयोग गम्भीरता से किया जा रहा है । किन्तु गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में नामपट्ट आदि पर हिन्दी का प्रयोग होना राष्ट्रभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के संदर्भ में आवश्यक है । आपके विभाग के साथ गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध रहता है । अत: आपसे अनुरोध है कि आप गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों को प्रेरित करें कि वे अपने नाम पट्टों अथवा बोर्ड आदि पर हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें । जिससे राष्ट्रभाषा को सम्मान दिया जा सके ।

कृपया उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि सूचना सरकार को भिजवाई जा सके ।

भवदीय,

निदेशक, भाषा एवं संस्कृति
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

## 5. राजभाषा विभाग के दिनांक 28-4-86 के का० ज्ञा० सं० 12013/1/85 रा० भा० (ख-1) की प्रतिलिपि

विषय : **विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए शील्ड देने की व्यवस्था (वर्ष 1985-86).**

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के 6-2-79 के का० ज्ञा० सं० 11/12013/2/76-रा०भा० (क-2) के पैरा-11 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह कहा गया था कि राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों से निर्धारित मानदंडों के आधार पर जानकारी प्राप्त करेगा और जिस मंत्रालय/विभाग को वर्ष के दौरान हिन्दी में किये गये काम के आधार पर सर्वाधिक अंक मिलेंगे, उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में भारत सरकार राजभाषा शील्ड दी जाएगी । उक्त शील्ड के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय/तृतीय पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई हैं ।

2. राजभाषा शील्ड पुरस्कारों का निर्णय लेने के लिए पिछले मानदंडों में कुछ संशोधन किया गया है । अब निर्धारित मानदंड इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1. हिन्दी पत्रों के उत्तर . | 10 अंक |
| 2. मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग (अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी मूल पत्राचार में शामिल होंगे) | 25 अंक |
| 3. राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) की धारा 3(3) के अन्तर्गत द्विभाषिक कागजात . . | 10 अंक |
| 4. राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत कार्यालयों का अधिसूचित किया जाना . | 10 अंक |
| 5. अधिसूचित कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करना . | 20 अंक |
| 6. प्रशिक्षित (कर्मचारी) एवं आशुलिपिक | 5 अंक |
| 7. कार्यशालाओं का संचालन . . | 10 अंक |
| 8. मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों का निरीक्षण (संख्या के आधार पर) . . . . | 10 अंक |
| कुल अंक | 100 |

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना के अन्तर्गत प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए वर्ष 1985–86 के आंकड़े संलग्न प्रपत्र में 30-5-86 तक अवश्य भेज दें जिससे वर्ष 1985-86 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके। विवरण भेजते समय यह भी सुनिश्चित कर लें कि हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के भेजे गये नामों में हिन्दी अधिकारी/अनुवादक के नाम नहीं होने चाहिए। और केवल दो ही व्यक्तियों के नाम भेजे जाने चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना मंत्रालयों/विभागों के लिए है। कृपया संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय अपने सूचना राजभाषा विभाग को न भेजें।

**राजभाषा शील्ड योजना वर्ष 1985-86 में भाग लेने के लिए हिन्दी में किये गये कार्य का विवरण/अवधि 1-4-85 से 31-3-86 तक।**

मंत्रालय/विभाग का नाम :

**1. हिन्दी पत्रों के उत्तर :**

| हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या | कितनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया | कितनों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया | कितनों का उत्तर देना आवश्यक नहीं था |
|---|---|---|---|
| | | | |

**2. मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग :**

(अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी मूल पत्राचार में शामिल होंगे)

| कुल भेजे गये पत्रों की संख्या | | हिन्दी में भेजे गये पत्रों की संख्या | | अंग्रेजी में भेजे गये पत्रों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-84 से 31-3-86 तक | 1-4-85 से 31-3- 6 तक | 1-4-84 से 31-3-85 तक | 1-4-85 से 31-3-86 तक | 1-4-84 से 31-3-85 तक | 1-4-85 से 31-3-86 तक |
| | | | | | |

**3. कार्यशालाओं का संचालन :**

| वर्ष में कुल कितनी कार्यशालायें चलाई गयी | कार्यशाला का समय (कुल घंटे) | कितनों ने कार्यशालाओं में भाग लिया |
|---|---|---|
| | | |

**4. राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत कार्यालयों का अधिसूचित किया जाना।**

| कुल सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या | अभी तक कितनों को अधिसूचित किया गया | वर्ष में कितने कार्यालयों को अधिसूचित किया गया |
|---|---|---|
| | | |

5. अधिसूचित कार्यालयों में कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करना।

| अधिसूचित कार्यालयों की संख्या | कितने कार्यालयों को नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है। |
|---|---|
| | |

6. प्रशिक्षण :

| | हिन्दी की पढाई के लिए | टाइपिस्ट | आशुलिपिक |
|---|---|---|---|
| (क) कुल कर्मचारियों की संख्या | | | |
| (ख) प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या | | | |
| (ग) वर्ष में कितनों को प्रशिक्षित किया गया | | | |

7. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी द्विभाषी कागज :

| कुल जारी किये गये कागज | द्विभाषी रूप में जारी | केवल अंग्रेजी में जारी | केवल हिन्दी में जारी |
|---|---|---|---|
| | | | |

8. मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों का निरीक्षण :

| कुल कार्यालयों/अनुभागों की संख्या | वर्ष के दौरान कितने कार्यालयों का हिन्दी की प्रगति के बारे में निरीक्षण किया गया |
|---|---|
| | |

9. वर्ष के दौरान हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले दो अधिकारियों के नाम तथा पदनाम (हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों को छोड़कर)

10. अप्रैल, 85 से मार्च 86 तक की अवधि में कार्यरत संबंधित संयुक्त सचिव का नाम तथा वर्तमान पता।

राजभाषा अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम, फोन नं०


GIPN—S7—110 M of HA/ND/86—29-9-86—7,000

## वार्षिक कार्यक्रम 1986-87 के लिए निर्धारित हिन्दी में पत्राचार का लक्ष्य

**'क' क्षेत्र अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय :—**

(क) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र।* . . . . . 80 प्रतिशत

(जिन कार्यालयों ने यह लक्ष्य पूरा कर लिया है वे शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें)

(ख) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र। . . . . 66.5 प्रतिशत

नियम 4(ख)

(ग) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र। . . . 10 प्रतिशत

(हिन्दी पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न किया जाए)

नियम 4(घ)

(घ) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क' या 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों या किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र। . . 100 प्रतिशत

(यदि अपवाद स्वरूप कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद साथ में भेजा जाए।)

**"ख" क्षेत्र अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्यों और चंडीगढ़ तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय :—**

(क) 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र . . . . . 50 प्रतिशत

(ख) 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र . . . . . 10 प्रतिशत

(हिन्दी पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न किया जाए)

(ग) 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क' या 'ख' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों अथवा व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र . . 40 प्रतिशत

**"ग" क्षेत्र अर्थात् 'क' और 'ख' क्षेत्रों में शामिल न किए गये सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय :—**

(क) 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों या व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र . . . . . 10 प्रतिशत

**'क', 'ख' तथा 'ग' तीनों क्षेत्रों के लिए :—**

(क) हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं।

(ख) हिंदी में लिखे या हस्ताक्षर किए गए सभी आवेदनों, अपीलों या अभिवेदनों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं।

**राजभाषा भारती में प्रकाशन के लिए रचना भेजते समय कृपया ध्यान दें :—**

- राजभाषा भारती में केवल राजभाषा हिन्दी से सम्बधित सामग्री स्वीकार की जाती है। इसमें कविताएँ, कहानी नाटकादि नहीं छापे जाते।
- रचनाएँ दो प्रतियों में कागज के एक ही ओर टंकित की हुई या साफ-साफ लिखी होनी चाहिए।
- अस्वीकृत रचनाएँ वापस पाने के लिए टिकट लगा लिफाफा संलग्न करें।
- स्वीकृत रचनाएँ सुविधानुसार किसी भी आगामी अंक में छापी जा सकती हैं।
- विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं, हिन्दी दिवस समारोहों आदि की विवरण एक-दो पृष्ठ से अधिक नहीं होना चाहिए।
- विवरण के साथ दो या तीन से अधिक चित्र नहीं भेजने चाहिए।
- ~~चित्र गतिशील होने चाहिएं~~

चित्रों में सक्रियता की झलक होनी चाहिए।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपालसिंह द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक-6 द्वारा मुद्रित।